राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ४] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या १०

सोमवार, २४ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, वित्त, विकास, योजना, मोटर, खनिज, नियुक्ति, राजस्व, समाज कल्याण, अकाल सहायता, सहायता एवं पुनर्वास, उद्योग एवं वाणिज्य तथा सामान्य प्रशासन-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री भैरोंसिंह ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

नीन्दर बेनार के खदानों की रॉयल्टी की वसूली का ठेका

३२५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर-श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया) : Will the mines minister be pleased to state:—

1. Is it a fact that Sri Kanahiya Lal purohit, Meenon ka chowk, purani Basti, Jaipur had the Royalty collection Contract for Neendar Benar Quarries during year eh 1957-58 ?

2. Is it a fact that these qurries have been worked during that period for supply of blast to western Railway ?

3. Is it a fact that the Western Railway applied for a Mining lease but it was not granted ?

4. It it a fact that one Chaudhari Sri Gokulchand, who had notapplied for the mining lease of this quarry obtaned a permit of Rs.176/- although according to the version of the Railway the area actually worked was 1000 × 600 ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1 Yes.

2. Yes.

3. No.

4. Shri Chaudhary had not applied for a mining lease of this quarry. Shri chaudhary on the ruqest of Railway was granted the A. M. L. in Blocks. The rent was changed on the measurements of the pits works aggregating to 44. 730 sg. ft. in 11 Blocks.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह १,६०० का है तो क्या इतने एरिया को वर्क-आउट नहीं किया था श्री गोकुलचन्द ने ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : श्री गोकुलचन्द चौधरी ने जितना वर्क आउट किया वह ४४,७३० स्क्वायर फीट है। मैंने निवेदन किया न।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर कितने का ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : १७६ रु०, ६२ नये पैसे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस हिसाब से इतने ही होते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

प्रश्न संख्या ३२६

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री मूलचन्द डागा।

स्टाम्प वेन्डरों की नियुक्ति

३२७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) स्टाम्प वेन्डरों को किन शर्तों के आधार पर सरकार रखती है ?

(ख) क्या सरकार स्टाम्प वेन्डरों को तनख्वाह देती है ? यदि हां, तो किन किन जगहों पर ?

(ग) क्या जिन जगहों पर स्टाम्प वेन्डरों को तनख्वाह नहीं मिलती वहां सरकार द्वारा कमीशन दिया जाता है ?

(घ) क्या सरकार समूचे राजस्थान में इसके लिये एक ही योजना लागू करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) वेतन और आयोग के आधार पर।

(ख) केवल जयपुर एवं बीकानेर में मुद्रांक विक्रेता वेतन पर नियुक्त किये गये हैं।

(ग) जिन स्थानों पर वेतन पर मुकर्रर नहीं किये जाते हैं वहां निम्न प्रकार से कमीशन दिया जाता है :—

१. जिलाधीश के कार्यालय के स्थान पर सैकड़ा ३ रु०, २ आना।

२. उप-जिलाधीश के कार्यालय के स्थान पर ४ रु० ११ आना।

Page No.3

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

३. अन्य स्थानों पर ६ रु०, ४ आना।

४. जुडिशियल मुद्रांकों पर सब स्थानों पर १ रु०, ६ आना।

(घ) जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : अभी जो स्टाम्प बेचनेवाले हैं उनको क्या तनख्वाह देते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मासिक वेतन क्या दिया जाता है यह तो मुझे इस समय मालूम नहीं है। केवल जयपुर और बीकानेर दो स्थानों पर स्टेट्स के समय से ही नियुक्त हैं। इसलिए उनको तनख्वाह दी जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : एक स्थान पर जहां जिलाधीश या सब-डिविजन ऑफिसर हैं वहां कितने स्टाम्प वेन्डर नियुक्त किये जाते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बिक्री को देख कर जिलाधीश ही नियुक्त करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मुकर्रर करने का आधार क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आधार जिलाधीश खुद तय करते हैं कि आया बिक्री के लिहाज से एक रखने लायक है, दो रखने लायक हैं या ३ रखने लायक हैं ?

प्रश्न संख्या ३२८

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२६

श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३३०

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

राजकीय विभागों में हिन्दी का प्रचलन

३३१. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि हिन्दी को सभी राजकीय विभागों में प्रचलित करने का व्यावहारिक मार्ग निकालने के लिए सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की थी ?

(२) क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय भी लिया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि सरकार ने हिन्दी के अंकों के स्थान पर रोमन अंकों का व्यवहार प्रारम्भ कर दिया है ?

(४) क्या उक्त समिति ने इसकी सिफारिश की थी ? यदि नहीं, तो ऐसा आचरण क्यों किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां।

Page No.4

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस विषय पर कोई सिफारिश नहीं की थी। संविधान के अनुसार भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग को अपनाया गया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह जो समिति नियुक्त की गई थी उसने हिन्दी अंकों को रखने का दिया है, रोमन अंकों का कहीं समावेश नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया न कि विधान के अनुसार यह है कि अंकों का जहां प्रश्न है रोमन अंकों को ही अपनाया जाये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : राजस्थान की जनता का बहुमत रोमन अंकों के पक्ष में है क्या जैसा कि तीसरे प्रश्न में पूछा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : Question is not clear.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि राजस्थान की जनता हिन्दी के अंकों की बजाय रोमन अंकों से ज्यादा अच्छी तरह परिचित है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका प्रश्न यह है कि वे हिन्दी के अंकों को ज्यादा समझ सकते हैं ? मैंने अर्ज किया न कि विधान में रोमन अंकों को अपनाने का है। माईल स्टोन्स पर रोमन अंक हों तो दूसरे प्रान्तों के आनेवाले, दूसरे देशों से आनेवाले उनको समझ सकें। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा ३४३ के अन्दर इस बात का उल्लेख किया गया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा मानी जाती है पर रोमन अंकों को अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के रूप में स्वीकार करते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उन्होंने वैकल्पिक रखा है, अनिवार्य नहीं किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां धारा ३४३ है वहां यह है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा मानी जाती है, लिपि देवनागरी मानी जाती है वहां रोमन अंकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में मानने के लिए है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह अनिवार्य नहीं है कि हिन्दी अंकों के स्थान पर रोमन अंकों को लिया ही जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार रोमन अक्षरों को पत्र-व्यवहार में लावेगी और सामान्य जनता में प्रयोग में नहीं लावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि अंकों को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वीकार किया है तो सभी जगह एक से ही होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

सरकारी मोटर गाड़ियों पर किया जाने वाला व्यय

३३२. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

Page No.5

(श्री मूलचन्द डागा)

(क) सन् १९५३ में कुल सरकारी मोटर गाड़ियां कितनी थी और सन् १९५९ में कुल कितनी हो गई है ?

(ख) इन गाड़ियों पर सरकार का कितना वार्षिक व्यय होता है ?

(ग) क्या सरकार इन गाड़ियों के व्यय में कमी करना चाहती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना कई कलेक्टरों से आनी है और इसमें कुछ विलम्ब होगा इसलिये इसको आगे रखा जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed.

प्रश्न संख्या ३३३

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३४

श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३५

डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३३६

श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

कोटपुतली के गढ़ के पास की नगरपालिका की जमीन पर श्री हनुमानशरण द्वारा कब्जा किया जाना

३३७. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटपुतली नगरपालिका क्षेत्र की उस जमीन पर जो कि गढ़ के पास है श्री हनुमानशरण ने कब्जा किया है ?

(२) यदि हां, तो किस अधिकारी ने किस वजह से उन्हें यह जमीन दी है ?

(३) क्या उक्त अधिकारी को नगरपालिका क्षेत्र की जमीन देने का अधिकार था ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां । इस पर लावल्दी की जांच की जाकर महन्त श्री प्रभुदयाल को लावल्द फोत होने के बारे में निर्णय हो चुका है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : प्रश्न दूसरा है और आप उत्तर दूसरा दे रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Sorry. (१) जी नहीं । श्री हनुमानशरण को बूचा हेड़ा में गढ़ के पास १५ बिस्वा सरकारी जमीन दी गई है ।

Page No.6

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) आयुक्त, अजमेर की आज्ञा दिनांक २३.१२.५७ के अनुसार कोटपावटा सड़क निर्माण में उनकी जमीन आ जाने के फलस्वरूप मुआवजे में यह जमीन दी गई है।

(३) उक्त जमीन काबिल काश्त है जिसका नगरपालिका से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या यह सही है कि जिस किसी व्यक्ति की जमीन सड़क में आ जाती है तो उसको खाली जमीन जहां पर वह बताता है तो दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जमीन की एवज में अगर वह जमीन लेता है तो जमीन दी जाती है और जमीन नहीं लेता है तो उसको केश भी दिया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या जिन काश्तकारों की जमीन सड़क में आई है उनको रेम्युनेरेशन दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरे काश्तकारों का अलग प्रश्न है। आपने उनके लिये नहीं पूछा है। आपने तो श्री हनुमानशरण के लिये ही पूछा है और उसके लिये ही मैंने उत्तर दिया है और जानकारी की है। अगर आप दूसरों के लिये भी पूछते तो उसका भी उत्तर मँगाता।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसके अन्तर्गत दूसरों की जमीन आई है और उन्होंने रिपोर्ट दी मगर उनको नहीं देकर इनको ही दी गई इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं। मैं जानकारी करता अगर आप सबके लिये पूछते।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि इसके लिये नगरपालिका ने ऑब्जेक्शन किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन यह जमीन काबिल काश्त की है इसलिये म्युनिसिपेलिटी का कोई हक नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि आग लग जाने से पेड़ गिर दिये और जमीन उनकी है इसलिये उनसे वापिस घर से मंगा लिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जानकारी तो मैं दे रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला में उत्तीर्ण छात्रों के लिए बाड़ी उच्च विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबन्ध

३३८. **डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के उत्तीर्ण छात्रों के उच्च विद्यालय में प्रवेश पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.7

(डॉ. बहादुरसिंह)

(२) क्या यह सत्य है कि बाड़ी हाई स्कूल में प्राथमिक शाला तथा माध्यमिक शालाओं से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा उनके प्रवेश के लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या आप शिकायत आने पर कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दयाकृष्ण विजय।

ग्राम भंवरगढ़, तहसील किशनगंज के किसानों को फसल नष्ट होने के कारण लगान की माफी

३३९. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि ४ अप्रेल, सन् ५९ को ग्राम भंवरगढ़, तहसील किशनगंज में इतनी वर्षा हुई तथा ओले गिरे कि फसल नष्ट हो गई ?

(ख) क्या सरकार, जिन लोगों की फसल नष्ट हो गई है, उन लोगों का लगान माफ करने तथा तकावी व अनुदान देने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) हां, यह सही है। ७० खेतों की फसल चार आने से १६ आने तक नुकसान हुआ।

(ख) रिलीफ खतौनी के मुताबिक २१८ रु. ७ आने ६ पाई की छूट काश्तकारों को दिये जाने के लिये तजवीज की गई है। जिसकी जांच होकर स्वीकृति की कार्यवाही हो रही है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको सहायता बाबत भी प्रस्ताव मांगे गये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह कब तक हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो रिलीफ का कार्य है, छूट का प्रस्ताव दिया है। गवर्नमेंट के पास आने पर है।

श्री दयाकृष्ण विजय : काफी समय हो गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : समय तो हो गया है लेकिन वसूली नहीं की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल।

विकास खंड द्वारा मकान बनाने हेतु धनराशि की मांग

३४०. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(क) क्या इस वर्ष ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत पाली जिले के रायपुर

Page No.8

(श्री शंकरलाल)

विकास खण्ड की तरफ से हरिपुर स्टेशन पर मकान बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग सरकार के समक्ष भेजी गई थी।

(ख) यदि हां, तो अभी तक स्वीकृति नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

(ग) अब कब तक कितनी धनराशि की स्वीकृति हो जायगी ?

विकास मंत्री, (श्री मोहनलाल सुखाडिया):

(१) जी हां, इस आशय की सिफारिश. खण्ड विकास अधिकारी रायपुर से प्राप्त हुई थी।

(२) इस सिफारिश के आने के बहुत समय पहले ही यह निर्णय किया जा चुका था कि इस वर्ष यह योजना किन किन ब्लॉक्स के ६० गांवों में चालू की जावेगी। अतः जब तक कोई ब्लॉक यह सूचना नहीं दे कि वहां के किसी अमुक गांव में यह योजना किसी कारणवश क्रियान्वित नहीं की जा सकती तब तक रायपुर विकास खण्ड के लिए यह स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(३) अब यह योजना रायपुर ब्लॉक के हरिपुर गांव में क्रियान्वित करने की स्वीकृति भेजी जा चुकी है और फिलहाल १५,०००) रुपये अलॉट किए गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहब्बत सिंह।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : एक सप्लीमेंट्री है। Under the Rural Housing Scheme how much money is allotted this year and which is distributed to various blocks.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कुल कितने रुपये दिये गये। जो पर्टीकुलर प्रश्न पूछा गया उसका मैंने जवाब दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : On what principles? Whether on the principles of Government policy. How the amount is distributed amongst the blocks.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारे ब्लॉक में तो डिस्ट्रिब्यूट नहीं किया जा सकता।

ध्यान इस बात का रखा जाता है कि जिस ब्लॉक को दिया जावे वहां पर इसका ठीक तरह से उपयोग हो जावे और उनको इसका लाभ मिले।

(श्री पी० के० चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

गवर्नमेन्ट डिग्री कॉलेज, सिरोही में अध्यापकों का अभाव

३४१. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state:—

1. Is the Government aware of the shortage of teaching staff in the Government Degree College at Sirohi.

(श्री मोहब्बतसिंह)

2. If so, what steps are being taken to meet the demand of staff for this institution.

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या वहां हिन्दी के लेक्चरार की व्यवस्था हो गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : व्यवस्था हो गई मगर वह पहुंचा नहीं। पहले श्रीमती सुमित्रा वहां जाने को थीं मगर वह वहां पहुँची नहीं। अब श्री शर्मा के १ अगस्त से आदेश दिये गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

गोचर भूमि ग्राम पांचेटिया, तहसील खारची

३४२. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पांचेटिया तहसील खारची में माजी साहब रायपुरिया ने मौजा पांचेटिया की सरहद में सम्वत् २००६ में पांचेटिया में गोचर भूमि का अभाव होने से ४०० बीघा गोचर भूमि बापी की जमीन में से छोड़ी थी ?

(२) क्या उपरोक्त भूमि गोचर घोषित कर दी गई है और सरकारी कागजात में अमल दरामद हो चुका है ?

(३) अगर हां, तो कब ? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां। ३७१।।) १ को गोचर कराना चाहती थीं।

(२) जी नहीं।

(३) सब-डिविजनल ऑफिसर जानवरों की संख्या को देखते हुए जांच के बाद जिलाधीश को प्रस्ताव भेजेंगे। भेजने पर जिलाधीश मंजूरी देंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अगर कोई बापी जमीन को गोचर में देना चाहे तो दे सकता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : बापी जमीन को दे सकते हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : बापी की जमीन है जो दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब इन्कार किया है। मगर कॉम्पीटेन्ट ऑथेरिटी है वही उसकी जांच करके ऑर्डर जारी करेगी।

श्री दलपतसिंह : उनकी दरख्वास्त को दिए कितने दिन हो गए हैं कि मैं यह जमीन गोचर भूमि के लिए देना चाहता हूं ?

Page No.10

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

हायर सेकिंडरी स्कूलों के सीनियर टीचर्स की संख्या, जिला सिरोही

३४३. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state:—

What is the strength of senior teachers in the Higher Secondary Schools at Pindwara, Kalandri and Mandar in Sirohi District respectively.

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जिला सिरोही के पिन्डवारा, कोलान्द्री व मन्डार हायर सेकेन्डरी स्कूल में सिनीयर अध्यापकों की संख्या क्रमशः ५, ४, और ४ है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार को विदित है कि वहां पर अध्यापकों की संख्या कम है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री मोहब्बतसिंह : हायर सेकिन्डरी में कितने टिचर्स होने चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जितने कम्पलसरी सबजेक्ट हैं। उतने ही होने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : कितने सब्जेक्ट हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ४ हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अगर कम्पलसरी सब्जेक्ट में विद्यार्थी न हों तो।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे सब्जेक्ट नहीं रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष नेक्स्ट : श्री दयाकृष्ण विजय।

बीमा सस्पेंस की धनराशि

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) बीमा विभाग में सस्पेंस में धनराशि किस किस साल की, कितनी कितनी है ? उसका जिला ट्रेजरी के अनुसार वृत्त सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) बीमा विभाग के पास ऐसे कितने केसेज हैं, जिनमें बीमा करने वालों का यह कथन है कि वे रकम जमा करा चुके हैं ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(१) बीमा सस्पेन्स की धन राशी सलंग्न तालिका में दी गई है। क्योंकि सस्पेन्स का हिसाब ट्रेजरीवाइज नहीं रखा जाता इसलिए ट्रेजरीवाइज धनराशि दिलाना सम्भव नहीं है।

(२) १,००,००० कर्मचारियों में से ८०६ ऐसे केसेज हैं जिनमें बीमा करानेवालों का यह कथन है कि वे रकम जमा करा चुके हैं। यह रकम कुछ ही महीनों की है न कि कुल रकम। ऐसे केसेज में सम्बन्धित विभागों

Page No.11

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

व अकाउन्टेन्ट जनरल को पत्र लिखे जा चुके हैं। आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक क्रेडिट मिल जाने पर शीघ्र ही रकम को खातों में जमा कर दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय : यह रकम सस्पेन्स में किस कारण से रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बहुत से कारण हैं। एक तो जो शेड्यूल डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए वे नहीं भेजते हैं और दूसरा पॉलिसी के नम्बर भी नहीं भेजते। फिर रिफन्ड की रकम ऐसी होती है जिसके द्वारा बिल बनाकर भेजना पड़ता है, वे नहीं भेजते हैं। ऐसी सूरत में वह रह जाती है। इसके अलावा बहुत से आदमी नौकरी छोड़ कर चले जाते जाते हैं उनका वेवर अकान्ट मालूम नहीं होता। वह रकम भी सस्पेन्स में रखनी होती है। जो जो रकम सस्पेन्स में रहती है उसके लिए ज्यों ज्यों इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, पॉलिसी में जमा हो जाती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : वह रकम जो ५४-५५ से अब तक बाकी है, कितनी रकम खातों में जमा हो चुकी है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जो रकम बताई गई है इसके लिए यह ऐसे एकाउन्ट्स हैं कि इसको देख कर यह कहना कि एक वर्ष में कितनी खातों में जमा हो गई है, मुश्किल होगा। लेकिन जैसा आपको मालूम होगा कि हर वर्ष पॉलिसीज के प्रीमीयम का एमाउन्ट बढ़ता गया है। जैसे पहले ३४ लाख हो गए तो फिर ४६ लाख हो गये और ५८-५६ में और भी ज्यादा बढ़े हैं। इस तरह से सस्पेन्स के एमाउन्ट की रकम बढ़ती गई। यह तो हर साल बैलेन्स आता रहता है। इसलिए यह कहना कि कितना कम हो गया, मुश्किल है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं उनकी रकमों को उनके खातों में जमा की जाय लेकिन बीमा विभाग उनको पूरा नहीं कर सका ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यदि इस डिपार्टमेन्ट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद हो, पॉलिसी नम्बर भी उसके पास मौजूद हो, शिड्यूल के पूरे खानों की पूर्ति हो तो सस्पेन्स में अकाउन्ट्स रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। यदि इन्फॉर्मेशन पूरी हो तो फौरन सस्पेन्स अकाउन्ट को क्लीयर कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेज़ हैं जिनमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होने से उनकी रकम सस्पेन्स अकाउन्ट में है।

श्री दयाकृष्ण विजय : १० हजार कर्मचारियों में से ८०६ कर्मचारियों के लिए आपने अपने उत्तर में ही बताया है कि उनके खातों में रकमें अभी जमा नहीं की गई हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनके कहने से ही माना नहीं जा सकता। पूरी खाना पूरी होने की आवश्यकता है। ए० जी० के पास भी वेरिफिकेशन के लिए प्रत्येक केस जाता है और जब वह सर्टिफाई कर देता है है कि इन लोगों की तनख्वाह में से रकम

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

काट ली गई है तो उनके खातों में रकमें जमा कर दी जाती हैं। ये तो हाल ही के केसेज़ हैं और उनका जब तक वैरिफिकेशन नहीं हो जाय इन्श्योरेन्स विभाग उनके खाते में रकम जमा नहीं कर सकता।

श्री दयाकृष्ण विजय : दूसरे विभागों को पत्र लिखे गये तो ये पत्र कब लिखे गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कब कब पत्र लिखे गये हैं इसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है। समय समय पर जब जरूरत पड़ी—लिखा पढ़ी हुई। मैंने आपको बताया कि ये हाल ही के केसेज़ हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन पूरी आना बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

लोहे तथा इस्पात के पंजीयत स्टॉक-होल्डर, अजमेर की नियुक्ति

३४५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार,) जयपुर द्वारा पूछा गया) : Will the Minister for Commerce and Industries Department be pleased to state :

(a) Is it a fact that M/s Bhedi Lal Kapoorchand, Kesar Ganj, Ajmer license holder of English Wine has been appointed as registered stock holder of iron and steel, Ajmer ?

(b) If so, by whom and when ?

(c) Is it a fact that there are certain rules and conditions for the appointment of such dealers ? If so, please lay a copy thereof on the table of the House.

(d) Is it also true that certain rules, conditions and practices have not been followed in his appointment ? If so, why and who is responsible for it ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द-धारीवाल) :

1. Yes. M/S Bhedilal Kapur Chand of Ajmer have been appointed as Regd. Stockists of Iron and Steel at Ajmer.

2. They have been appointed as Regd. Stockists by the Iron & Steel Controller, Calcutta, in the month of February, 1959.

3. Registered Stockists of Iron and Steel are appointed by the Iron & Steel Controller, Calcutta, by the aecommendation of the State Government. Although there are no hard and fast rules in his connection, yet the practice in the ast has been to consider cases of applicants who are financially sound and have experience in the line.

4. The conditions pre requisite to the appointment of the said firm were fully observed and recommendation was based on the Collector's recommendation. The recommendation was made to the Iron and steel Controller as advised by the Collector, Ajmer.

Page No.13

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Did the Collector Ajmer recommend this particular firm that this firm has got experience in this trade. ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes. He had already recommended and on that recommendation of the Collector the earstwhile Ajmer State Government also recommended.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Did the Collector recommended this particular firm has particnlar experience in dealing with this trade.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It was in the year 1955 that the earstwhile Ajmer State recommended this gentleman to the Controller of Iron and Steel at that time...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The question is whether the recommendation was based on experience ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I am replying. He has got the experience...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : The question is mis-understood Sir. The questionner wants to know whether the firm has an experience ? Whether the report refers to that experience ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have definitely said that the Collector said that he had experience.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Well how much experience had this firm about it...?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That was the business of the Collector to see. He said that he had already an experience and on the basis of experience and his financial position, he was recommended.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The House wants to know how much experience has he ? 2 years, 3 years, or 4 years.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no such information...

श्री श्रीभानसिंह : Should the House take that the word 'experience' was in the recommendation ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It was enough for the Government to take the recommendation of the Collector, Whatever he made,...

श्री श्रीभानसिंह : It means the word 'experience' was mentioned and the State Government did not go into the point of period of his experience ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : In fact we did not enquire about it. It was solely for the Collector to enquire about it. He enquires about all that and then sends his recommendation.

Page No.14

श्री श्रीभानसिंह : Is it a fact that in certain cases the Collector can waive the conditions ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : There was nothing like that.

श्री श्रीभानसिंह Has the Government fixed certain period for experience or the word experience is enough ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : It is not at all necessary. It was the business of the Collector and he had to see whether he was dealing in iron and steel or not and his financial condition is such that he should be recommended.

श्री श्रीभानसिंह : For how long this firm has been dealing in the Iron and steel ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह जरूरी नहीं है कि उसके पास हो। कलेक्टर रिकमन्ड करता है और उसके अनुसार दिया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सरकार ने यह प्रश्न आने के बाद कि वह लाईन में डील करता है फिर आइरन का कोटा कैसे दिया जाय इस पर विचार किया या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जानने की आवश्यकता तो नहीं थी। During the earstwhile State of Ajmer, it was recommended on vacancy and he was recommended by the Colletor. There is question...

श्री श्रीभानसिंह : Should this House take that there is no such condition that the firm should have some previous experience in the line...

श्री रिखबचंद धारीवाल : There are no such...

श्री श्रीभानसिंह : Has the Govrenment issued any orders that the firm should have previous experience

श्री रिखबचंद धारीवाल : We asked from the Collector and he recommended that the party is quite sound...

श्री श्रीभानसिंह : Whether the Government has made any policy decision that the applicant must have previous experience ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no such policy decision. Iron Controllers' rules are there and according to that we do. We ask from the Collector and on his recommendation, we send the name.

श्री श्रीभानसिंह : This House is interested in knowing the basis on which the Government sends the name...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The contribution to the Congress fund......

श्री श्रीभानसिंह : What are the basis and criteria on which the Government recommends to the Iron Steel Controller that a certain party shoul be given a permit.

श्री उपाध्यक्ष : That he has already replied.

श्री श्रीभानसिंह : The criteria is not given.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस पार्टी को चंदा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सवाल पूछने वाले चन्दा लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा कहते हैं।

(शोरगुल)

श्री विशम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई): This is highly objectionable and he should withdraw.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कांग्रेस पार्टी के लिए कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He had no experience other than.

[व्यवधान]

श्री उपाध्यक्ष : I would request the Hon'ble Members to maintain the decorum.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You have no authority to say......

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please.

उद्योग मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अजमेर गवर्नमेंट ने पहले रिकमन्ड किया था। अजमेर गवर्नमेंट के समय उसको इश्यू नहीं हुआ। अब रिकमन्ड हुआ है। उनको सप्लाई करने का था? वैसे गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के स्टील कन्ट्रोलर द्वारा यह देना था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को सेंक्शन करने का था वह किया गया इसमें इतना तेज होने की क्या आवश्यकता थी?

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Next Question Please.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Mr. Dy. Speaker......

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Members please, I have taken another question and that is 346. I will not allow any more debate......

श्री महेन्द्रसिंह पँवार : But I want an information.

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any more......

श्री महेन्द्रसिंह पँवार : You will not allow even to sit in the House......

श्री उपाध्यक्ष : Enough time has been given for this question and now I have taken the other question. Yes, 346.

रूपवास, बयाना तथा बसेरी तहसीलों (भरतपुर) के गाँवों में अग्नि काँड

३४६. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Relief & Rehabilitation please state :-

Page No.16

(श्री श्रीमानसिंह)

(1) How many villages of Tehsil Rupbas, Bayana and Baseri were destroyed during the last one year by the out break of fire, and on what dates ?

(2) Have the residents of those villages been given any relief of rehabilitation grant or taccavi loans ? Please give the date and also the amount.

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) 55 villages of Tehsil Rupbas. 25 villages of Tehsil Bayana and 2 villages of Tehsil Baseri. were affected by fires between 1-4-58 to 31-7-59. There is no report of any village being wholly destroyed.

(2) The residents of the affected villages have been given relief and also the Rehabilitation loans. The list showing the date and amount has been placed on the table of Honse.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

पर्वन नदी (जिला कोटा) पर पुल का निर्माण

३४७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि कोटा जिला, तहसील अटरू के ग्राम कुम्हेड़ा की जनता ने लगभग ६,०००) रु० चन्दा इकट्ठा कर पर्वन नदी पर एक पुल बनाना शुरू कर दिया है तथा जनता इसके अतिरिक्त और भी धन संग्रह कर रही है ?

(२) क्या विकास विभाग ने इस योजना को कुछ सहयोग दिया है? यदि हां, तो किस किस प्रकार का ?

(३) क्या सरकार इस कार्य में जनता के संग्रह के बराबर ही अनुदान देने का विचार रखती है ?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) जी हां, २५००) रु० बतौर अनुदान पंचायत को दिये गये हैं।

(३) जो भी नियमानुसार सहायता दी जा सकती है, दी जायेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : अब तक ३,२००) रु० जो दिये गये हैं और सहायता न देने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर वहां पर ब्लॉक्स के अन्दर फण्ड्स अवेलेबल होंगे या डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी के पास लोकल वर्क्स के लिये फण्ड्स होंगे तो वहां इस पर तय किया जा सकता है।

श्री महेन्द्रसिंह पँवार (अजमेर-पूर्व) : जवाब जो मुख्य मंत्री की तरफ से होना चाहिये 'हां' या 'ना' में। यह कोई जवाब नहीं है कि होंगे तो दिया जा सकता है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : On a point of Information Sir, is

Page No.17

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

there any Rule which requires monosyllabic reply ? It requires 'Yes' or 'No.'

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि वहां पर जनता ने श्रमदान के नाम पर काफी पैसा इकट्ठा कर रखा है । ३,०००) रु० और इकट्ठे कर लिये हैं; उसमें से और दिलाया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जैसा पहले निवेदन किया इसी को ध्यान में रखते हुए २,५००) रु० दिया गया है तथा और देने पर विचार किया जायेगा ।

जागीरदार द्वारा हाडीजी की बावडी ग्राम इसरदा का पट्टा अपनी पासवान के दोहते के नाम किया जाना

३४८. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिनसु) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के इसरदा ग्राम में 'हाडीजी की बावड़ी में पानी भरने का उपयोग सार्वजनिक रूप से होता आ रहा है ?

(ख) यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

(ग) क्या इस सार्वजनिक बावड़ी का पट्टा जागीरदार इसरदा ने अपनी पासवान के दोहते के नाम कर दिया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हां ।

(ख) जब से यह बावड़ी बनी है ।

(ग) जी नहीं ।

माध्यमिक पाठशाला, बारां

३४९. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:-

(१) क्या मिडिल स्कूल, बारां में बनने वाले कमरे अधूरे पड़े हैं ?

(२) क्या जनता ने भी इन कमरों के निर्माण के लिये धनराशि दी थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(३) सरकार ने इसमें कितनी सहायता दी है ?

(४) क्या सरकार शीघ्र ही उक्त कमरों को पूरा करवाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(१) जी हां, कुछ कमरे अधूरे पड़े हैं ।

(२) जी हां । जनता ने इसमें १,०४०) रु० दिये थे जिसमें ५४०) रु० नकद व ५००) रु० श्रमदान के रूप में ।

(३) सरकार ने २,०००) रु० की सहायता दी है जिसमें से १,५००) रु० विकास विभाग द्वारा तथा ५००) रु० छात्र-कोष में से ।

(४) जी हां ।

श्री दयाकृष्ण विजय : ये कमरे कब से अधूरे पड़े हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : कमरे जो अधूरे पड़े हैं वह कब तक पूरे हो जायेंगे ?

Page No.18

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप अधूरे कमरों के लिये यहां कह सकते हैं। आप जनता में प्रचार करिये और उनका कोन्ट्रीब्यूशन लीजिये। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आर्थिक मदद दे सकें।

श्री दयाकृष्ण विजय : जनता ने तो यह लिख कर दिया है। वे तो कन्ट्रीब्यूशन देने के लिये तैयार हैं किन्तु सरकार की तरफ से पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार की यह स्थिति नहीं है कि वह हर स्कूल के लिये भवन बना कर दे।

रविदासपुरा (भरतपुर) में नवीन बस्ती की स्थापना

३५०. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) भरतपुर जिले के अन्तर्गत रविदासपुरा की नवीन बस्ती को बसाना किन किन शर्तों पर स्वीकार किया गया था।

(२) क्या वहां पर बसने वाले को आबादी तथा खेती करने के लिए कुछ भूमि देना भी उक्त शर्तों में सम्मिलित था ?

(३) उक्त आबादी की भूमि को आबाद हुए कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि रविदासपुरा की आबादी की भूमि पर अब भी लगान वसूल किया जा रहा है।

(५) यदि हां तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) २१ परिवारों को १०,१० बीघा भूमि तथा गृह निर्माणार्थ १,००० रु० प्रति परिवार ऋण।

(२) जी हां, कुल २२५ बीघा।

(३) पांच वर्ष।

(४) जी हां।

(५) बन्दोबस्त में जो जमा कृषि तथा आबादी भूमि दोनों के लिये कायम हुई है वह वसूल होती चली आ रही है। अब आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जमा वसूल न की जावें और इस जमीन को आबादी में कन्वर्ट करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह आदेश कब जारी किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसक जवाब गवर्नमेंट के ध्यान में आया तब।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या इसके आदेश दे दिये गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वसूली बन्द करने के आर्डर्स दे दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बेनाराम गहलोत।

सार्वजनिक अमोलक वाचनालय, बगड़ी

३५१. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखि प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार सार्वजनिक वाचनलयों को कुछ सहायता देती है। यदि हां तो कितना और किस आधार पर।

(श्री बेनाराम गहलोत)

(२) क्या सार्वजनिक अमोलक वाचनालय बगड़ी (तहसील सोजत) ने भी इस प्रकार की सहायता हेतु इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग, पाली को लिखा था। यदि हां तो कब और उक्त वाचनालय को सरकार द्वारा कब मान्यता दी गई और कितनी सहायता दी जाती है।

(३) यदि नहीं, तो क्यों।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) जी हां गत वर्ष के एप्रूव्ड खर्चे का ५० प्रतिशत या नेट एप्रूव्ड खर्चे के ७५ प्रतिशत के आधार पर।

(२) जी हां। इसी वर्ष सरकार द्वारा अभी मान्यता नहीं दी गई इसलिए सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) क्योंकि संस्था ने अभी तक रिकॉग्निशन, रजिस्ट्रेशन एवं कॉन्स्टीट्यूशन का कार्य पूर्ण नहीं किया जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही फोर्म भेजे जा चुके हैं।

श्री बेनाराम गहलोत : मान्यता करने के लिए कई दफा लिखा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कई दफा तो नहीं इस वर्ष लिखा है। अभी तक न तो कॉन्स्टीट्यूशन ही बनाया है और न रजिस्ट्रेशन ही हुआ है। रजिस्ट्रेशन एजूकेशन विभाग नहीं करता है।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु): इस वर्ष कौनसी तारीख को लिखा गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शायद एक अप्रेल के बाद में लिखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

जिला पाली के अग्निपीड़ित ग्रामवासियों को दी गई आर्थिक सहायता

३५२. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली तहसील के किन किन गांवों में जनवरी, सन् १६५६ से आज तक आग लगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) इन गांवों में आग लगने से कितना आर्थिक नुकसान हुआ ?

(ग) क्या सरकार को पाली कलेक्टर कार्यालय द्वारा इन ग्रामीणों की आर्थिक सहायता के लिए सिफारिश की गई ? यदि हां तो कब तथा सरकार ने उन गांवों को क्या क्या आर्थिक सहायता आज तक प्रदान की है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) पाली तहसील के निम्नलिखित गांवों में १ जनवरी, सन् १६५६ से ३१-७-५६ तक आग लगी :

नाम ग्राम	दिनांक आग लगने का
१. गैलावास	२३-३-५६
२. मागेश्वर	२६-३-५६
३. हैमावास	६-४-५६
४. आउन	४-५-५६

(ख) प्रश्न (क) के उत्तर में बताये गये ग्रामों में निम्न हानि हुई:—

नाम ग्राम	अनुमानित हानि
१. गैलावास	८०७५ रु०

(श्री दामोदरलाल व्यास)

२. मागेश्वर	४२५० रु०
३. हैमावास	१६४० रु०
४. आटन	३५३७० रु०

(ग) जिलाधीश पाली ने सरकार से खास तौर पर इन ग्रामों के लिए तो कोई मांग नहीं की परन्तु आयुक्त जोधपुर से कुछ अतिरिक्त धनराशि की मांग की हुई है। जिलाधीश पाली द्वारा निम्न धनराशि सहायतार्थ स्वीकार की गई है :

नाम ग्राम	धनराशि जो सहायतार्थ दी गई
१. गैलावास	४६६.५०
२. मागेश्वर	६५.००
३. हैमावास	२५.००
४. आटन	५६८.२५

श्री मूलचन्द डागा : अठाणा में ज्यादा नुकसान हुआ और आपने ५००) रु० ही सहायता के रूप में मन्जूर किये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस बारे में सदन में कई बार अर्ज कर चुका हूं कि आग लगने से जो नुकसान होता है उसका कम्पेनसेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए हम कुछ फाईनेन्सीयेली एड देते हैं ताकि वे रिहेबीलिटेड हो जाँय और रिलीफ मिल जाय। इसके लिए नियम बने हुए हैं, उसी के मुताबिक दिये जाते हैं।

नारलाई (देसूरी) के तालाब की मरम्मत

३५३. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नारलाई के तालाब की मरम्मत का ठेका देसूरी विकास खंड द्वारा दिया गया था ? यदि हां तो कब और किस ठेकेदार को ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने तालाब की मरम्मत करते समय बेवरा ढेड़ावा, पीपलिया आदि की काश्त की जमीन से मिट्टी ले जाकर डाली, जिससे काश्त की काफी जमीन खराब हो गई और कृषकों को उस जमीन में काश्त करने से महरूम रहना पड़ा। यदि हां तो क्या सरकार उक्त जमीन का लगान माफ करेगी ?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बेनाराम गहलोत : यह आपने किस आधार पर कहा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो सूचना मुझे भेजी गई।

श्री बेनाराम गहलोत : यह सूचना आपको गलत मिली है। कई दफा बी० डी० ओ० को शिकायत की गई, तहसीलदार के पास शिकायत की गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे स्पष्ट कर दूं। विकास खंड के जरिये काम करवाया गया इसलिए मुगालता हो सकता है। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा करवाया गया रेगुलर वर्क्स की तौर पर। प्रश्न से जो संबन्धित है उसमें कुछ काम विकास खंड के जरिये नहीं हुआ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या यह सही है कि बेरा ढेडावा की मिट्टी लेकर ठेकेदार ने उस जगह डाली थी ?

Page No.21

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सूचना मेरे पास यह भी है कि वापिस मिट्टी उसमें डाल भी दी गई है।

बूँदी जिले में नई माध्यमिक व प्राइमरी पाठशालाओं का खोला जाना

३५४. **श्री सज्जनसिंह** (डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया):

क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) बूँदी जिले में इस वर्ष कितने नए मिडिल स्कूल खोलने की तजवीज सरकार के समक्ष आई और उनमें से कितने व किन किन स्थानों पर खोले गये ?

(२) इस वर्ष बूँदी जिले में कितने नए प्राइमरी स्कूल खोले जावेंगे व नए खोले जाने वाले मिडिल व प्राइमरी स्कूलों की संख्या क्या है।

(३) क्या यह सही है कि बूँदी जिले के लिए अध्यापकों की मांगी गई संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी याने २६ में से केवल ४ अध्यापक ही मिले ? यदि हां तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई :

(१) जिला विकास समिति बूँदी द्वारा ६ नाम माध्यमिक पाठशाला बनाने हेतु प्रस्तावित हुए। उनमें इस वर्ष तालेरा और माटुन्दा में माध्यमिक शाला खोली गई।

(२) इस वर्ष बूँदी जिले में मिडिल स्कूल २ व प्राईमरी स्कूल १६ खोले गए।

(३) जी नहीं। गत वर्ष बूँदी जिले को २१ अतिरिक्त अध्यापक दिए गए थे।

कृषकों को निजी उद्योग के लिए अप्रधान खनिजों की छूट

३२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी-**श्री नाथूलाल करोल** (लालसोट-सु.) द्वारा पूछा गया) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, १९५५ के नियम ४ के अनुसार कृषकों को उनके निजी उपयोग के लिए किन-किन अप्रधान खनिजों की छूट है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) रॉयल्टी वसूल करने वाला ठेकेदार अथवा सरकार यह जानकारी किस प्रकार करती है कि कृषक, जो अप्रधान खनिज ले जा रहा है, वह निजी उपयोग के लिए ही ले जा रहा है ?

(ग) क्या सरकार ने कृषकों को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, १९५५ से से अवगत कराने के लिए कोई प्रचार किया है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) कृषकों को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, १९५५ के नियम ४ के अनुसार निम्नलिखित रियायतें हैं :

(१) साधारण मिट्टी जिसमें ईंट बनाने की मिट्टी भी शामिल है तथा चेजे का पत्थर कृषक बिना रॉयल्टी या पर्मिट के निकाल सकता है।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(२) चूने का पत्थर या कंकड़ उन स्थानों से जो कि किसी के पट्टे में नहीं दिये गये हैं किसान २ महीने का पर्मिट लेकर निकाल सकता है। यह पर्मिट माइनिंग इन्जीनियर या असिस्टेन्ट माइनिंग इन्जीनियर या तहसीलदार द्वारा ३०५) रु. फीस लेकर दिया जाता है किन्तु शर्त यह है कि उक्त दोनों छूट केवल निम्नलिखित हालतों में ही उपयोग की जा सकेगी:-

(१) सिंचाई के तालाब, नाले या नाली बनाने में।

(२) कुंए बनाने में।

(३) खेतों के कम्पाउन्ड वाल (अहाते) बनाने में।

(४) रहने के मकान जिनमें कम्पाउन्ड वाल भी शामिल है।

यदि वे देहात में बनाए जायें।

(ख) सरकार यह मान कर चलती है कि कृषक जो अप्रधान खनिज ले जा रहा है वह उक्त कामों में से किसी एक के लिए होगा। संदेह हो जाने की हालत में कृषक से उनका कृषक होने का प्रमाण-पत्र तथा वह पत्थर किस काम के लिए ले जा रहा है, मांगा जाता है। वह प्रमाण पत्र गाँव पंचायत दे सकती है या नायब तहसीलदार तथा उससे ऊंचे के पद के राजस्व अधिकारी।

(ग) जी हां, राजस्थान राज्य-पत्रिका तथा दैनिक-पत्र द्वारा तहसीलदार, पटवारी एवं ग्राम-पंचायत द्वारा कृषकों को अवगत कराने हेतु विज्ञप्तियां भी भेजी गई हैं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या यह सही है कि रॉयल्टी के ठेके देते समय यह शर्त रक्खी जाती है कि ठेकेदार मिनरल कन्सेशन रूल्स, १६५५ के तहत एग्जम्पटेड व्यक्तियों से रॉयल्टी वसूल नहीं करेंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: यह तो रूल्स में ही एग्जम्पशन दिया हुआ है। अतः ऐसी शक्ल में सवाल ही नहीं उठता।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): खनिज विभाग से यह सूचना अभी तक कृषकों के पास नहीं पहुंची है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: हमारी ओर से तो सूचना सबको भेज दी गई है। अखबारों में भी भेज दी गई है। तहसीलदारों के पास भेज दी है, पंचायतों में भेज दी है।

श्री मूलचन्द डागा: आपके यहां से यह सूचना तहसीलदार और पंचायत को कब भेजी?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: जब भी अनाउन्समेन्ट हुआ हमने भेज दी।

श्री रामकरणसिंह: वैसे मैं आपसे व्यक्तिगत इस मामले मे मिला और आपके डिपार्टमेन्ट में भी मिला कि इस प्रकार की सूचना कृषकों के पास गई ही नहीं है इसलिए कई हजार काश्तकारों को तहसील में बेकार परेशान किया जाता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: हर काश्तकार को उसके घर पर जाकर सूचना देना तो सम्भव नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : मैं आपसे खुद मिला हूं और आपके ऑफिस में भी मिला हूँ फिर भी मैं आपको बताऊं कि कृषकों को तंग किया जाता है। आपका तहसीलदार तंग करता है फिर उनको घर पर सूचना देने की बात ही नहीं आती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माननीय सदस्य जिस समय आये उस समय यह कह रहे थे कि किसानों को इत्तिला नहीं हुई पर आपने तो जाकर इत्तिला कर दी होगी तो फिर आगे प्रश्न नहीं उठता। वैसे जहां तक एग्जम्पशन का संबंध है वह सारी की सारी दी गई हैं। आपसे भी मैंने कहा था कि आप कोई पार्टीक्यूलर केस बताइए तो उसको हम एग्जामिन कर लेंगे।

श्री रामकरणसिंह : मगर मैं आपके यहां के डिपार्टमेन्ट में गया हूँ। मैंने आपके विभाग के हैडक्लर्क के पास काश्तकारों को भेजा है तो हैडक्लर्क ने २५) रु० उनसे मांगे हैं। अगर इतना ही आप अपने डिपार्टमेन्ट पर विश्वास करते हैं, यह मैं आपको बताता हूँ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें हैडक्लर्क के पास जाने की क्या जरूरत है?

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप यह बतायेंगे कि खनिज विभाग के दिए हुए प्रमाण पत्र को भी वे ठेकेदार लोग नहीं मानते और अगर फिर भी ठेकेदार लोग रॉयल्टी देने के लिये तंग करें तो ऐसे ठेकेदारों के लिए सरकार क्या करेगी?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो एक तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर वे नहीं मानेंगे तो ऐसी शक्ल में उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री तेजराम गहलोत : क्या सरकार को यह मालूम है कि सोजत के काश्तकारों से रॉयल्टी मांगी है जिसकी माईनिंग डिपार्टमेंट में शिकायत की है फिर भी माईनिंग इन्जीनियर ने कोई भी कान्ट्रेक्टर के लिए आर्डर्स इश्यू नहीं किए।

खनिज मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : ऐसे केसेज़ भी हो सकते हैं कि कुछ जगह क्वैरीज की एग्जम्पशन के लिए क्वैरीज में से लिए जाने की इजाजत नहीं है जो कि स्पेसिफाई तरह से ऑक्शन की जाती है या लीज पर दी जाती है। जैसे फिट्सर के केस में हम पट्टे यहां ले जाते हैं और रॉयल्टी चार्ज नहीं कर सकते। इस प्रकार के स्टोर जिप्सम है, वह नहीं है। वह तो जनरल तहसील में स्पेसिफिक जगह है, वहां के लिए है।

श्री रामकरण सिंह : मैं आपसे निवेदन करूं कि रायल्टी चार्ज की जाती है अगर कोई नदी में से बजरी ले जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जायं कि रॉयल्टी चुका दी है तो ऐसी शिकायत की जाए तो जरूर कार्यवाही की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष नेक्स्ट : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

Page No.24

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम

३२६. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा—सु०) : क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम किस किस जिले में चालू है और हर जिले को कितनी कितनी धनराशि दी गई है। सन् ५६ से ५६ तक जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) कोटा, बूंदी और झालावाड़ में किस किस व्यक्ति को, किस किस वर्ष में, कितनी कितनी धनराशि दी गई। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) सन् ५६ में कोटा जिले को कितना धन दिया जावेगा?

(४) कोटा जिले में अभी तक हाउसिंग लोन के लिए कितने प्रार्थना पत्र पेन्डिंग हैं?

योजना मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) राजस्थान में अल्प आय गृह निर्माण योजना सभी जिलों में चालू है। प्रत्येक जिले को सन् १६५६–५७ से १६५६–६० तक दी गई धनराशि की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कोटा, बूंदी झालावाड़ में जिन जिन व्यक्तियों को जितना जितना ऋण दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सन् १६५६–६० में कोटा जिले को १,५०,०००) रु० की धन राशि दी गई है।

(४) १५६.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री भैरवलाल 'काला बादल': इतनी जो दरख्वास्तें पेन्डिग पड़ी हुई हैं उनको धनराशि कब तब दी जायेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दरख्वास्तें तो सभी जगह पेन्डिंग पड़ी हुई हैं। धनराशि हम हर साल अलॉट करते हैं इसी तरह उनका भी नम्बर आ जायेगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : फिर कोटा में इतनी कम धनराशि क्यों है और दूसरे जिलों के लिए इतनी अधिक धनराशि क्यों है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि १,५०,०००) रु० इसी साल सेंक्शन किया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप इस धनराशि का डिस्ट्रिब्यूशन कैसे करते हैं बिटविन दी डिस्ट्रिक्ट्स?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम वहाँ की जरूरत और यूटिलाइजेशन की प्रोग्रेस को देख कर करते हैं। क्योंकि कुछ स्टेट्स के अन्दर डिमान्ड नहीं हैं और उतनी डिफिकल्टी भी नहीं है जैसी जयपुर के अन्दर डिमाण्ड है और नेसेसिटी है। हम इसमें सिर्फ पोपुलेशन का ही काईटेरिया नहीं लेते प्रेक्टीकल ग्राउन्ड्स पर इसका अलॉटमेंट किया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : हाउसिंग लोन के लिए जो ऐप्लीकेशन्स पेन्डिग पड़ी हुई हैं, कितने वर्षों से पेन्डिग पड़ी हुई हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि कुल १५६ एप्लीकेशन्स हैं जो पेन्डिंग है। अब पेन्डिंग कई वर्षों से हैं यह बात तो उसमें आती नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने पिछले चार साल के अन्दर जयपुर को ५० लाख रूपया दिया है और दूसरे शहरों में जोधपुर और अजमेर के अन्दर ५ लाख रूपया ही दिया है। आपने जयपुर के अन्दर पर्टीकूलरली ५६ से ५६ तक करीब ५० लाख रूपया लोन दिया है और जोधपुर और अजमेर के लिए केवल ७–८ लाख रूपया ही लोन दिया है तो इतनी डिस्पेरिटी एक दूसरे शहरों में क्यों होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मकानों की बड़ी भारी कमी है और जो किया गया है वह ठीक है।

श्री मूलचन्द डागा : मांग तो सभी जगह है जोधपुर और अजमेर में भी है। आप जयपुर को अकेले को ५० लाख रुपया दे दें और दूसरों को ४, ४ लाख ही दें, यह कहां तक जस्टीफाइड है ?

श्री मोहललाल सुखाड़िया : कुछ जगह तो देकर भी लेप्स हो जाता है और कुछ जगह डिमाण्ड ही ज्यादा से ज्यादा रहती है।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : क्या सरकार को यह मालूम है कि झालावाड़ जैसे जिले के अन्दर ऑफिसरों के मामलों में क्लर्कों के रहने की व्यवस्था भी नहीं है तो ऐसे जिलों को विशेष सहायता देने के लिए सरकार विचार रखती है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो लो इन्कम ग्रुप का मामला है और ऑफिसरों का मामला अलग है। वैसे ऑफिसरों के लिए भी कोशिश की जा रही है।

श्री रामचन्द्र : उनके लिए मकान नहीं मिलते हैं उसका कारण यह है कि जो ऑफिसर या कर्मचारी वहाँ पर पहुंचता है वह दूसरे दिन ही तबादले के फिक्र में रहता है। इसलिए जिले की विशेष उन्नति भी नहीं हो पाती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट चीज है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दरअसल जिले ज्यादा हैं और मकानों की बहुत कमी है अब उनको धीरे धीरे पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भैंवरलाल 'कालाबादल' : क्या सरकार की जानकारी में है कि....

श्री उपाध्यक्ष : I have taken another question.

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : This may be replied.

श्रीउपाध्यक्ष : Shri Satish Chandra wants that this should be replied.

Page No.26

३३५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर—श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा] : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. सोजत नगर की गाड़िया लुहार कॉलोनी का निर्माण कब हुआ, उस पर कितना खर्च हुआ और कुल कितने क्वार्टर बने ?

२. क्या यह सच है कि उनमें से कई क्वार्टर पहली बरसात में ही ढह गये ? यदि हां, तो क्यों तथा उसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

३. क्या यह भी सही है कि समाज कल्याण विभाग ने ४० हजार रुपये की राशि इन क्वार्टरों की मरम्मत के लिए स्वीकृत की है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) : १. सोजत नगर की गाडिया लुहार कॉलोनी का निर्माण ५६—५७ में हुआ। इस कॉलोनी पर कुल ३३,२०५ रु० खर्च हुए कुल १०२ क्वार्टरों में से ९९ पूरे व ३ अधूरे बने।

२. जी हां, । पहली बरसात के अन्त तक २७ क्वार्टर ढह गये, और क्वार्टर ढहने का कारण निर्माण कार्य में त्रुटि रहना पाया गया। जिम्मेदारी स्थिर करने के संबंध में कार्यवाही चल रही है।

३. जी हां, समाज कल्याण विभाग द्वारा उन मकानों की मरम्मत व पूर्ति के लिए ३९,९०० रु० की रकम अतिरिक्त सहायता के रूप में ५८—५९ में ९९ परिवारों को स्वीकृत की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उस ठेकेदार का जिसने उन क्वार्टरों को बनाया था फाईनल पेमेन्ट कर दिया गया ?

श्री भीखाभाई : फाइनल पेमेन्ट हो गया है। वहां पर एक समिति थी जिसमें कलेक्टर की ओर से एस. डी. ओ. अध्यक्ष तथा कई गैर सरकारी सदस्य थे। उस समिति के मंत्री तहसीलदार थे। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। फाइनल किस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए वह रिपोर्ट कलेक्टर की ओर से नहीं आई है।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : यह कार्यवाही कब हुई है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस इन्जीनियर ने सर्टीफाई किया था कि कॉन्स्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है और टेकनिकेली करेक्ट है ?

श्री भीखाभाई : जिसने सर्टीफाई किया था उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) क्या यह क्वार्टर्स पी. डब्लू. डी. के मारफत बने थे या इन्डिपेन्डेन्टली बने थे।

श्री भीखाभाई : मैंने आपसे अर्ज किया कि उसमें पी. डब्लू. डी. के ओवरसियर भी थे, तहसीलदार भी थे, एस. डी. ओ. भी थे, चेयरमैन साहब भी थे तथा और कई आदमी थे। कलेक्टर ने जिम्मेदारी ली थी कि यह काम अपनी ओर से कर दिया गया। उस समिति के द्वारा यह काम हुआ।

श्री रामचन्द्र : क्या यह सही है कि...

Page No.27

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : इतने क्वार्टर्स ढ़ह गये तो सरकार ने कारण का पता लगाया ?

श्री भीखाभाई : सरकार ने खुद ने....

श्री महेन्द्रसिंह : मैं सुन नहीं पाया। साफ बोलें। श्रीमान्, आप माननीय मंत्री महोदय को हिदायत करें कि साफ बोलें।

श्री भीखाभाई : प्रिलिमिनेरी जांच हो गई है। फिर फर्दर जांच के लिए कलेक्टर साहब के पास मामला भेजा गया है। वहां से साबित होने पर जिसका कसूर पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : उस प्रिलिमिनेरी जांच का नतीजा क्या हुआ ?

श्री भीखाभाई : प्रिलिमिनेरी जांच पर ओवरसियर पर जिम्मेदारी आयद होती है, तहसीलदार पर आयद होती है और ठेकेदार पर आयद होती है।

श्री भानसिंह (बयाना): प्रिलिमिनेरी जांच होने के बाद दुबारा जांच करवाना क्यों जरूरी समझा गया ?

श्री भीखाभाई : मैंने आपसे अर्ज किया कि प्रिलिमिनेरी जांच हुई थी वह एस. डी. ओ. के द्वारा हुई थी। एस. डी. ओ. से ऊपर कलेक्टर होता है इसलिए दुबारा कलेक्टर से पूछा गया है कि उनका क्या कहना है ?

श्री भानसिंह : पहले गवर्नमेन्ट को मालूम नहीं था कि एस. डी. ओ. कलेक्टर के नीचे होता है। एस. डी. ओ. ने जब किसी पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की है तो दुबारा कलेक्टर को क्यों दिया गया ?

श्री भीखाभाई : सारी जिम्मेदारी कलेक्टर ने ली थी इसलिए वापिस उनको जांच के लिए दिया गया।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई): What action has been taken on the preliminary enquiry ?

श्री भीखाभाई : फाईनल एन्क्वायरी की जारही है और एक्शन लिया जावेगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : Why the preliminary was shelved ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समिति के प्रधान कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : इसका मैंने अर्ज किया कि स्पोन्सरिंग एजेन्सी कलेक्टर थे। कलेक्टर ने समिति बनाई थी। ओवरऑल सुपरवीजन कलेक्टर का था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समिति के प्रधान का नाम जानना चाहता हूँ। कार्यवाही नहीं पूछना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जिनका आप सोचते हैं वे नहीं हैं। (हंसी)

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि एस.-डी. एम. ...

श्री विशम्भरनाथ जोशी : I insist on my supplementary. I had asked that why the preliminary enquiry has been shelved.

श्री भीखाभाई : it is not shelved but it has been seen sent to the Collector final examination. As soon as it is received, the culprits will be punished.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : It is hardly audible.

श्री भीखाभाई : That is not my fault.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

आधे घंटे की चर्चा सम्बन्धी

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): श्रीमान्, सदन के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन में आधा घन्टे की बहस के लिए प्रश्न दिये हुए हैं। उन्हें बहुत अर्सा हुआ है। नियमानुकुल कोई दिन निश्चित नहीं किया गया। पुराने नियम आपने हटा दिये हैं उनके अनुसार हफ्ते में दो दिन निश्चित होते थे। जब कि आपको अधिकार दे दिया गया है सदन के द्वारा कि आप दिन निश्चत करेंगे, लेकिन अभी तक कोई दिन निश्चित नहीं हुआ है। उनके संबंध में अगर ऐसा दिन निश्चित नहीं होगा तो क्या यह समझा जाय कि आपको अधिकार मिल जाने से सदन के अधिकार समाप्त हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष : You mean the questions to be answered in my Chamber.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आप जैसा चाहें जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : Please meet me in the Chamber and I will fix up the date.

११.५७ म. पू.

विधाई कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

(प्रवर-समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति तथा खंडशः विचार विमर्श का प्रारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष: Yes. The hon'ble minister to reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बिल पर आमतौर से जो बहस हुई उसको सुन कर और देख कर...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of order Sir, when the leader of the House is replying, this hustle and budtle should stop immediately. whatever this distribution is go'ng on must stop, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes please stop him

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो इस बिल पर चर्चा हुई है उससे मैं समझता हूं कि इस विधेयक को आमतौर से सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने पसन्द किया है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी बातें बहस के दौरान में सामने आई हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इसको डिसेन्ट्रेलाइजेशन कहना गलत होगा। यह तो एक डेलीगेशन है। इसके डिसेन्ट्रेलाइजेशन का नाम दिया जाता है वह उचित नहीं। मैं यह

Page No.29

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक डि-डिन्ट्रेलाइजेशन का नाम देना या डिसेन्ट्रे-लाईजेशन की चर्चा करना इसका मैं समझता हूं कि प्रश्न खड़ा नहीं होता है। वह कोई हम लोगों का इजाद किया हुआ नाम नहीं है। यह बलवन्तराय मेहता कमेटी ने इस योजना के संबंध में जो कुछ कहा उसके अन्दर यह डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन शब्द प्रचलित हुआ सारे भारत के अन्दर और उसके बाद जो यह बिल प्रस्तुत किया है उसमें पंचायत समिति तथा जिला परिषद् बिल की तरह पर यहां है, और जो बातें मूल में इसके अन्दर दी गई हैं, मैं समझता हूं, बलवन्तराय मेहता कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं और जो उसके मूल आधार थे उन आधारों से इधर उधर न होकर बल्कि राजस्थान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कुछ अधिक आगे बढ़ा जासके उसको लक्ष्य में रखते हुए इस बिल को सलेक्ट कमेटी के द्वारा और सरकार के द्वारा भी यहां पर प्रस्तुत किया गया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिन कारणों को लेकर इसको डेलीगेशन ऑफ पॉवर और दूसरा कहा जाता है तो एक बहुत बड़ी बात जिससे कि आभास होता है कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन है या नहीं उसी एक टैक्सेशन की पॉवर होती है। जिस बॉडी को टैक्सेशन का पॉवर देते हैं और उसके साथ साथ कुछ सर्विसेज जिसके पास में है, जिनको अपना बजट पास करने का अधिकार है, उसके अन्दर डीसेन्ट्रेलाइजेशन के जो तत्व हैं स्वाभाविक तौर से उनका समावेश हो जाता है। अब यह ठीक है कि जिला परिषद् के पास बजट भेजने की बात हमने कही, लेकिन अन्ततोगत्वा अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उसके पश्चात् मानना या न मानना यह सारी पंचायत समिति के अधिकार के अन्दर बात रखी गई है। तो पंचायत समिति को वह सत्ता प्राप्त है कि जिस सत्ता के भीतर वह अपने वहां का बजट स्वीकार करके उस पर अमल कर सकती है। यह खुद में एक बड़ी निर्णायक चीज है जिससे इसकी एक दिशा का अन्दाज हो सकता है। उन्हीं चीजों के अन्दर यह भी कहा गया है कि डीसेन्ट्रेलाइ-जेशन की बात इसलिए सोची गई है कि गवर्नमेंट कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के काम काज के अन्दर असफल हो गई है और बहुत सी बातें सामने आई हैं। इसकी वजह से जब डीसेन्ट्रेलाइजेशन की तरफ कदम उठाया जाता है। सच बात तो यह है माननीय उपाध्यक्ष, कि जिस और भारत हो चाहे और कोई मुल्क हो वह जितना आगे बढ़ता चला जाता है और जो अनुभव सामने आते जाते हैं उनसे परिवर्तन निरन्तर होता जाता है। कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जब शुरू हुए उसी स्टेज पर इस बात को लागू कर देते तो सफलता के बारे में, वातावरण के बारे में जो शिकायत सारी हुई हैं उसी तरह की स्थिति होती। कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ने उस समय जो कुछ किया है, उनसे काफी हद तक गांवों के अन्दर जहाँ कि ब्लकॉस खुले हैं वहां पर वातावरण पैदा करने का कार्य आगे हुआ है।

(१२. म० प०)

यदि यह नहीं होता और खाली असफलता की बात होती तो मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य जानते हैं ब्लॉक्स के बारे में इतनी उत्सुकता नहीं होती। हर जगह लोग चाहते थे कि हमारे यहां विकास खंड खुलें, हमारे यहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

विकास खंड खुलें। इसका मतलब यह है कि इसके जरिये एक हद तक हम आगे बढ़ने के लिये कामयाब हुए हैं। इससे भी और आगे तेजी से बढ़ें इसके लिए यह प्रयत्न है। जो कुछ हुआ, असफलता हुई या सफलता मिली यह दूसरा प्रश्न है। राजस्थान में किस तरह से पिछले अर्से में सामुदायिक योजना का कार्य किया है उसका उल्लेख न सिर्फ राजस्थान में ही है बल्कि अखिल भारतीय आधार पर इसको सराहा गया है। अलग अलग टीम्स यहां का वर्किंग देखने के लिए आई। उन्होंने अच्छी दिशा में यहां पर लोगों को काम करते पाया। यह उसका बेक ग्राउन्ड है और इस वजह से कर दिया है, आपका यह मानना उचित नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई कि यह सरकार इसलिये कर रही है कि अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल रही है क्योंकि गांवों पर टैक्स बढ़ाने की योजना है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा और भी अवसर आयेंगे, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी पंच-वर्षीय योजना में जो कुछ कर पाये और जितना आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को निवेदन करूं कि ५८-५९ के लिए राजस्थान को इस बात का गर्व हो सकता है कि जो कुछ हमने बजट में विकास के खर्चे के लिए रखा था करीब करीब शत प्रतिशत खर्चा राजस्थान करने में सफल हुआ है। (करतल ध्वनि)

रिसोर्सेज रेज करने के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया था प्लानिंग कमीशन ने जो हम से आशा की थी उसकी पूर्ति हमने की और उससे भी आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज और टैक्सेशन बढ़ाने का भी सवाल है। यदि सदन इस राय का है कि न टैक्स होना चाहिये और न रिसोर्सेज इकट्ठे होने चाहिये तो अदब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में बड़ी बड़ी जिम्मे-दारियों आनेवाली हैं और हम यदि चाहते हैं कि राजस्थान को तेजी से आगे बढ़ावें तो जो जहां तक जितना कर सकें उसके लिए वातावरण तैयार करना पड़ेगा। आज गांवों में पहले की परिस्थिति और आज की परि-स्थिति, आज की आमदनी और आज की दूसरी चीजों को देखते हैं तो पता चलेगा कि रिसोर्सेज ऑब्लिगेटरी नहीं रखे हैं। यह गांव वालों के लिये है कि वे किस तरह से अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं? जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि लेबर टैक्स जैसी चीज को भी कम्पलसरी नहीं रखा। हमने लेबर टैक्स या पर्टिकुलर टैक्स जान बूझ कर ऑब्लिगेटरी नहीं किया। हम जानते हैं कि अलग अलग पंचायतों की परिस्थिति देखते हुए रिसोर्सेज रेज करने के मामले में सोचें और उनको कदम उठाना चाहिये। चाहे वह लेबर के शेप में हो, चाहे टैक्सेशन के शेप में हो चाहे कॉमोडिटीज इकट्ठा करने के शेप में हो जिनसे रुपये इकट्ठे किये जा सकें, यह लोकल सर्कम्स्टेंन्सेज पर डिपेन्ड करता है। वे क्या करना चाहते हैं, इस तरह से काम को आगे बढाने के लिए स्थानीय तरीके से काम हो इसलिए किया गया है न कि गांववालों पर टैक्सेशन का वजन डालने के लिये किया है। वजन तो आप और हम सब पर आयेगा, यह सबको अच्छी तरह से ज्ञात है। यदि तृतीय योजना को अच्छी तरह से चलाना है तो सारे भारतवर्ष पर १४ प्रतिशत के आसपास जो नेशनल इन्क्रीज्ड इन्कम है उसको वापिस

Page No.31

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इन्वेस्ट करना होगा जिससे कि पूरा प्लान आगे बढ़ता चला जाय। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनको व्यापक रूप से लेने पड़ेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था कि इस योजना में खतरा ऐसा है कि जो १७६ माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वे ऐसे कैसे चलने देना चाहते हैं ? असल में हम जो यहां बैठते हैं वे सही माने में अगर इसे सफल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वातावरण पैदा करना होगा। वातावरण इसलिए पैदा करना है कि गांववालों का इनिशियेटिव कम न हो। आज भी जो गांववाले काम करना चाहते हैं वे अपने गांव का विकास करते चले जाते हैं और जो सब कुछ दूसरों से कराना चाहते हैं उनका विकास रुक जाता है। तो राजस्थान को यदि तेजी से बढ़ाना है तो सब कोई सहयोग देंगे तभी यह तेजी से आगे बढ़ेगा। यह वातावरण सदन के जरिये ही पैदा किया जा सकता है।

बहुत से माननीय सदस्यों, का कहना है कि इस योजना के जरिये आप क्या दे रहे हैं सब कुछ पहले से ही था, नया क्या दे रहे हैं मैं यह समझ नहीं पाया कि यह क्या दलील दी जा रही है जो कुछ यहां नया हो रहा है उसका सबूत तो यह है कि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारतवर्ष में जो राजस्थान कर रहा है उसकी चर्चा है, इसके लिये सदन को गौरव होना चाहिये। हम पहल कर रहे हैं इसको सब सब कोई मानते हैं और हमारे ही माननीय सदस्य कहें कि यह तो सब कुछ मौजूद है तो यह कहां तक उचित है। सदन के एक पक्ष या दूसरे पक्ष की बात नहीं है, इसमें सबका सहयोग होना चाहिए तभी हम तेजी से आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

रुपये कितने दिये जा रहे हैं इसके बारे निवेदन करूंगा कि ८, ६ करोड़ रुपयों के आसपास आने वाले साल में पंचायत समितियों के जरिये खर्च होंगे। रुपयों का इतना ख्याल नहीं है लेकिन ख्याल इस बात का है कि वे खुद बैठ कर निर्णय कर सकें कि उनके गांव में क्या क्या होना चाहिए और उसका विकास किस तरह से होना चाहिए।

इसी तरह से यह बात कही गई कि लैंड रेवेन्यु का बहुत कम हिस्सा दिया है, ज्यादा देना चाहिए। मैंने शुरू में निवेदन किया था कि राजस्थान में लैंड रेवेन्यु का एसेसमेंट इतना अलग अलग है कि आज पर्सेन्टेज तय करना मुश्किल हो जाता है। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी कहा कि पर्सेन्टेज मुकर्रर करना चाहिए। लेकिन मान लीजिये प्राईमरी स्कूल्स को ही ट्रान्सफर करते हैं तो उनका कॉमिटेड एक्सपेन्डिचर २ करोड़ से ऊपर का होता है। इसी तरह से यदि और सर्विसेज को ट्रान्सफर करते हैं तो उसका एक्सपेन्डिचर और भी अधिक होगा। कहने के लिए तो ५० परसेन्ट या ६० पर्सेन्ट ट्रान्सफर कर दिया लेकिन दूसरी तरफ कॉमिटेड एसपेन्डिचर ट्रान्सफर करते हैं तो माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि जो खर्चा उनको करना होगा वह काफी होगा जो खर्चा करना है वह सरकार करेगी डिपार्टमेंट की पुरानी स्कीम्स एडजेस्ट करके उसके साथ चलाने की बात आयेगी। जब ये बातें देखते हैं और कदम उठाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लैंड रेवेन्यु अलग अलग जगह इतना डिफर करता है कि एक जगह ५० पर्सेन्ट दे दीजिए

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तो ५० हजार रुपये हो सकते हैं और दूसरी जगह उसी ५० पर्सेन्ट से २,३ लाख रुपये हो सकते हैं तो जब रेस्पोन्सिबिलिटीज भी उसी तरह ट्रान्सफर की जाती हैं कॉमिटेड एक्सपेन्डिचर को सामने रखते हुए तो इसमें दिक्कत आयेगी। सब जगह विकास एक सा हो और विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिले इसके लिये लैंड रेवेन्यु का पर्सेन्टेज एडहोक बेसिस पर देख लेना है। कॉमिटेड खर्चे का सारा भार गवर्नमेंट उठा रही है और गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी तो जो बिल यहां राजस्थान में लाया गया है और जो कदम यहां उठा रहे हैं उसको कृपया दूसरी जगह जैसे आन्ध्र, मद्रास आदि स्थानों में इस दिशा में कार्यवाही हुई है उन सारी योजनाओं को इसके साथ देख लें या एग्जामिन कर लें तो पंचायत समितियों को दूसरी जगह के मुकाबले में जो पॉवर्स फाईनेन्शियेली, एडमिनिस्ट्रेटिवली या डेमोक्रेटिक बेसिस पर दे रहे हैं वे दूसरों के मुकाबले में कमजोर हों तो उसका पता चल जायेगा।

हमने उसको पूरे तौर पर देखा है और एक कदम आगे रहने की बात सोची है, जिससे दूसरों को मौका दें। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों का कहना यह था कि जैसे रीएक्शनेरी बात हो गई हो, कुछ हुआ नहीं हो, ये सारी बातें कही जाती हैं। यह बात नहीं है। इसलिए इस बात को भी लक्ष्य में रखें विचार करते हुए।

दूसरी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान में यह बात सामने आई कि इसमें चेक्स, कन्ट्रोल और सुपरविजन की बात रखी गई है। मैंने शुरू में निवेदन किया था आज चेक्स, कन्ट्रोल और सुपरविजन रखने की जहां तक बात है, इंगलैण्ड जैसे डेमोक्रेटिक देश में भी इन्सपेक्टर्स होते हैं जो जाकर काम को देखते हैं, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जहां करोड़ों रुपया जाता है, नेशनल प्लान होता है, स्टेट प्लान होता है, प्लानिंग, इकॉनोमिक प्लानिंग का डिसेन्ट्रलाईजेशन करके नीचे तक पहुँचाते हैं तो उसके मुताबिक कामकाज होता है, या नहीं और जो पैसा दिया जाता है उसका उपयोग सही दिशा में होता है या नहीं, इसकी ओर आज ध्यान नहीं दिया और जब कुछ हो जाय तब ध्यान दें तो एक पेचीदगी पैदा हो जाती है। मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, इस फाईनेन्शियल रूल्स के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान के लिए फैसला किया है कि यदि इस साल ३०,३५ करोड़ रुपये का खर्च है, उस का तीन महीने में जब एक्चुअल अकाउन्ट फाईनेन्स मिनिस्ट्री को भेजते हैं तो ७५ पर्सेन्ट एडवान्स देते हैं। जब तक कम्पलीट रिकॉन्साईल न हो जाय, अकाउन्ट्स के रिटर्न्स बराबर भेजने होंगे। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से असिस्टेन्स और लोन मिलता है, उस पर हम डिपेन्ड हैं, मान लीजिये कि ६ करोड़ रुपया मिला। उसके अकाउन्ट्स का मामला है, रिटर्न का मामला है, उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं हो तो स्टेट बैंकरप्ट हो सकती है, कोई काम नहीं कर सकते, प्लान का काम हाथ में नहीं ले सकते। तो यह कन्डीशन है उसके साथ। इसलिए फाईनेन्सियल दृष्टि से, दूसरे टार्गेट्स की दृष्टि से, जो टार्गेट्स अचीव करना चाहते हैं वे हो रहे हैं या नहीं, यह आवश्यक है। मान लीजिये कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कुओं के लिए पंचायत समिति को १ लाख रुपया डिसबर्समेंट करने के लिए देते हैं तो रिजल्ट यह होता है कि जिनको रुपया दिया, वे कुंए नहीं खोद रहे हैं या खोद रहे हैं, जो सीड दिया, उस सीड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं, प्योर सीड आ रहा है या नहीं, इसलिए इस कन्ट्रोल की बात आ जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो ऑफिसर्स के के लिए कहा जाता है, उस भावना से मैं असहमत नहीं हूँ । लेकिन अन्ततोगत्वा वह स्टेज आनी चाहिए जब पंचायत समिति में जो गजेटेड स्टाफ हो, दूसरा स्टाफ हो, वह उसका खुद का स्टाफ हो । वह कम्पलीट डिसेन्ट्रलाईजेशन की स्टेज में आयेगा । अभी एक दौर से निकल रहे हैं, जिसमें उसको काफी कन्टेन दिया है । साथ ही साथ जो कन्टीन्युटी आज है वह आगे बढ़े, पीछे नहीं हटे, इसलिए यह फैसला किया है । हम चाहते हैं कि बेटर अचीवमेंट हो, सफल हो, रिगार्डेन हो प्रोग्रेस हो । मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आज के वक्त की इकॉनोमिक कन्डीशन्स को इम्प्रूव करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए काम तेजी से हो । इस मौके पर सुपरविजन और कन्ट्रोल प्लान इकॉनोमी के लिए स्वाभाविक हो जाता है । वे खुद जो रिसोर्सेज रेज करती हैं उनको खर्च करने के बारे में, समझता हूँ छूट रखी हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया है कि हमने इस धारा में रखा है कि जो बी. डी. ओ. एक्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उसको हटाने के लिए तीन चौथाई मेजोरिटी चाहिए, यह उचित बात नहीं है । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि या तो प्रधान के कहने पर हटा दिया जाय या सिम्पल मेजोरिटी से हटा दिया जाय । एक दो माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि इस धारा को ही नहीं रखना चाहिए, यह उपयुक्त नहीं है । यह माननीय सदस्यों के द्वारा फैसला करने की बात है कि यह धारा रखी जाय या नहीं रखी जाय । अगर यह धारा रखी जाती है तो मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य सहमत होंगे कि जो ऑफिसर वहां पर हो उसकी यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि वह हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि मेजोरिटी से इधर और उधर आना जाना हो सकता है । यह स्थिति रहती है तो वे ऑफिसर काम काज करने के बजाय यह अपने माइन्ड में रखेंगे कि मेजोरिटी को खुश करते रहें । तीन चौथाई मेजोरिटी का मतलब यह हो जाता है कि सदस्यों में बहुत बड़ा असंतोष हो जाता है और उस ऑफिसर का वहां कन्टीन्यू करना वाजिब न हो तो उसे वहां से रिकॉल किया जा सकता है, उसका ट्रान्सफर हो सकता है, उतने शब्द में जितना म्यूनिसिपेलिटीज में रखा जाता है । इससे पंचायत समिति की भी यह फीलिंग रह सकती है यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि हम सब उस ऑफिसर के खिलाफ हों तो उस ऑफिसर को थोपा नहीं जायेगा । इसलिए यह जो धारा है, यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि नहीं रखनी चाहिए तो यह सोचने की बात है । अगर यह धारा रहनी चाहिए तो सिम्पल मेजोरिटी पर हो, यह उचित नहीं है । इसके साथ ही साथ ट्रान्सफर और दूसरे सवालात खड़े होते हैं । मैं समझता हूँ कि माननीय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सदस्य यह चाहेंगे कि प्रोपर चेक रहे जिससे उसके लिए कामकाज करने के ज्यादा अवसर हों और ठीक तरह से काम करते रहें, तब तक वे कन्टीन्यू कर सकते हैं। इसी बात पर यह कहा गया, उपाध्यक्ष महोदय, कि प्रधान को हटाने के लिए दो–तिहाई ऑफ टोटल मेम्बर क्यों होने चाहिएँ ? जो मेम्बर प्रजेन्ट हों, उनमें से मेजोरिटी अगर खिलाफ में वोट देती है तो उसको हटा देना चाहिए। यह एक स्वाभाविक बात लगती है लेकिन हम यह समझ कर चलें कि यह पंचायत समिति जो है वह गाँव के लेवल पर आखिर क्या कन्क्लूजन करती है, यह देखें। मैं समझता हूं कि हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि गाँव में यूनेनिमिटी हों, ज्यादा से ज्यादा नजदीकी हों, गाँवों में पार्टी फ्रेक्शन्स कम हों, वे मिल जुल कर काम कर सकें। अगर दो–तिहाईवाली बात को नहीं रखते हैं और सिम्पल मेजोरिटी की बात रख देते हैं तो परिणाम यह हो सकता है जैसे मान लीजिये किसी पंचायत समिति में २५ मेम्बर हैं और किसी मौके पर, जैसा कि कई बार हुआ है, मौजूद १५ सदस्य हैं उनमें से आठ ने मिलकर वोट ऑफ नोकॉन्फिडेन्स पास कर दिया यानि २५ मेम्बर में से ८ मेम्बर मिल कर हटा देते हैं। अब जो आदमी हटता है उसके पीछे उन ८ आदमियों के पास ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो आगे कन्टीन्यू कर सकेगा यानि हटा तो लिया और हटानेवाले व्यक्तियों के पास ऐसा व्यक्ति हो, जिसको चेयरमैन बनाकर मजबूती के साथ काम चल सकता है तो पंचायत समिति में स्थायित्व होगा। नहीं तो आज ८ मेम्बर मिल कर एक व्यक्ति को हटा देते हैं, जस्ट मेजोरिटी से हटा देते हैं, अब उस जगह पर दूसरा व्यक्ति आयेगा उसको दूसरे मेम्बर हटाने लगेंगे। यह हटाने का सिलसिला आसान न बने और पंचायत समिति में स्थायित्व आये, इसलिये यह क्लॉज रखा गया है कि अगर हटाया जाय तो सब्स्टेन्शियल मेजोरिटी रहे। इसलिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेजोरिटी से रखा जाता है उसको अवसर दिया जाना चाहिए जिससे वह काम करें और आसानी से रातदिन फेर–फार का सवाल न आये। इसके साथ ही इस बात को जोड़ा गया कि प्रधान को दो-तिहाई मेजोरिटी से हटाते हैं कि और बी. डी. ओ. तीन –चौथाई मेजोरिटी के साथ हटाना पड़ेगा, यह एक प्रेस्टिज का सवाल है। मैं समझता हूँ कि आप प्रधान को हटा सकते हैं क्योंकि वह पार्ट ऑफ ऑर्गेनाईजेशन है। मिसाल के तौर पर आप मुझे हटा सकते हैं पर मैं समझता हूँ कि आप एक तहसीलदार को नहीं हटा सकते हैं, जब तक कि आप फॉर्मेलिटीज को पूरा न करें। उसको आप हटा नहीं सकते, मुझे आप हटा सकते हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि ऑफिसर को वोटिंग में क्यों डाला जाय ? यह दलील समझ में आ सकती है। लेकिन यह कहना कि दोनों के वास्ते दो–तिहाई मेजोरिटी हो, एक मेजोरिटी हो क्योंकि यह प्रेस्टिज का प्रश्न है, गलत है क्योंकि उसको सिर्फ रिकॉल करना है, उसको मेजोरिटी से हटाने के बाद भी डिसमिस नहीं कर सकते जब तक कि उसे चार्ज शीट वगैरह न दे दें। मैंने कई बार बहस के दौरान में देखा ऐसा मालूम पड़ता है कि हम इस बात से ज्यादा प्रभावित होते हैं कि अमुक ऑफिसर की पोजीशन क्या है, क्या नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऑफिसर्स डिसीजन्स को एक्जीक्यूट करनेवाले हैं, वे अपने तरीके से एक्जीक्यूट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रेंगे। पंचायत के डिसीजन होंगे, उनको एक्जीक्यूट करेंगे। जो इलेक्टेड बॉडी है, वह अपनी प्रेस्टिज इसमें इनवॉल्व्ड समझे कि बी. डी. ओ. को हटाने में कितने वोट हैं, कलेक्टर उसके सबोर्डिनेशन में हो, जो सेक्रेटरी बनता है, एक्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है, वह सबोर्डिनेट हो इसी पर सारी स्कीम की सक्सेस डिपेन्डेड है, मुझे क्षमा करें यह जो स्प्रिट है, यह भावना है यह इससे मेल नहीं खाती......

असल में हमें जो कामकाज करना है वह डिफरेंट बात है। 'कलेक्टर की एजेन्सी एक काम के लिए होते हुए भी दूसरी भी रेस्पोन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं। तो हमें सोचना यह है कि पंचायत समितियां और जिला परिषदें जो फैसला करती हैं उस फैसले को कोई एक्स० वाई० जेड० पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिये, यह तो कानून बनाने वाली बोड़ी का काम हो सकता है, यह तो हमारा काम हो सकता है पर कलेक्टर का स्थान क्या हो, एस० डी० ओ० का स्थान क्या हो यह तो हमारे लिए सोचना उचित नहीं होता। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट में दिया कि ए० डी० ओ० पंचायत समिति का और कलेक्टर जिला परिषद् का चेयरमैन हो। हमें कहा जाता है कि कुछ नहीं हुआ पर इतनी बड़ी चीज है। हमने शुरू से ही इलेक्टेड आदमी को चेअरमैन स्वीकार किया है, नोन–ऑफिशियल आदमी की प्रेस्टिज़ चेअरमैन के तौर पर होती है। बहुत से काम रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स के माफिक होंगे।

एक माननीय सदस्य जो आमेर से चुन कर आये हैं यदि मैं गल्ती नहीं करता तो उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिये, मैं उन्हें जहाँ तक समझ पाया हूँ, उनका आशय था कि इस योजना का यह फल होगा कि गाँवों में हरिजनों के साथ ज्यादतियाँ बढ़ जायेंगी। जहाँ तक मुझे याद है एक ही माननीय सदस्य ने इस प्रकार की भावना जाहिर की थी। नोमिनेशन के लिये उन्होंने यह कहा कि इस दृष्टि से रखा है और सवालात खड़े हों तो उनके लिये उनके पास लॉ एण्ड ऑर्डर नहीं है। इससे यह ख्याल करना कि हरिजनों के साथ ज्यादती होगी, दूसरी बातें होंगी, यह हो नहीं सकता। शिड्यूल कॉस्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के प्रतिनिधि भी, जो पंच गाँवों में बैठेंगे तो बराबर के दर्जे से उन लोगों के साथ बैठेंगे। उनका मनोवैज्ञानिक असर उन गाँवों तक पहुँचाने वाला है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कोऑप्शन इतना नहीं होना चाहिये और एक माननीय सदस्य ने कहा कि कोऑप्शन इसलिये रखा है कि कांग्रेस कुछ आदमियों को वहाँ पहुंचा देना चाहती है। मैं निवेदन करूं कि कोऑप्शन हमने जान-बूझ कर नहीं रखा। सरपंच किसी कांग्रेसमैन को कोऑप्ट करना चाहते हैं तो कानून में तो धारा नहीं रखी जा सकती कि कांग्रेसमैन को नही लें। यह तो उन सरपंचों पर ही छोड़ा है कि वे चाहें उसको लें। जहाँ तक तादाद का सम्बन्ध है, कितनी तादाद हो इस मामले में मेरा कोई पार्टिक्यूलर इन्सिस्टेन्स नहीं है।

कृषि–निपुण के बारे में भी यही रखा है कि रूल्स के माफिक डिक्लेअर्ड हो–प्रौढ़-

Page No.36

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

क्शन और दूसरी चीजें उसी को कृषि-निपुण रखा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): That we have got only one expert in Rajasthan.

श्री श्रीभानसिंह : No, he has created tow more experts.

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कृषि-पण्डित एक होता है वह तो है ही, निपुण तो कई हो सकते हैं जो हैं ही।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि नोमिनेशन के बारे में धाराएं यदि आयें तो इस समय उस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह सिस्टम रखा है इसमें इल्लिटरेट बहुत से आयेंगे। शायद यह पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि सरपंचों को ले रहे हैं इससे इल्लिटरेट आ जायेंगे; इसलिए ब्लॉक को कॉन्स्टीटयूएन्सी मान कर डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिये और इस तरह इलेक्ट किये हुए जो लोग हों वे कामकाज चलायें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इसकी बेसिक भावना के विपरीत है। हम पंचायत समिति और ज़िला परिषद् को ऐसी बोडी नहीं मानते जो सारा इम्प्लीमेन्टेशन करने वाली बोडी हो। इनके फैसलों को इम्प्लीमेंट करने का बेस पंचायतों को माना है। तो इस तरह यदि पंचायतों का बेस हट जाता है तो सारा स्ट्रक्चर ही पलट जाता है। गांवों के रहने वाले चाहे पढ़े लिखे कम हों पर उनमें व्यवहारिक ज्ञान ज़रूर होता है और बहुत सी बार बहुत से पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा अच्छा फैसला वे लोग करते हैं, गांवों की समस्या पर निकट से विचार कर ठीक तरह से फैसला कर सकते हैं।

इन्डायरेक्ट इलेक्शन की बात इसमें इसलिये नहीं रखी है कि हमारे सरपंच अपनी पंचायतों के क्षेत्र में डायरेक्ट इलेक्शन से चुने गये हैं। दूसरी बात है इम्प्लीमेंट करना जो फैसले होंगे कि अमुक पंचायत को इतना अलॉट होगा, अमुक को इतना होगा, तो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सरपंचों की अपने पंचायत क्षेत्र में, अपनी पंचायत में विशेष स्थिति है। नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल के लिए यदि आप कहें कि मेरी बजाय आप किसी और को चुन कर भेजेंगे और आप यहां बैठे रहिये, वहां दूसरा जाकर रिप्रेजेन्ट कर आयेगा पर आखिर इम्प्लीमेंट तो मुझे करना है। यहां सरपंचों को इसलिए रखा है कि पंचायत में सरपंच बैठ कर काम करते हैं, उनका ऑफिस होता है जितना इनिशियेटिव सरपंच ले सकता है उतना दूसरा नहीं कर सकता। तो पंचायतों के अन्दर दो बोडीज़ हो जायं, सरपंच तो वह है और इम्प्लीमेंट दूसरा करे तो कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायेंगे। इसलिए इसमें रखा गया है कि सरपंच ही वहां जाकर अपने क्षेत्र की प्रोब्लेम्स हैं उनके सामने रखने के लिए रिप्रेजेन्टेटिव का काम करे और फिर वहां जो फैसले हों उनको अपने पंचायत क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम इस योजना को एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि एक्सपेरिमेंट

Page No.37

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का यहां पर कोई सवाल नहीं है एक्सपेरिमेंट का सवाल तो तब होता जब कि हम कुछ जगहों पर ही इस योजना को कार्यान्वित करते। कुछ जगह करने का इसलिये हमने छोड़ा कि उसका मतलब यह होता कि हम परीक्षण कर रहे हैं। पर हमने इस योजना को सब जगह कार्यान्वित करने का रखा है। क्योंकि हमें इस तरफ जाना है। भारत वर्ष में इस तरह की परम्पराएं थीं, पंचायतों की और गणतन्त्र की परम्पराएं हमारे यहां थीं। अगर आज डेमोक्रेसी को हम स्ट्रोंग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि मैं डीसेंट्रेलाइजेशन को गांवों तक पहुंचाना होगा। तभी स्थायी तौर पर हमारा राष्ट्र डेमोक्रेटिक बनेगा। तो इसमें एक्सपेरिमेंट का प्रश्न नहीं। हां, ज्यों ज्यों हमें अनुभव हों उन अनुभवों के आधार पर हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करते हैं तो इसके माने यह नहीं कि परीक्षण कर रहे हैं। परिवर्तन हमने समय समय पर किये हैं और कर रहे हैं इससे यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान का राज्य एक्सपेरिमेंटल के तौर पर चल रहा है। परिवर्तन हो सकते हैं एक्सपीरियेंस के आधार पर यह एक्सपेरिमेंट तो नहीं है कि जिसको ड्रोप कर सकते हों। ड्रोप करने का तो प्रश्न ही नहीं, हमें तो बराबर इसको गति देते हुए चलना है। एक्सपेरिमेंट के बारे में माननीय सदस्य नहीं सोचें। कभी सोचें तो इस बारे में सोचें विचार करें कि किस तरह हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं।

पंचायतों के संगठन के बारे में सदन में काफी चर्चाएं हुई। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि न्याय पंचायतें और मौजूदा पंचायतों का ढांचा है उसे बदल कर न्याय पंचायतों और डवेलपमेंट के कामों को अलग कर देना चाहिए। सिद्धान्ततः मैं मानता हूँ कि न्याय-पंचायतों का काम अलग होना चाहिये और जो पंचायतें विकास का, एग्जीक्युटिव का काम करनेवाली है उनका ढांचा दूसरा होना चाहिये।

दोनों को मिला देने से एक दूसरे पर काम काज में असर पड़ सकता है। प्रश्न यह है कि आज पंचायतों और तहसील पंचायतों का जो चुनाव हुआ है वह एक पर्टीकुलर बेकग्राउन्ड में हुआ है। यह एक पर्टीकुलर सेट अप हुआ है। कुछ आदमी तहसील पंचायतों में जाना पसन्द करनेवाले थे। वे वहां पर गये और जो लोग पंचायतों में काम करने वाले थे और पसन्द किया वे लोग पंचायतों में आये और यह सारा का सारा संगठन बना हम जल्दी ही मौका आने पर पंचायतों के संबन्ध में बिल लाना चाहते हैं कि भविष्य में पंचायतों का सेट-अप कैसा होना चाहिये। आज कोई पंचायत बड़ी है और कोई छोटी पंचायत है। आज हम पंचायतों के क्षेत्र को छोटा करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि एक गांव में एक स्कूल, एक कोऑपरेटिव आदि हो और इसी आधार पर डवेलपमेंट होना चाहिये, इसी पर चलना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा आबादी न हो। हम यह चाहते हैं कि १००० या १५०० या २००० की आबादी के लिये एक पंचायत हो। इसके लिये आगे चल कर इसका क्या क्षेत्र हो इसके बारे में कलेक्टरों को हिदायत की गई है कि वे अपने इस संबन्ध में सुझाव भेजें। उस बिल में हम १९६१ में सारे के सारे को नया स्वरूप देना चाहते हैं। सदन उस वक्त यह कह सकता है कि न्याय-पंचायतों का संगठन हो। आज हमारी कई पंचायतें १०,०००, कोई ५०००

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और कोई ४,००० की आबादी की हैं। जिस समय अलग न्याय-पंचायत होगी तो एक पंचायत की आबादी ४ या ५ हज़ार से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। क्योंकि अगर हम २० या २५ हज़ार की आबादी के लिये एक न्याय-पंचायत अलग बनाते हैं तो पंचायतों के जरिये लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय मिलना चाहिये वह सिद्धान्त फेल हो जाता है और न्याय एलीमेंट उनसे कुछ दूर चला जाता है। इसलिये उनकी निकटता और दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ढांचा बनाना होगा। तहसील पंचायतें रहे या नहीं इस मौके पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में उसी समय तय किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो बिल लाया जा रहा है उसका परिणाम यह होगा कि ग्राम पंचायतों के सिर पर पंचायत समितियों को थोपा जा रहा है और पंचायतों को एक तरह से खत्म किया जा रहा है। इस संबन्ध में मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि इसका मकसद पंचायतों की आज़ादी को समाप्त करना नहीं है और जहां तक मैं समझता हूं यह बात इसलिये पैदा होती है कि बी. डी. ओ. वगैरह पंचायतों में जाकर उनके कार्य को देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि उनके देख-भाल करने से कोई किसी प्रकार की दिक्कत पैदा नहीं होगी। वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे तो पंचायत के काम काज की देख-भाल कर सकेंगे। हम इनिशियेटिव पंचायतों को ही सौंपना चाहते हैं। हमको पंचायत समितियों के द्वारा ऐसे ट्रेडिशन एस्टेब्लिश करने हैं कि जिनके जरिये पंचायतों के अधिकार दिनों दिन बढ़ते जावें। मैं समझता हूं कि बहुत सी चीज़ों की जो शंकाएं हैं उनका स्पष्टीकरण हो जाता है।

एक और प्रश्न था कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायत समिति में पोस्ट कितनी हो उसके बारे में क्यों फैसला करे? मैं यह निवेदन करूंगा कि आप डवेलपमेंट के काम या किसी सड़क के काम के लिये या स्कूल के लिये यह तय करेंगे कि इतनी स्कूलें या इतनी सड़कें इस साल में बननी चाहिये। एक नॉन रेकरिंग लाइबेलिटी है। मगर एक साल में ५ स्कूलों का प्रोविज़न है और पंचायत समिति यह कहे कि यहां पर १० करनी चाहिये। इससे रेकरिंग लाइबेलिटी आती है। इससे ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये कि कल का स्टाफ है उसको पेमेंट न मिले। उसको पेमेंट का कोई सोर्स न हो और बाद में झगड़ा पैदा हो जावे। इसलिये यह रखा है। हालांकि किसी भी मामले में हैड ऑफ डिपार्टमेंट को काफी अधिकार होते हैं मगर अधिकार होते हुए भी क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए तो फाईनेन्स से ईजाजत लेनी होती है। क्योंकि यह देखना है कि उसको तनख्वाह देने की व्यवस्था हो सकती है या नहीं। इस लिहाज़ से इस व्यवस्था को रखा है कि पोस्ट क्रिएशन के प्रश्न के बारे में पहले बातचीत हो जावे।

फिर ज़िला परिषद् के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है कि ज़िला परिषद् की की कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी व्यवस्था क्यों की गई है इसकी व्यवस्था हटा दी जानी चाहिये। मैंने जैसा शुरू में निवेदन किया कि ज़िला परिषद् का काम,

Page No.39

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है कि जब इसके पास अधिकारी बहुत ज्यादा नहीं हैं, इनके पास स्टेचुअरी पॉवर नहीं है तो जिला परिषद् की क्या जरूरत है ? मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि एलडरली व्यक्तियों की तरह एम० पी० और एम० एल० ए० की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। फ्रेन्ड एण्ड फिलॉसाफर की तरह उनकी राय जानी जाए और माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें एसिस्ट करना चाहिये और हम उनके सलाह–मशविरे से काम करें तो ज्यादा सफलता मिल सकती है और इसके साथ साथ हमें इस बात को भी देखना है कि जब सारी चीजें चल निकलती हैं तो डिस्ट्रिक्ट–लेवल पर क्या कर सकते हैं ? इससे किस प्रकार से सारी चीजें चल सकती हैं ? इसके लिए सलाह मिल सकती है। यह मूल भाव था जिसको लेकर यह बात रखी गई है। मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी जो होती है वह आम तौर से अपनी राय लोकल डवेलपमेंट वर्क्स में देती है। हम चाहते हैं कि जिला परिषद् के लेवल पर सरकार के साथ एम० पी० और एम० एल० ए० बैठ कर डवेलपमेंट के कार्यों पर डिस्कशन करें कि वहां की क्या प्रोग्रेस है और जो काम हो रहे हैं उनसे जो टार्जेट एचीव होना चाहिए होता है या नहीं। इस तरह से सब मिल कर राउण्ड दी टेबल आ सकते हैं। इसलिए जिला परिषदों को रखा है। ३ महीने या ६ महीनों में आपका सेक्रेट्री है वह भी फेक्ट इकट्ठे करे और जिला परिषद् उसके लिए अपनी गाईडेन्स दे जो वह उचित समझे।

इसके साथ साथ प्रश्न जोड़ा जाता है एम० एल० ए० का पंचायत समिति में सदस्य बनने वालों का। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि फुल फलेज्ड सदस्य के तौर पर एम० एल० ए० होने चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि नहीं वे एसोशियेटेड मेम्बर की तरह से होने चाहिए और कुछ माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया कि सदस्य नहीं होने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जनसंघ ने कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तीन प्रकार की विचार धारा यहां पर हमारे सामने आई। मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेट–अप में ऊपर के बड़े लोग जो खुद कानून बनाने वाले हैं डी सेन्ट्रेलाइज करने वाले हैं, इनके साथ साथ यह फैसला न कर लें कि हम भी वहां आ रहे हैं, ऐसा फैसला कहीं भी नहीं मिलेगा आपको एडवान्स डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में। इसलिए यह मेल नहीं खाता। रही बात एसोशियेटेड मेम्बर की। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक इस सम्बन्ध में धाराओं पर बहस का समय आवे माननीय सदस्य इस बात को सोच लें कि वे सदस्य बनें या नहीं। अभी मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : But it appears from your statement that you are willing to accept M. L. As. as associate members,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I leave it to M. L. As.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसमें एक यह भी था कि अकाउन्टेन्ट जनरल के जरिये कन्ट्रोल रहना चाहिए, लोकल ऑडिट के जरिये नहीं। म्यूनिसिपेलिटी के मेम्बर्स को उसमें देना चाहते हैं। मुझे उसमें विरोध नहीं है कि म्यूनिसिपेलिटी की ८-१० हजार की आबादी है तो उसका चेयरमैन इन्क्लयूड़ करना चाहते हैं लेकिन जो फन्ड्स हैं और पेटर्न हैं वहां की कन्डीशन्स से कितना फिट-इन करेगा उसको अच्छी तरह से देख लें। मेरे ख्याल से उतना नहीं करता। ग्रान्ट–इन–एड, लोन के रूल्स सारे के सारे अगल हैं जबकि गांवों के लिए अलग हैं। उस प्रश्न पर हम चाहें कि जिला परिषद् के लेवल पर इस तरह की बातें सोचें, लोकल बॉडीज को को-ऑर्डिनेट करने के लिए क्या हो, लेकिन पंचायत समितियां में को-ऑप्टेड मेम्बर्स के जरिये नहीं और डायरेक्ट फाइनेन्सेज़ जिसमें पंचायत समितियां फैसला करती हैं वे भी उनसे मेल खाने की चीज़ नहीं होंगी, उसमें विरोधाभास की ज्यादा संभावना है।

कलेक्टर के कन्ट्रोल के बारे में काफी कहा गया कि कलेक्टर जिला परिषद् के निर्णयों के मामले में बात करनेवाला न होकर कन्ट्रोल करनेवाला होगा। मैं समझता हूं कि इस बिल की धाराओं को देखेंगे तो उससे स्पष्ट मालूम होगा कि किस स्थिति में एक्शन लेनेवाली बात उनके लिए कही है। वर्ना एक्शन हर मामले में यों ही ले लें ऐसी बात नहीं है। इस बिल के द्वारा कलेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि सब जगह जाकर, देख भालकर जिला परिषद् को रिपोर्ट करे। जो स्थिति है उसको देखते हुए जिला परिषद् का जो निर्णय है वह इम्प्लीमेन्ट हो रहा है वह भी देखे, सारे कार्य कैसे चल रहे हैं यह भी देखे और जिला परिषद् को रिपोर्ट करे कि सारी स्थिति क्या है। उसका, मैं समझता हूं, वेलकम करना चाहिये। वह सारी स्थिति को देख कर बताये और जैसा मैंने कहा उनको सेक्रेटरी या एक्जीक्युटिव ऑफिसर की तरह न रख कर एक नॉन वोटिंग मेम्बर की तरह रखा है, कामकाज़ करने के लिए ४६ क्लॉज इस बिल के अन्दर दिया है और दूसरी तरफ एक्जीक्युटिव तरीके से इनके साथ मिक्स-अप हो जाय, दूसरी रेस्पोन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए वह अलग रहे इसमें यह कल्प। और व्यवस्था की गई है।

यह कहा गया कि तहसील पंचायतों के मेम्बर्स सरपंच नहीं होने चाहिये। जैसा मैंने कहा कि मौजूदा सेट–अप को देखते हुए तहसील पंचायतों और पंचायत समितियों का को-ऑर्डिनेशन हो इसलिए तहसील पंचायत के सरपंच को रखा है। यदि तहसील पंचायतों को दूसरी तरह रख लें और पंचायत समितियों को दूसरी तरह तो यह उचित नहीं होगा। इसको इस पेटर्न के साथ रखना उचित हो जावेगा।

फिर बहस के दौरान में यह भी आया कि जो सर्विस को-ऑपरेटिव्ज़ हैं उनकी व्यवस्था के लिए पंचायत समितियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह वाजिब नहीं है। आज भी गांवों में एक्सटेन्शन ऑफिसर्स होते हैं वे ही ऑर्गेनाईज़ करने के लिए रात दिन काम करते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की सलाह मिलती रहे, टार्गेट्स पूरे हों उस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो रहे हैं। पंचायतें इनीशियेटिव ले और जितने जल्दी टार्गेट्स पूरे हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकें उनको करे। मैं समझता हूं कि ऊपर से फैसले करने से यह नहीं होता। इसकी मूल भावना में यह है कि गांवों के लोग मिल कर को-ऑपरेटिव बनायें। यह डेन्जर हो कि को-ऑपरेटिव नहीं बन सकेंगी, हमने बिल में दिया कि एक्सटेन्शन की स्प्रिट को पूरा करवाना है। बी० डी० ओज० की इसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनकी पूरी जिम्मेदारी है। पंचायत समितियों के डिसिजन्स को अमल करवाने के लिए वह पूरा जिम्मेदार है। उसका सारा स्टाफ जिम्मेदार है। इससे यह नहीं है कि सारी रेस्पोन्सिबिलिटी खत्म हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अन्त में मैं इस सदन का ज्यादा समय न लेकर लैंड रेवेन्यू के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उसके लिए इस बिल में ऐसी व्यवस्था की जाय यह संभव नहीं लगता है लेकिन परफोर्मेन्स के बेसिस पर, मान लीजिये, पंचायत में गांव के हर फील्ड, हर किसान के मामले में प्रोडेक्शन के टारगेट्स हों। हम चाहते हैं कि ६ से ऊपर की एज के ग्रुप स्कूलों में जाने चाहिए। उसके सर्विस को-ऑपरेटिव के टारगेट्स और इसके अन्दर जो गांव ज्यादा एचीव करता है उसके बेसिस पर लैंड रेवेन्यू का परसेन्टेज इन्सेन्टिव के तौर पर बढ़ाया जाय तो गांव में ज्यादा चीजें एचीव करने की कोशिश होगी और परफोर्मेन्स के तौर पर इस पर अभी विचार हो रहा है। कोई प्रकार की इसकी स्कीम तैयार की जावेगी किगांवों का इनीशियेटिव मिल सके और मिल सके।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल की चर्चा करते हैं तो इस बेक-ग्राउन्ड को लक्ष्य में रखते हुए करें कि आज कि हालत, जिस लक्ष्य की ओर जाना है वह लक्ष्य, गांव गांव में उत्पादन बढ़ कर, गांवों के लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो, सामाजिक स्तर ऊंचा हो, लोगों में स्वावलम्बन पैदा हो और आत्मविश्वास के साथ खुद काम कर सकें यह इनीशियेटिव हो उस दृष्टि से और जैसा मैंने निवेदन किया कि यह कामकाज चल रहा है, एक्चुअली आदमी काम करता है उससे ट्रेनिंग प्राप्त करता है, यह पीरियड इसीलिए सोच-विचार कर रखा है, बहुत सी चीजें इसमें रखी हैं। आज हैं लेकिन एक समय के बाद अवश्य नहीं रहेंगी लेकिन शुरूआत में कुछ अनुभव और कुछ बातों के हो जाने के बाद आगे का रास्ता सुगम हो जाता है। लेकिन दिशा, मैं समझता हूँ, एक ठीक दिशा में जो आवश्यक है यह यह बिल ले जाने वाला है। इस सम्बन्ध में जो समय निर्धारित किया गया है उसे दृष्टिगत रखते हुए सदन बिल की धाराओं को पारित करेगा, ऐसी मुझे आशा है।

(करतलध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सलेक्ट कमेटी का मोशन रखा था और उसको रखते हुए जो पोइन्ट्स मैंने सदन के सामने पेश किए थे उनका जवाब मुख्य मंत्री की तरफ से दिया गया। कुछ पोइन्ट्स का जवाब ऐसा दिया गया जिससे महसूस होता है कि जो करेक्ट प्रोस्पेक्टिव है उसको व्यू में नहीं रखते हुए यह जवाब दिया गया है। जैसा मैंने मुद्दा उठाया था कि यह डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : The Hon'ble Member who has moved his motion, is he going to withdraw that motion. I suppose the ruling in this House has been that a mamber withdrawing an amendment cannot make a speech.

श्री उपाध्यक्ष : I confirm that position and the only position before the Hon'ble Mamber is whether he wants to withdraw his amendment or not.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If he is going to withdraw he has no right to speak.

श्री पी० के० चौधरी : I am just finishing.

जो मैंने कहा था कि यह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं है, डीलिंग ऑफ पॉवर्स है। मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि यह तो डिसेन्ट्रेलाइजेशन है, डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कहने का और अवसर मिलेगा लेकिन जो ट्रेडिशन यहां है कि रिप्लाई के बाद स्पीचेज नहीं हुआ करती लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। यदि दूसरे अवसर पर उठायें तो उचित था, इस अवसर पर नहीं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): माननीय मुख्य मंत्री के कथन के बाद में आपका खयाल नियमों की ओर दिलाना चाहता हूँ। ९७५ के उप-नियम (३) की ओर आप देखें।

(3) A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion is moved by a private member, the Minister concerned may, with the permission of the Speaker, speak (whether he has previously spoken in the debate or not) after the mover has replied.

श्री उपाध्यक्ष : There is proviso:-
" provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to give any right of reply to the mover of an amendment to a Bill or a resolution save with the permission of the Speaker "

श्री महेन्द्रसिंह (पंवार) : अब जरा आप रूल ६६ को भी देख लें। यह अमेन्ड-हैं या मोशन :-

(2) If the member-incharge moves that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration, any member may move as an amendment......

सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आती है। क्या मोशन आते हैं, उनमें इसका क्या आधार है, बिल को तो वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। It is an amendment to the motion not to the Bill.

इसके द्वारा बिल को किसी तरह परिवर्तित करने की मांग नहीं की है। यह तो मोशन है कि इस बिल को फिर से सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

Page No.43

श्री उपाध्यक्ष : I may again refer to Rule 69 (2) :- If the member in-charge...... any member may move as an amendment ....." So it is as an amendment.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Yes, but it is amendment to a motion. And amendment to a motion is also a motion. अब आप मोशन की डेफिनेशन पढ़िये। श्रीमान् मोशन की जो डेफिनेशन दी हुई है वह इस प्रकार है। (रूल २) :-

"Motion" means a proposal made by a member for the consideration of the Assembly and includes a Resolution and an amendment to a motion.

श्री उपाध्यक्ष : I have interpreted these rules in the past also and my observations are also based upon the rules. So we shall stick to those observations.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Then your Honour should suggest an amendment, in the rules.

श्री पी० के० चौधरी : One or two points which have not been replied to I would like to clarify them.

श्री उपाध्यक्ष : No we adhere to the observations of this House.

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): मैं आपकी रूलिंग पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के लिये सदन को छोड़ता हूं।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह कि यह प्रस्ताव That the Bill be circulated for eliciting public opinion thereon.

इसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि दी राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६ जो कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित हुआ है उसको विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.44

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

Now we proceed clause by clause.

क्लॉज २

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन क्लॉज २, पार्ट (iv) में मेरा मोशन (संशोधन) है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डेफिनेशन जो दी गई है उसमें कहा गया है :-

"District Board" means a District Board established or deemed to be established under the Rajasthan District Boards Act, 1954 and includes a Committee appointed by a District Board......

इसमें अजमेर में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना था वह राजस्थान एक्ट, १९५४ के तहत नहीं आता है इसलिए मैंने अमेंडमेन्ट पेश किया है।

"or under any other corresponding" law in force in any part of the State,

This will make the definition of District Board complete and I think the Hon'ble Minister-in-Charge will accept it.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : This amendment is acceptable to me.

श्री श्रीभानसिंह : Minister-in-Charge does not include here the Revenue Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास : Revenue Minister can.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज २ में एक संशोधन है वह इस प्रकार है :

"Substitute the word 'Panchayat Samiti' for 'Zila Parishad'. पहले आपने जो शब्द रखे थे "Krishi Nipun" means a person declared as such for every Block by the Zila Parishad in accordance with rules made in that behalf;

जब आप पंचायत समिति के अन्दर कृषि-निपुण के स्थान पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहते हैं वह अधिकार आप इसमें जिला परिषद् को देते हैं। मेरा निवेदन यह है कि ये अधिकार पंचायत समिति को दिये जायं। जबकि आप कृषि-निपुण को पंचायत समिति के अन्तर्गत रखना चाहते हैं तो फिर इसका अधिकार जिला परिषद् को क्यों दिया जाय, जबकि वह काम तो पंचायत समिति की देखरेख में करेगा ? वहां आपने उसकी नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद् को क्यों दिया ? किसी जिले में एक कृषि-निपुण मिल सकता है वैसी हालत में यह अधिकार पंचायत समिति को जिसमें कम से कम १५, १६ मेम्बर्स होते हैं वे बड़ी आसानी से कृषि-पंडित की नियुक्ति कर सकते हैं और फिर वह उन्हीं के अन्दर में काम कर सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Shall we take all amendments in clause 2 together, Sir. All the amendments may be moved and then I will give my reply.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. That is the position. They are moving their amendments.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ की उप-धारा ६ में और १६ में मेरे संशोधन हैं। उप-धारा ६ में कृषि-निपुण की परिभाषा दे रखी है :

'Krishi Nipun' means a person declared as such for every block by the Zila Parishad in accordance with rules made in that behalf;

अभी अभी जैसा कि मुख्य मंत्री बता रहे थे कि कृषि-निपुण किसी पार्टी का नहीं होगा जिला परिषद् उसे योग्यता के आधार पर लेगी। कृषि-निपुण को डिक्लेयर करने का क्या आधार है ? प्रति एकड़ कौन व्यक्ति कितनी उपज करता है यही तो आधार लेंगे। वैसी हालत में इस प्रकार का डिक्लेरेशन जिला परिषद् से कोई सम्बन्ध नहीं रखता वैसी हालत में जो परिषद् के मेम्बर होंगे वे जिसे चाहें उसे कृषि-निपुण डिक्लेयर कर सकते हैं। जहां तक जिला परिषदों का सवाल है, वह बनेगी पार्टी के आधार पर। उसमें एक बहुमत का दल होगा दूसरा अल्पमत वाला। बहुमतवाले दल के चाहेंगे जिसे कृषि-निपुण डिक्लेयर करेंगे। वैसी हालत में कृषि-निपुण वह व्यक्ति नहीं होगा जो एक एकड़ में अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करें। इसके अन्तर्गत जो को-ऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे उनके जो मैनेजर्स होंगे उनको भी लिया जा सकेगा क्योंकि सरकार सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना चाहती है। वैसी हालत में जो खास उपज पैदा करता है उसको तो नहीं लिया जायेगा। को-ऑपरेटिव फार्मिंग के मैनेजर हैं उनको भी ले लिया जायेगा। और जो अपनी मेहनत से बीज और खाद दे करके अधिक से अधिक अन्न पैदा करेगा उसको छोड़ देंगे।

(१ म० प०)

उसे छोड़िए यह कह दिया जावेगा कि जो सहकारी कृषि में सबसे आगे होगा उसी को कृषि-निपुण के बनाने का कानून में प्रावधान रखेंगे। आगे जाकर सरकार इसके लिए कानून भी बनाएगी क्योंकि यह जो अभी सामने चीज है यह अन्तिम रूप से दी हुई नहीं है। इसमें कोई डैफीनेट चीज नहीं देने जा रहे हैं कि यह व्यक्ति कृषि-निपुण रखेंगे। कृषि-निपुण कौन होगा उसको रखने का क्या आधार होगा यह बात राज्य सरकार तय करेगी और उसके बाद में जो जिम्मेदारी है कि उसको डिक्लेयर कौन करेगा इसे परिषद् के ऊपर छोड़ दिया है जिला परिषद् का आधार मेरे विचार में दलीय होगा। कृषि के मामले में जिसको सबसे आगे मानते हैं वह कृषि-पण्डित कहा जासकता है। पहले इसको कृषि-पण्डित कहा जाता था अब उसको 'निपुण' माना गया है। अब 'निपुण' कोई भी हो सकता है और पण्डित की परिभाषा दूसरी हो सकती है। इसलिए सलेक्ट ने इसको बदल दिया और कृषि-पण्डित की जगह पर उसको कृषि-निपुण रख दिया है। इसलिए इस सारे को देखने से मालूम होता है कि कृषि-निपुण के अपोइन्टमेन्ट में बहुत गड़बड़ियाँ होंगी और जिस पार्टी का बहुमत होगा और वह जिसको भी नोमिनेट करना चाहेगी उसको कर सकेगी। इसके अन्दर जो वास्तविक व्यक्ति आना चाहिए वह नहीं आ सकेगा इसलिए अगर कृषि-निपुण को रखा गया तो अच्छा नहीं रहेगा।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दूसरी उप-धारा १६ है उसमें इस तरह लिखा हुआ है:–

"Words and expressions used but not defined in this Act shall have the meanings assigned to them in the law for the time being in force relating toPanchayats, Municipalities and District Boards." तो इसके अन्दर जो कानून है उसको रखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और म्यूनिसिपल एक्ट जो बनाया है उसको भी रखने वाले हैं। जहां जिला बोर्ड का प्रश्न है और जैसी इस विधेयक की मन्शा है कि जिला बोर्ड को निकट भविष्य में ही समाप्त कर दिया जायेगा और इसकी जो धारा १६ हैं उसमें डेफीनेशन दी है उसके द्वारा इस तरह दिया हुआ है उससे हम इस प्रकार की भावना का आभास कर सकते हैं कि सरकार निकट भविष्य में जिला बोर्ड को समाप्त करने वाली नहीं है। हमारी इच्छा इस प्रकार की है कि जिस समय जिला परिषद् और पंचायत समिति का कानून लागू करते हैं उसके बाद में जिला बोर्ड नहीं रहने चाहिए लेकिन क्योंकि भविष्य में ही एक तरफ जिला बोर्ड समाप्त करते हैं और वर्तमान जिला बोर्ड का कानून है उसके अन्दर जो परिभाषा दी है उसके अन्दर इस उप-धारा १६ के द्वारा वेलीडेट करना चाहते हैं। हम यह समझते हैं कि जो जिला बोर्ड कानून में परिभाषा दी हुई है उसको भी लागू की है। यह सरकार की मन्शा स्पष्ट होनी चाहिए। इसके द्वारा सरकार की मन्शा स्पष्ट नहीं है इसलिये मेरा इस प्रकार का संशोधन है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को डिलीट कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह

(अनुपस्थित)

राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (वैर): Sir, I move an amendment to clause 2 that part (6) relating to 'Krishi Nipun' should be deleted.

My first objection is, Sir, that there is no need at all to include a Krishi Nipun in any Panchayat Samiti at all. As the Panchayat Samiti itself consists of persons who may even be more qualified than the so-called 'Krishi Nipun' that may be declared, there is no need of including a Krishi Nipun.

In any case, if at all it is desired that a Krishi Nipun should be declared, then I feel that some experts should declare him as such. The members of Zila Parishads will not be experts.

Therefore, I move that this clause should be deleted.

श्री उपाध्यक्ष : Isn't that identical to the amendment moved by Shri Jagdish Prasad Mathur ?

राजा श्री मानसिंह : No Sir, I have two amendments. One of them is identical, but the other is an alternative amendment. My second amendment is that in part (6) of clause 2, the words 'Zila Parishads' be substituted by the words 'Panchayat Samiti of the Block'.

Under the clause, Sir, a person declared by the Zila Parishad as

Page No.47

(राजा श्रीमानसिंह)

Krishi Nipun will be co-opted by the Panchayat Samiti. But the Zila Parishad itself will be constituted only after the electicn of Pradhans of Panchayat Samitis takes place. In this case, Sir, the man who is declared Krishan Nipun by the Zila Parishad later, will not be able to participate in the election of Pradhan and he also loses his chance to stand for election as Pradhan of the Panchayat Samiti, because he comes into the picture only after the Zila Parishad is constituted.

Further, Sir it is not clear from the clause, as it is worded at present, whether the Krishi Nipun will be one person for whole district or they will be each for a Panhcayat Samiti.

Therefore, my amendment is that the sub-clause itself is superfluous and should be debted, but if the House is of the opinion that Krishi Nipun as such is desirable, then my second amendment is that the word 'Zila Parishad should be substituted by the word Panchayat Samiti'

उपाध्यक्ष : Yes, reply to all amendments.

श्री दमोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ पर माननीय सदस्यों ने जो अमेन्डमेंट्स पेश किये हैं उनमें से पहला अमेन्डमेन्ट जो फुलेरा से आये हुए हैं उन्होंने कहा:—

For including the words "or under any other corresponding law in force in any part of the State" in part (4) of the clause.

That is acceptable to me.

इसलिए इसको मैं स्वीकार करता हूं।

इसके अलावा जो क्लॉज २ के ऊपर अमेन्डमेन्ट पाली से आये हुए माननीय सदस्य ने और सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किये हैं उनका मैं विरोध करता हूं। खास तौर पर जो माननीय सदस्य बैर से आये हुए हैं उन्होंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है सब-क्लॉज ६ को डिलीट कराने के लिये और दूसरे माननीय सदस्यों ने यह दलील दी है कि इसको इसलिए डिलीट कर दिया जाये कि कृषि-निपुण जो है उसके लिये एक माननीय सदस्य ने कहा कि माईनोरिटी को मेजोरिटी में कन्वर्ट करने के लिये इसको रखा गया है। इसके लिये दूसरी दलील यह दी गई है कि कृषि-निपुण को अगर रखा भी जाये तो अव्वल तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। आखिर रखा भी जाये तो उसको तय करने की जिम्मेदारी कोई एक्सपर्ट को होनी चाहिए और वह एक्सपर्ट या तो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट होना चाहिए या कोई और। दूसरा सजेशन यह भी दिया गया कि उसको तय करने की जिम्मेदारी पंचायत समिति पर होनी चाहिये न कि जिला परिषद् पर। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो सारा प्लान है और जो डीसेन्ट्रेलाइजेशन का एक मकसद है कि हम प्रोडेक्शन को इन्क्रीज करें और इसके लिये आज भी हम हर एक ब्लॉक के अन्दर क्रॉपकटिंग एक्सपेरीमेन्ट करते हैं। साथ में

Page No.48

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ही किसानों को कई तरह की सहूलियतें देकर इस प्रकार का एन्करेजमेन्ट देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ सके। आज उसके लिए भी रूल्स हैं और उसमें गड़बड़ी करने का सवाल नहीं उठता। वह तो हर एक ब्लॉक के अन्दर आज भी इस तरह का कॉम्पटीशन होता है और जो लोग भी इस कॉम्पटीशन में शरीक होना चाहते हैं उनको इस बात की छूट है। आपने देखा होगा कि 'कृषि-पण्डित' की जगह 'कृषि-निपुण' किया गया है और उसका कारण यही है कि कृषि-पण्डित ऑल इण्डिया का जो कृषि विभाग है उसने इसको एडोप्ट कर रखा है इसलिए उसको अब कृषि-निपुण का नाम दे दिया गया है ताकि कन्फ्लिक्ट में न आये। इसमें यह कहा गया है कि रूल्स बनाये जायेंगे और एक स्टेन्डर्ड दिया जायेगा कि कृषि-निपुण को लेने में क्या आधार रखे जायेंगे। जब रूल्स बन जायेंगे और डिक्लेरेशन होगा तो यह बात सही है कि जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट होगा और जो उसको जांच करने के रूल्स होंगे उसके अन्दर जांच करनेवाले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी के ही होंगे और वे ही उसकी जॉच करेंगे।... बहरहाल डिक्लेरेशन सारे डिस्ट्रिक्ट में तमाम तहसील और ब्लॉक्स हैं उन सबके रिज़ल्ट्स को देख कर किया जायेगा। इसके अधिकार जिला परिषद् को इसलिए दिये हैं कि किसी को शिकायत का मौका न रहे और डेमोक्रेटिक बोडी के हाथ में यह डिक्लेरेशन करना रहे। इसलिए ये जिला परिषद् को दिये हैं। इनका रहना आवश्यक है। बहरहाल जो प्रोडेक्शन ज्यादा बढ़ाता है, अच्छे औज़ारों, अच्छे बीजों, अच्छे मेन्योर और नये तरीकों से ज्यादा पैदावार बढ़ाता है उसका रिप्रेजेन्टेशन पंचायत समिति के अन्दर रखा है। इसलिए यह जरूरी है कि क्लॉज़ ६ रखा जाय। डिक्लेरेशन ज़िला परिषद् ही करेगी इन्-एकार्डेन्स विथ दी रूल्स। यह एप्रिहेन्शन...

राजा श्रीमानसिंह (बैर): There will be Krishi Nipun for each of the Panchayat Samities or one for the Block?

श्री दामोदरलाल व्यास: The Zila Parishad is for the whole District and not for one Panchayat Samiti and it will declare Krishi Nipun for each Block. There will be competition of crops in every Block and it will not be at District level but at Block level. The declaration will be for each Panchayat Samiti and not for District.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): एक्ज़ामिनेशन होगा या कम्पीटिशन होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास: This is a matter which you can better understand. There can be no examination. There will be competition, particularly when it is based on Crop-Production. One who produces more will be declared. There can not be anything other than competition.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Produce what?

श्री दामोदरलाल व्यास: Produce anything, Channa, Macca, Bajri, Wheat etc. Already there are rules in Agri-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

culture Department and this is not a new experiment. This is being done already and competition is being held every year in each Block.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Krashi Nipun produces animate objects also ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is for you to see. Animate or in-animate, it is for you to see.

राजा श्री मानसिंह : Can the Krishi Nipun be elected as Pradhan of the Panchayat Samiti or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Certainly. Where is the restriction ?

राजा श्री मानसिंह : The restriction is imposed upon him by clause 8 (2) of the Bill. A Krishi Nipun can be declared as such only after the Constitution of zila parishad and the Zila parishad will be constitu'ed, only after the election of Pradhans takes place. So the krishi Nipun will not have any chance of becoming Pradhan.

श्री दामोदरलाल व्यास : That does not mean that his election as Pradhan is barred. If a member is not co-opted before the election, that does not invalidate the election. There is no other restriction upon his being elected. He is as much a member of the Panchayat Samiti as anybody else.

श्री उपाध्यक्ष : I hope you have replied ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir. I accept only one amendment of the Hon'ble Member from Phulera and the rest I do not accept.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज २ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : My own amendment also Sir.

[संशोधन इस प्रकार है :-In part(12), insert towards the end the word's and all grametical variations and cognate expressions shall be construed accordingly]

श्री उपाध्यक्ष : I will take it.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीश-प्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

Page No.50

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजा श्री मानसिंह ने क्लॉज़ २ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

राजा श्री मानसिंह (बैर) : 'yes' has it.

कई माननीय सदस्य : 'Noes' have it.

श्री उपाध्यक्ष : Not in a serious way, I hope.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ को संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३। डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, इसमें मेरे दो संशोधन हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : What about this clause 2 A ?

श्री उपाध्यक्ष : 2 A ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ (ए) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ (ए) स्वीकार किया गया।

(विराम)

Yes, Dr. Bahadur Sing, Clause 3.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसकी जो क्लॉज़ ३ उसके सबसेक्शन (२) के भाग (डी) जो कि इस प्रकार से है—

"(d). The panchayat shall coninue to levy such of the taxes lawfully imposed by the municipal Board as the Panchayat has the power to impose under this Act as if they had been duly imposed by it thereunder."

इसको मैं डिलीट कराना चाहता हूँ।

बात यह है कि अगर कोई टैक्स म्यूनिसिपेलिटी द्वारा लगाया जाय और अगर वह म्यूनिसिपेलिटी पंचायत में परिवर्तित हो जाय तो जो पंचायत के नियम हैं उनके अनुसार टैक्स लगाने चाहिए। जब पंचायत म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्दर कनवर्ट होती है तो जिस प्रकार से म्यूनिसिपेलिटी का जो तरीका है टैक्स लगाने का, उस तरीके से लगाना

Page No.51

(डॉ० बहादुरसिंह)

चाहिए। इस प्रकार से नहीं कि पंचायत का टैक्स लगा हुआ है और म्यूनिसिपेलिटी में परिवर्तित हो गई तो वह टैक्स म्यूनिसिपल बोर्ड का हो जाय, ऐसा मान लें। इसमें एक झगड़ा है यानि इस प्रकार से एक दूसरे में परिवर्तित होते ही टैक्सेशन बराबर नहीं रहना चाहिए।

दूसरा इसमें एक और था कि १६६० और ६१ का सवाल है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें मेरा यह संशोधन है कि १६६१ के बजाय १६६० कर दिया जाय। बात यह है कि अगर माननीय मंत्रीजी उचित समझें तो जो पंचायतें होंगी उनको ६० तक कर दें। उसके बाद ६० में इलेक्शन कराया जाय तो उनके तीन साल ६३ तक बढ़ जायेंगे। इसके बाद विधान सभा का इलेक्शन १६६२ में होगा और ६२ से एक साल में पंचायतें का इलेक्शन अच्छी प्रकार से करा सकते हैं। तो पंचायतों के इलेक्शन और विधान सभा के इलेक्शन एक ही टाईम पर न आ पड़े और ६१ के बाद में वातावरण में फर्क आता है, वातावरण बिगड़ने का डर रहता है। उस प्रकार का वातावरण नहीं बने पायेगा। इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इलेक्शन ६० में करालें, इसमें २ साल का टाइम मिल जायेगा और २ साल बाद विधान सभा का चुनाव होगा, और ६३ में जाकर पंचायतों के इलेक्शन होंगे। एक साल का जरूर फर्क पड़ेगा। एक साल पहले चुनाव करवा लेते हैं तो सुविधा की दृष्टि से और एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा संशोधन जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्लॉज ३ में तीन अमेन्डमेन्ट्स हैं। एक है :

1. In part (iv), sub-part (ivc), page 7, the 2nd proviso be deleted.

2. In part (iv) the words and figures '31st day of January, 1961' be replacedby the words and figures '30th day of June, 1960'

3. In part (vii) sub-part (c) delete the clauses (24), (25) and (26) sought to be inserted in section 25.

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पार्ट (४) सब पार्ट (२) में जो अमेन्डमेन्ट्स हैं डेट्स चैन्ज करने के लिए:

"(2). Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the term of Panchayats as existing on the date of the passing of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959, shall, with a view to enabling the State Government simultaneously to reconstitute such Panchayats and to constitute Panchayat Samities under that Act,extend upto the 31st day of Janary, 1961." वहां पर मैंने १६६० का ३० जून रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए सबसे बड़ा आर्ग्युमेंट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिया कि न्याय पंचायत को अलग नहीं कर सकते, उन्होंने जो दलील दी उसको सबसे पहले मैं पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि न्याय पंचायत इसलिए अलग नहीं करना चाहते क्योंकि पंचायतों का जब चुनाव हुआ था तब जो लोग चुने गए थे उनको

(श्री पी० के० चौधरी)

न्याय पंचायत का काम करना पड़ेगा और तहसील पंचायत के लिए जिनको चुना था उनको वहां रहना चाहिए। यह दलील उनकी थी और उस टाइम जो केन्डिडेट खड़े हुए थे उनको पर्टिकुलर फंक्शन्स को करने के लिए केन्डिडेचर इलेक्टोरेट ने मंजूर किया था और इलेक्टर्स ने उसके इस काम के एप्टिट्यूड को देखकर इलेक्ट किया था इसलिए ठीक नहीं रहेगा कि आज पंचायत को अलग कर दें, यह दलील मुख्य मंत्रीजी की थी। चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं, यह भी एक दलील है। इसलिए कि इस बिल के जरिये पंचायत और पंचायत समिति को बहुत ज्यादा पॉवर्स आप दे रहे हैं। डीसेन्ट्रलाईजेशन ऑफ पॉवर कर रहे हैं। कुछ आईटम्स ऑफ पॉवर को आप उनकी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। उनको आप फिस्कल पॉवर बजट और एक्सपेन्डिचर की भी दे रहे हैं इसलिए मेरा स्टेटमेन्ट है कि उनके चुनाव में डिले नहीं करके जल्दी करना चाहिये: It is in altered circumstances. उनके फंक्शन ऑल्टर हो गये हैं। उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी बढ़ गई है, quality of work has been changed उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी का क्वान्टम इतना बढ़ गया है कि that changes the quality of the personnel, of the institution. उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी बढ़ने से क्वालिटी चेन्ज हो गई है और क्वालिटी जब चेन्ज हो गई है तो लोगों ने उनको जो वोट दिया था वह इसलिये दिया था कि उनको इतना काम करना है। लेकिन आज ऑल्टर्ड सरकम्स्टॉन्सेज में जब उनको इतने ज्यादा पॉवर्स दिये जा रहे हैं तो यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को, इलेक्टर्स को या वोटर्स को मौका देना चाहिये कि: to exercise that choice again in view of the increased powers and responsibilities. हम पंचायतों को ज्यादा पॉवर्स और तरह की दे रहे हैं। जिन लोगों ने उनको पहले वोट दिया जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि न्याय का एप्टिट्यूड उनका ज्यादा था जुडिशियल एक्युमन के लोग आये थे। लेकिन आज जो काम उनको दे रहे हैं वह जुडिशियल एक्युमन का नहीं है, एग्जीक्युटिव का ज्यादा है, सोशियल सर्विस की स्प्रिट उन लोगों में ज्यादा होनी चाहिये, डवलेपमेन्ट का उनको आइडिया हो और एडमिनिस्ट्रेशन का जिनको अंदाजा हो ऐसे लोगों की जरूरत है। इसलिये ऑल्टर्ड सरकमस्टॉन्सेज में ज्यादा जरूरी हैं कि जल्दी से जल्दी उनका चुनाव होना चाहिये।

दूसरी दलील यह है कि पहले की पंचायतों का चुनाव बहुत इल्लीगल वे में हुआ और इतनी गड़बड़ियां हुई कि पिछले बजट अधिवेशन में हमें शो ऑफ हैंड की पद्धति जो उनके चुनाव की पहले थी उनको बदलना पड़ा और सीक्रेट बेलेट से चुनाव का तरीका अपनाया। ८०,६० परसेन्ट पंचायतों के चुनाव वैसे ही हुए और न कोई उनके लिये इलेक्टोरल रोल्स थे और न बेलेट सिस्टम अपनाया गया। लोगों को इकट्ठा करके चुनाव कर लिया गया। जिस पंचायत क्षेत्र की आबादी ५०० थी वहां ७०० का वोटिंग हो गया। इसलिये पुराना इलेक्शन डिफेक्टिव और अनफेअर रहा। इसलिये यह और भी ज्यादा जरूरी है कि उनका चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाय। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज को ध्यान में

(श्री पी० के० चौधरी)

रखते हुए मैंने ३० जून का टाइम रखा है । कम से कम ६ महीने रह गये हैं । ६ महीने कम क्या हैं ? ६ महीनों में तो कोई भी काम दुनिया ना हो सकता है ।

(हंसी)

दूसरी बात जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइ-जेशन के लिये जरूरी है वह यह है कि साइकॉलोजी तैयार की जानी चाहिये, वाता-वरण तैयार किया जाना चाहिये और जन-मानस तैयार किया जाना चाहिये । जन-मानस तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है चुनाव । दुनिया भर में सबने मंजूर किया है कि जन–मानस तैयार करने के लिये चुनाव से बढ़ कर और कोई तरीका नहीं है । आज गवर्नमेन्ट की तरफ से सैकड़ों और हजारों रुपये खर्च करेंगे नृत्य में, संगीत में और कला में क्योंकि इसका इनऑगरेशन नृत्य, संगीत और कला के बीच में होगा । मैंने प्रेस कमिनिक देखा है जिसके अनुसार संगीत और नृत्य का आयोजन जन मानस के लिये किया जा रहा है ।लेकिन उसकेलिए चुनाव से बढ़कर और कोई तरीका नहीं होता है ।

१.२६ म. प.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति,पदासीन)

उसमें तरह तरह के लोग खड़े होते हैं और चुनाव के लिये पब्लिक या इलेक्टर्स के सामने आते हैं और जो चीज आप संगीत, ड्रामा या नृत्य से १० साल में नहीं कर पायेंगे वह एक हफ्ते में हो जायेगी । एक हफ्ते में पब्लिक अपना माइन्ड फोर्म कर लेती है । अलग अलग लोग खड़े होंगे वे घर घर जायेंगे इससे लोगों का दिमाग बढ़ेगा और चुनाव की तारीख के दिन हजार इलेक्टर्स होते हैं तो उनका हजार किस्म का दिमाग होता है लेकिन वे अपना दिमाग एक बना लेते हैं और वन माइन्ड होता है चाहे १० आदमी खड़े हों लेकिन मेजोरिटी ऑफ वोट्स एक केन्डिडेट फेवर में आने से वह इलेक्ट हो जाता है । यह डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल है और विल ऑफ पब्लिक ओपिनियन किस के फेवर में है इसकी जांच हो जाती है । इसलिये हमारा पंचायतों के लिये जो प्रयोग या एक्सपेरिमेन्ट है या जो करने जा रहे हैं उसको सक्सेसफुल करना है और लोगों के दिमाग में यह बात बैठानी है कि हमने एक नया चेप्टर शुरू किया है जिसके अंतर्गत पब्लिक को पॉवर या शक्ति दे रहे हैं : We are giving powers to the peasant. इस बात को लोगों के दिमाग में बैठाना है तो चुनाव से ज्यादा जरूरी और कोई बात नहीं हैं । इसलिये यह सबसे ज्यादा जरूरी है । इसकी इम्पोर्टेन्स बढानी है तो जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जांय । जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन लोग इसकी इम्पोर्टेन्स और इम्पलीकेशन को समझेंगे । सबसे बड़ा रीजन जो है वह यह है कि हमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की रेस्पोन्स नहीं मिलती है और आज हम उनमें रेस्पोन्स लाना चाहते हैं, उनकी इनिशियेटिव चाहते हैं— लेकिन हम ऊपर से कर देंगे, कागज पर हो जाता है और चुनाव नहीं होता है तो लोगों को जानने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए उसका रेस्पोन्स और इनीसियेटिव नहीं मिलेगा ।

तीसरी दलील यह है कि १६६१ में चुनाव नहीं हो सकता । मैं गारन्टी के साथ

(श्री पी० के० चौधरी)

कह सकता हूं कि १६६१, जनवरी के आस–पास चुनाव करना चाहें तो मैं कह सकता हूं the Government will again come with a Bill. इसलिए चुनाव १६६०, जून के बाद रखा जाय। १६६१ में चुनाव नहीं हो सकता क्योंकि देश में ऐसी कण्डीशन हो जायेगी। इसलिए मैंने अमेंडमेंट रखा है कि ३० जून, १६६० रख दिया जाय, करीबं नौ महीने का टाइम इसके लिए दिया गया है। They must be able to complete it.

मैं समझता हूं कि मिनिस्टर-इन्चार्ज इस अमेंडमेंट को मंजूर करेंगे।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, और रह गया है It is only one item I have submitted. There is another itme :

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I thought you had finished.

श्री पी० के० चौधरी : In part (iv), sub-part (ivc) 2nd proviso be deleted सेकिंड प्रोविजो, सभापति महोदय यह है (ivc) For sub-section (8) of section 21 of the said Act, the following shall be substituted, namely :

"(8) All matters coming before the meeting of a Panchayat shall be decided by a majority of the Panchas present and voting :"

सेकिंड प्रोविजो आता है, सैकिंड प्रोविजो 'Provided further that majority of not lass than two-thirds of the whole number of Panchas including the Sarpanch of a Panchayat shall be necessary for its decisions in relation to the following matters, namely...

(iv) construction of new buildings." सभापति महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट सेकिंड प्रोविजो को डिलीट करने के लिए है, जिसमें दो–तिहाई मेजोरिटी के लिए रख देते हैं, कि इन कन्सट्रक्शन वर्क्सके लिए दो–तिहाई मेजोरिटी हो 2/3rds majority of the total number of members of the Panchayat, पंचायत की टोटल नम्बर ऑफ मेम्बरशिप है, उसकी दो–तिहाई मेजोरिटी से फैसला होगा तब कन्सट्रेक्शन वर्क होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि गांव के छोटे छोटे काम भी सिम्पल मेजोरिटी से हाथ में नहीं ले सकते। जितने डवेलपमेंट के काम हैं, विकास के काम हैं, उनके लिए दो–तिहाई की मेजोरिटी की कन्डीशन रखी है। मैं समझता हूं यह एक्जीक्यूशन कोई जुडिशियल एक्जीक्यूशन नहीं है। यह ऐसा एक्जीक्यूशन नहीं है जिसको अगर सिम्पल मेजोरिटी से लिया जायेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जायेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स हो जायेगा। आपने प्रधान को हटाने के लिए दो–तिहाई मेजोरिटी रखी है वह उसको सिक्योरिटी देने के लिए है लेकिन डवेलपमेंट वर्क के लिए दो–तिहाई ऑफ होल मेम्बर्स रखा है। यह भी नहीं कि जो प्रजेन्ट, जो मौजूद हैं उसके दो–तिहाई सदस्य, यह भी नहीं है लेकिन टोटल नम्बर ऑफ पंचायत समिति के मेम्बर्स की दो–तिहाई मेजोरिटी का है। यह कन्डीशन रखने से यह होगा कि जो यह बिल ला रहे हैं, पंचायत समिति को पावर्स

(श्री पी० के० चौधरी)

दे रहे हैं, हम उनमें इम्पेटस लाना चाहते हैं, डवेलपमेन्ट वर्क में तेजी लाना चाहते हैं We want to increase its pace. लेकिन इस प्रोविजन से जोश रिटार्ड हो जायेगा, उसमें बाधा आयेगी। जिन लोगों को इलेक्टेड बॉडीज़ के साथ डील करने का मौका मिला है उन्होंने अक्सर देखा है to have 2/3rds majority of the total members of the membership वह भारी काम हो जाता है, वह आसानी से ही नहीं हो सकता। आज हिन्दुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए भी दो–तिहाई मेजोरिटी ऑफ होल मेम्बर्स नहीं है, दो–तिहाई ऑफ जो प्रजेन्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि सेक्रेड मानते हैं, जिसको कि अनअसेलेबल माना जाता है उसमें भी दो–तिहाई मेजोरिटी ऑफ जो प्रजेन्ट के द्वारा अमेंडमेंट हो जाता है लेकिन डवेलपमेंट वर्क के एक्जीक्यूशन के लिए आपने होल मेम्बर की दो–तिहाई मेजोरिटी रखी है वह कहां तक प्रेक्टीकेबल है, यह समझ में नहीं आता। इस प्रोविजो के रहने से वर्क को एक्जीक्यूट करने का काम ठप हो जायेगा और ग्राम पंचायत किसी काम के लिए फैसला नहीं ले पायेगी और सारे के सारे काम एक्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा, अन्त में यही होगा। क्योंकि बजट लेप्स हो रहा है इसलिए विकास अधिकारी को पॉवर दे देंगे, वे सारे काम हाथ में लेंगे। इसलिए जिस जन–सहयोग को, पीपल पार्टिसिपेशन को, पीपल इन्सेन्टिव लेने का इरादा है वह इरादा इससे पूरा नहीं होता है। आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पायेंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। जो जन–सहयोग आप चाहते हैं, मैं समझता हूँ, उसको इसलिए रखा है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायत के कामों का एक्जीक्यूशन नहीं होता है, इसको मान कर हम चल रहे हैं। इसके रहने के बावजूद भी हम डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स को चलाना चाहते हैं और इसका फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हम जनरल बॉडी की मेजोरिटी से मानते हैं और यह मान कर चलना चाहते हैं तो अगर इस नई चीज को रखेंगे तो डवेलपमेंट वर्क का जो एक्जीक्यूशन होना चाहिए उसको रोकेंगे। मैं समझता हूँ कि दो-तिहाई ऑफ होल नम्बर का प्रिन्सिपल दुनियां के किसी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविजन नहीं है और न कोई इस प्रिन्सिपल को रख कर फंक्शन कर सकता है, उसका फंक्शनिंग इस प्रोविजन से विरुद्ध हो सकता है।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, यह है कि मैं इस मेहता कमेटी की रिपोर्ट के पेज १८ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें सिफारिश की है कि पंचायत के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पंचायत के चुनाव रखें यूनेनीमस और उसके लिए एक मध्यस्थ मंडल बना दें, जैसा कि सौराष्ट्र में निश्चय किया कि यूनेनीमस चुनाव करेंगे यह सिफारिश की लेकिन यूनेनीमस चुनाव नहीं हुआ। आज जहां तक कोशिश की गई है और जो एक सब-करेन्ट पैदा होती है, मैं समझता हूँ कि वह खतरनाक होती है। आज तक ओपन चुनाव की सिफारिश पर न अमल हुआ है और न डेमोक्रेसी के एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल्स पर यूनेनीमस चुनाव हो सकता है। क्योंकि डिफरेन्स ऑफ व्यू रहेगा, अलग

Page No.56

(श्री पी० के० चौधरी)

अलग केन्डीडेट रहेंगे, इसलिए यूनेनीमस चुनाव नहीं हो सकते except by force. किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूनेनीमस चुनाव कराते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें यूनेनीमस चुनाव कराते हैं लेकिन सचमुच जिन वर्कर्स को चुनाव में आना चाहिए वे समय पर विथड्रा करते हैं और दूसरे आदमी चुनाव में आते हैं। तो जो वालिन्टेरिली काम करते हैं, पोलिटिकल पार्टीज में जो काम करते हैं, वे जानते हैं कि यूनेनीमस चुनाव किस प्रकार होते हैं, उन्हें ये सारी बातें मालूम हैं। तो बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में जो पंचायतों का यूनेनीमस चुनाव करने की सिफारिश है उस पर न अमल हुआ है और न अमल हो सकता है। इसलिए जो दो-तिहाई मेजोरिटी का प्रोविजन है उसको रिलेक्स करना चाहिए। अगर उसकी रिलेक्स नहीं करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि जो काम पंचायत द्वारा चलने वाला है वह नहीं होगा और विकास अधिकारी को गवर्नमेंट की तरफ से पावर दे दी जायेगी कि अन्डर रूल ७२ वे काम करेंगे क्योंकि पंचायत दो-तिहाई मेजोरिटी से फैसला लेने में नाकामयाब रही है।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, मेरा अमेंडमेंट है कि ७, इसमें पार्ट २४, २५ और २६ को डिलीट करने का है।

In part (vii) sub-part (c) delete the clauses (24), (25) and (26) sought to be inserted in Section 25.

यह पंचायत समिति को काम दिया है, २४ नं० का काम है :

(24) The undertaking and rendering of postal services for and on behalf of the Postal Department of the Government of India on terms settled with that Department;

(25) the securing of life and general insurance business;

(26) the sale of Small Savings Certificates as agents or otherwise;

मैं समझता हूँ कि कामों में पंचायतों को स्टेचुटेरी प्रोविजन करके फंसाना नहीं चाहिये। हां, पंचायतें इन्श्योरेंश कम्पनी के साथ उनके इनिशियेटिव से इसको लेना चाहें तो लेने दीजिये। गवर्नमेंट की तरफ से पंचायतों को परश्युएन्स करके काम दे सकते हैं पर इस तरह का स्टेचुटेरी प्रोविजन नहीं रखना चाहिये। पोस्ट ऑफिस का काम सौंपें और जो काम पंचायतों के जुरिस्डिक्शन के नहीं ऐसे कामों को करने का इनका स्टेचुटेरी पॉवर रखते हैं, यह ठीक नहीं। इसलिये मेरा संशोधन है कि इनको डिलीट कर दिया जाय। ग्लाइसेज या इन्श्योरेंस डिपार्टमेंट का काम इन्हें इन्ड्यूस करके इनसे करा सकते हैं पर स्टेचुटेरी प्रोविजन रखना उचित नहीं।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, धारा ३ में मेरे दो संशोधन हैं। इन दोनों संशोधनों में मेरा निवेदन है कि इस बिल के तहत पंचायत समिति और जिला परिषदें बन जायेंगी, वे जिला परिषदें और ग्राम पंचायतें आज वर्तमान में हैं वे तब तक काम करती रहेंगी जब तक कि ३१ जनवरी, १६६० नहीं आ

Page No.57

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जाय । तो मेरा यह निवेदन है कि जो इस एक्ट के बनने के बाद पंचायत समितियां और जिला परिषदों का निर्माण करेंगे तो अभी तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं और २ अक्टूबर को राष्ट्रपिता की जन्मतिथि को नागोर में इसका उद्घाटन करना है इसलिये हो सकता है कि जल्दी करें और २ अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर दें पर जब तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराते हैं और उसके आधार पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों का चुनाव नहीं कराते हैं तो ये सारी पंचायत समितियां और जिला परिषदें अस्थायी रहेंगी । कहीं इस प्रकार का संशोधन नहीं है पर सदन के नेता और मुख्य मंत्री ने बताया कि २,००० से ऊपर छोटी पंचायतों का निर्माण कर रहे हैं और सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आवश्यक हो जाता है कि छोटे छोटे गांवों में जहां पंचायतों का निर्माण करने वाले हैं वहां चुनाव करा कर उन चुनावों के आधार पर सही रूप में इन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का निर्माण करें अन्यथा २ अक्टूबर को जो इनका निर्माण होगा वह अस्थायी निर्माण होगा, एक अस्थायी कदम होगा और अप्रेल, जिसको फाइनेन्शियल ईयर माना जाता है वह आने वाला है उससे पहले पंचायतों के चुनाव हो जायं ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कहां कहां छोटी छोटी पंचायतें होनी चाहिये, वह सब सूचना नीचे के जिला स्तर से आपके ऑफिस में आ चुकी है, अब कोई विशेष कार्य करना बाकी नहीं है, गजट में डिक्लेरेशन कराने का काम बाकी है, उस काम को ६ महीने में पूरा करा सकते हैं और ६ महिनों का इतना पर्याप्त समय है कि छोटी पुनर्गठित पंचायतों के चुनाव करा सकते हैं । मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि ६१ के बाद हम चुनाव करा नहीं पायेंगे क्योंकि जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जायेंगी और सबका ध्यान पंचायतों की तरफ न रह कर जनरल इलेक्शन्स की तरफ लग जायेगा, इस दलील को मैं उतनी वजनदार नहीं मानता । २ अक्टूबर से ६ महीनों के अन्दर अन्दर पंचायतों के निर्वाचन करा देने चाहिये, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है । एक माननीय सदस्य ने ३१ जनवरी, १६६१ के स्थान पर ३१, जनवरी, १६६० रखने का संशोधन दिया । इससे दो महीने का समय मिलता है । हो सकता है कि इस अवधि में सारे राजस्थान के चुनाव इन पुनर्गठित पंचायतों के न हो सकें । दूसरे, एक माननीय सदस्य ने जून, १६६० का संशोधन रखा है वह इससे बढ़कर ६ महीने का हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इतनी लम्बी अवधि देना उचित नहीं है । इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि ३१ जनवरी, १६६१ के स्थान पर मार्च, ६० कर दिया जाय । मेरा सदन से निवेदन है कि इसे स्वीकार किया जाय ।

मेरा दूसरा संशोधन है वह इसलिए है कि इस धारा में है कि :—

In part (iva) delete part (ii) of the proviso. The proviso runs as under:—

"(ii) Provided that for the purposes of clauses (c), (g) and (i) any person may be declared eligible for ele-

Page No.58

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ction by a general or a special order of the State Government in this behalf."

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत एक्ट के तहत चुनाव में खड़े नहीं हो सकने की अयोग्यताएं बताई गई हैं। पर इस तहत राजस्थान सरकार के पास इस प्रकार के अधिकार आ जाते हैं कि जिन व्यक्तियों को पंचायत एक्ट तहत के चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है तो भी राजस्थान सरकार उनको चुनाव के योग्य घोषित कर सकती है, यह तानाशाही है। हम कानून बनाते हैं एक तरफ कि ये ये आवश्यकताएं होंगी, जिनमें ये अयोग्यताएं होंगी वे चुनाव में खड़े नहीं हो सकेंगे। दूसरी ओर हम कानून रख देते कि यदि हम चाहें तो उन अयोग्यताओं को दूर कर सकते हैं। राजस्थान सरकार अपने आदमियों के लिए इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। इससे राजस्थान सरकार की विम्स और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को बल मिलेगा।

हमने एक प्रकार की अयोग्यताएं घोषित कीं। उनमें बाद किसी प्रकार की खामी है तो हमें उन अयोग्यताओं को हटा देना चाहिए। पर जो अयोग्यताएं रखी हैं एक व्यक्ति के लिए हटा दें और दूसरों के लिए उसी प्रकार लागू रखें तो यह न्याय नहीं। मैं समझता हूँ कि यह स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है और इस प्रकार का लेजिस्लेचर स्वस्थ लेजिस्लेचर नहीं कहा जा सकता जिससे कि हम कोई भी कानून बनावें तो उस कानून की मंशा हो तो उसे खत्म कर दें तो उस कानून का कोई मकसद नहीं रहता है। उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार किसी अयोग्य को योग्य घोषित कर दे तो उचित नहीं है। अतः मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों संशोधनों को सदन पास करायेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे सारे संशोधनों को एक साथ मूव किया मान लिया जाय। मेरा पहला संशोधन है।

Delete the words 'the whole or a part of any area included within the limits of' from part (a) of sub-section (2)

जहां तक पहला संशोधन है, हम यहां पंचायत विधेयक में संशोधन करने जा रहे हैं और उसमें हमने म्यूनिसिपेलिटी पर भी हाथ साफ कर दिया है। मैं यह कहूँगा कि यह बात कहां तक ठीक होगी, यह आपको देखना होगा।

(2) The State Government may by like notification (a) establish a Panchayat for the whole or a part of any area included within the limits of a Municipality'''

म्यूनिसिपेलिटी के सारे के सारे एरिया को हम पंचायत एक्ट में पंचायत घोषित करते हैं। हम पूरी म्यूनिसिपेलिटी को पंचायत घोषित करते हैं। तो उसमें ज्यादा मुसीबत नहीं परन्तु एक वार्ड जो म्यूनिसिपेलिटी के एरिया में पड़ता है उसको चाहे तो सरकार उस एरिया को पंचायत एरिया घोषित कर सकती है। यह उचित नहीं है। हम देखते हैं कि नगरपालिका में भी जब हम किसी क्षेत्र को मिलाते हैं तो उसके लिए गजट में नोटिफिकेशन्स निकालते हैं और लोगों से एतराज मांगते हैं। अगर किसी को उसमें एतराज होता है तो उसको भी सुनते हैं और उसके बाद हम उस क्षेत्र को म्यूनिसिपेलिटी में मिलाते हैं लेकिन हमारे

Page No.59

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यहां सरकार केवल पंचायत में म्यूनिसिपल एरिया को, whole Municipality can be declared as a Panchayat or any part of the Municipality can be declared as a panchayat. एक पंचायत एक्ट में संशोधन करके ला सकती है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि जब हम एक एरिया को किसी पंचायत या किसी नगरपालिका में मिलाते हैं और उनके मिलाने का प्रश्न आता है तो लोगों को कई प्रकार की दिक्कतें सामने आती हैं। उनको दूर करने के लिए लोगों को पूछना जरूरी होता है कि आपको इसमें कोई एतराज है या नहीं। पुराने नगरपालिका का जो विधेयक है और वर्तमान हम बनाने जा रहे हैं उसमें है कि जब पंचायत के क्षेत्र को म्यूनिसिपेलिटी में लेंगे तो लोगों के एतराज को सुनेंगे और राज्य सरकार उन एतराजों पर विचार करेगी और उसके बाद उस क्षेत्र को म्यूनिसिपेलिटी में मिलाया जावेगा। लेकिन जब हमें किसी म्यूनिसिपेलिटी के क्षेत्र को पंचायत में लेना है तो उसके लिए इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है इसलिए मैंने जो यहां यह प्रोविजन दिया है उसको हटाने के लिये लिखा है Provided that in doing so, it shall not be necessary for the State Government to observe and follow.

(1) the porcedure laid down in the law governing such municipality for declaring that the whole or a part of the area thereof shall cease to be a municipalitty, or in a Panchayat circle. इसके अलावा यहां पर जो कुछ भी प्रोसिजर आज कल चालू है उसको भी इस प्रोविजर द्वारा वाइड ऑफ किया जा रहा है। जो इसमें दिया गया है, जो कुछ आज कल प्रोसीजर लागू है उसको सरकार हटाना चाहती है यह कैसे लाजिमी हो सकता है। जब किसी क्षेत्र को हम किसी नगरपालिका में जोड़ना चाहते हैं तब भी हम उसके लिए एतराज इन्वाइट करके तय करते हैं। मगर यहां तो हम नगरपालिका को पंचायत में बदलना चाहते हैं। हम इस बात को मान सकते हैं कि म्यूनिसिपल विधेयक में हमने एक धारा स्वीकार की है कि ८ हजार या १० हजार की म्यूनिसिपेलिटीज हैं उनको पंचायत में बदल सकते हैं और उनको पंचायत मान लिया जावे तो यह बात मानी जा सकती है। लेकिन पंचायत विधेयक में म्यूनिसिपेलिटी को हम समाप्त करते हैं तो फिर यह कैसे मान जाता है। अगर मानते हैं तो कम से कम उन लोगों के एतराज तो सुनने का अवसर देना चाहिये जिनको कुछ एतराज हो। मगर उसको भी राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। माननीय मंत्रीजी आँख खोल कर देखें तो उनको मालूम होगा कि इस प्रकार का प्रवीजो कहां तक उचित है। कोई ५० हजार का बड़ा शहर इससे किसी वार्ड की आबादी को आप पंचायत में मिलाना चाहते हैं और सिटी लाइफ को विलेज लाइफ में बदलना चाहते हैं और वह भी अपनी मर्जी के अनुसार बदलना चाहते है तो मैं यह कहूँगा कि यह बिल्कुल गलत है। आप किसी म्यूनिसिपेलिटी को ब्लॉक में मिलाते हैं तो उसके लिये गजट में नोटिफिकेशन कराते हैं उसके लिये सारा प्रोविजन है उसको लागू करना होगा और उसके लिये यह आवश्यक होगा कि एतराज भी सुनें। इसलिए जो प्रोविजन है उसको डिलीट करना आवश्यक है। जब तक यह नहीं हटावेंगे यह झगड़ा रहेगा।

इसी धारा में दूसरा मेरा संशोधन है वह यह है कि Delete the words as the

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

State Government may direct from clause (b) of sud-section (3)

इसके अन्दर शब्द (b) the whole or such portion, as the case my be of assets vesting in, the Municipal Board...as the State Govt. may direct आखिर जब हम एक क्षेत्र को पंचायत में लेते हैं या पंचायत से नगरपालिका में लेते हैं तो उनकी जो लाईबिलिटीज और एसेस्ट होती हैं वे पंचायतों को या म्यूनिसिपेलिटीज को सौंप देते हैं। मगर इसमें लिखा है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो as the State Government may direct. डाइरेक्ट करे। लाइबिलिटीज और एसेस्ट चाहे ज्यादा हो या कम मगर जरूर होती है उनको आखिर कौन संभालेगा सरकार तो आप जानते हैं कि किसी भी हालत में लाएबिलिटीज को अपने पास रखने वाली नहीं है इसलिए वह तो कानून के अन्तर्गत जिसके क्षेत्र में आवेगा उसकी रहेगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसको डिलीट किया जावे।

इसके अलावा पार्ट दो में हमने मियाद जनवरी, १९६१ की रखी है। मार्च, १९६१ से हटाकर जनवरी, १९६१ रखा है। मैं यह कहूँगा कि इससे बड़ी गड़बड़ी होगी। इस निश्चित समय में मैं यह कहूंगा कि निश्चित तौर से चुनाव नहीं होंगे। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि पंचायतों का पुनः गठन होना चाहिये क्योंकि पंचायतों के चुनाव ठीक ढंग से नहीं हुए हैं। इससे अलावा जिनकी आबादी ५ हजार से अधिक है उनके चुनाव सन् १९६१ तक कराने की राज्य सरकार ने घोषणा कर दी थी। अब आपको २अक्टूबर को डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाईजेशन की घोषणा करनी है। आपको इसका उद्घाटन करना है हम भी यह चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का उद्घाटन महात्मा गांधी के दिवस के अवसर पर होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भी घोषित करें कि हम सारी की सारी पंचायतों का पुनः पुनर्गठन करेंगे और उनका चुनाव भी करावेंगे जो मार्च, १९६० तक हो जायेगा। ३१ मार्च, १९६० तक जिला परिषद् का चुनाव कर दिया जावे। अगर ये चुनाव नहीं होंगे तो बाद में आम चुनाव आने वाले हैं। सरकार कहेगी कि आम चुनाव का समय आगया है और अब इनका चुनाव कराने का अवसर नहीं है इसलिए पंचायतों को २ साल एक्सटेन्शन दिया जावे। अगर उनका साल का एक्सटेन्शन देते हैं तो आज जो मेम्बर नोमिनेटेड हैं वे यों के यों रहते हैं। और उनकी अवधि बढ़ जाती है। धारा ७७ में इस प्रकार का प्रावधान दिया गया है कि पंचायत समितियां तथा जिला परिषदों के गठन के लिये टेन्टेटिव मोडिफिकेशन करेंगे और उसमें मर्जी आवे उसके अनुसार वर्तमान पंचायत समिति और जिला परिषद् का संगटन कर देंगे।

और ६१ के वह चलेगा। ६१ में हो नहीं सकेंगे और सन् ६२ में आम चुनाव आ जावेंगे और फिर इस कारण राज्य सरकार टाइम का एक्सटेन्शन मांगेगी कि आम चुनाव सन् ६२ में हो जावेंगे और सन् ६२ में जाकर समितियों का गठन होगा। इसलिए सन् ६० तक की मियाद रखें ताकि परमानेन्ट चुनाव करा दें। इससे पंचायत समितियों का और जिला परिषदों का चुनाव होकर गठन हो जावेगा। उपधारा (d) के अन्दर मेरा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यह संशोधन है 'delete part (ii) of the proviso.' सेकिन्ड पार्ट है प्रोवीजो का : Provided that-

(ii) for the purposes of clauses (c), (g) and (i) any person may be declared eligible for election by a general or a special order of the State Government in this behalf and"

इसके अन्दर जो अयोग्यताऐं थीं उनके अन्दर संशोधन किया गया है। क्लॉज ४ (ए) में लिखा है : "In section" of the said Act-(a) In clause (a) for the words 'the State Government' the words 'the Central or State Government or is an employee of local authority' shall be substiuted."

आगे जाकर संशोधन किया है। (ए) में भी संशोधन किया है। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव में कौन भाग ले सकते हैं और कौन भाग नहीं ले सकते हैं ? उसके बाद सरकार ने अपने हाथ में अधिकार रखें हैं (c), (j), (i) में जाकर। सरकार को किस व्यक्ति के साथ कैसे सलूक करना चाहिये वह कर सकती है इनके द्वारा। सरकार किसी व्यक्ति को चाहे टीन की चद्दरों का लाइसेन्स दे दे, शराब का अजमेर का व्यापारी है लेकिन सरकार चाहे तो उसको टीन के लाइसेन्स दे दे, इस प्रकार की बातों में सरकार उन नियमों में ढिलाई कर सकती है लेकिन जहां तक चुनावों का प्रश्न है, डेमोक्रेसी का मूल आधार है कि किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जावे, जो डेमोक्रेसी के नियम हैं, कोई आदमी श्रीमन्त है, कोई आदमी गरीब है, पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा नहीं है, चुनाव के नियमों के अनुसार उन सब के साथ एक सा व्यवहार किया जाना चाहिए और किया जावेगा, इस तरह से एक डेमोक्रेटिक लिबर्टी हैं। प्रजातन्त्र और आजादी दोनों को साथ में मिलाया है और यह कह कर एक व्यक्ति को एक वोट देने का हक होगा, न्याय के सामने हर एक को समान अधिकार होंगे और यदि इस प्रकार की घोषणा की है तो राज्य सरकार जो इस बिल में धाराओं के अनुसार करने जा रही है वह इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है कि जिसको चाहे योग्य घोषित करे और जिसको नहीं चाहे उसको अयोग्य घोषित कर दे। लेकिन यदि वास्तव में वह अयोग्य है तो जो कानून है चुनाव का उसके अनुसार ही अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये। यदि कानून कहता है कि अयोग्य घोषित हो सकता है तो फिर ठीक है। लेकिन कानून हमने बना दिया। उसकी परिभाषा में आता है तो ठीक है। लेकिन राज्य सरकार को इन धाराओं के द्वारा अधिकार दे दें कि उनको चाहे अयोग्य घोषित कर दे यह उचित प्रतीत नहीं होता है। यह तो केवल एक ढोंग ही होगा। किसी को लाइसेन्स दे, किसी के साथ फेवर करें, हम नहीं कहते। लेकिन चुनावों की जो आधारभूत बातें हैं जिनमें कानून के अनुसार अधिकार है कि किस को योग्य और किस को अयोग्य घोषित किया जाय उनको छोड़ कर केवल राज्य सरकार को अधिकार दे दिया जाय और इन उपधाराओं के अनुसार राज्य सरकार योग्य और अयोग्य घोषित कर दे इसका मैं विरोध करता हूँ।

४ (बी) के अन्दर कुछ सरपंच और पंचों पर आपत्ति की गई है। आज तक ऐसा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नहीं होता था लेकिन अब होगा । "iv (b). In section 17 of the said Act-

(a) to sub-section 4 the following proviso shall be added, namely :-" इसका पार्ट भी है । "(b) after sub-section (4) the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(4A). The State Government may, during the course of any inquiry under sub-section (4) suspend a Panch, Sarpanch or Up-Sarpanch against whom the inquiry has been started and debar him from taking part in any act or proceedings of the Panchayat while under such suspension."

एक नया सेक्शन राज्य सरकार ने इसमें जोड़ने की कोशिश की है । नया सेक्शन क्या है, चेयरमैन महोदय, यह देखिये :

"The State Government may, during the course of any inquiry under sub-section (4) suspend a Panch, Sarpanch or Up-Sarpanch against whom the inquiry has been started and debar him from taking part in any act or or proceedings of the Panchayat while under such suspension."

किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी सरपंच, पंच, प्रधान, या उपप्रधान के प्रति कोई चार्जेज आ सकते हैं । वे चार्जेज पद के दुरुपयोग के, गबन के या और किसी के लिए । राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं और उनको नहीं माना है, और भी कोई आरोप हो सकता है, सब-सेक्शन ४ में उसकी इन्क्वायरी होगी । चार्जेज हैं तो उसको चार्ज शीट दें । वह सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं है कि सस्पेन्ड कर दिया और सस्पेन्शन के पीरियड में १।४ पे मिलेगी और यदि वह बहाल हो जाता है तो उस तारीख से, जिस तारीख से उसको सस्पेन्ड कर दिया गया पूरी पे दी जाती है । लेकिन समिति के सरपंच के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है और सरकार उसको सस्पेन्ड कर देती है । यदि वह बहाल होता है तो राज्य सरकार के पास क्या रेमेडी है ? ही इज़ ड्यूली इलेक्टेड । आपने उसको कोई नोमिनेट नहीं किया, उसके साथ आपने कोई मेहरबानी नहीं की, आपने उसके साथ कोई दयानतदारी नहीं दिखाई ; पंचायत समिति का सरपंच या पंच बना है तो वह चुनाव लड़ कर आया है और यदि उसके ऊपर चार्जेज लगाते हैं तो लगाइये, हो सकता है । लेकिन मैं नहीं कहता कि सब ही व्यक्ति दुनियां में ईमानदार ही हैं । पंच भी बेईमान हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकते हैं । म्यूनिसिपल कानून में हम देखते हैं कि नगरपालिका के चेयरमैन को किसी मेम्बर को सस्पेन्ड करने का अधिकार दे रखा है ! आज कल राज्य सरकार ने एक रवैया बना रखा है । वह अच्छा है । डायरेक्टर पब्लिक बॉडीज़ उस ऑर्डर को स्टे कर देते हैं ! अगर हम इसको हटा सकते हैं या नहीं जब तक फैसला न हो जाय तब तक नहीं होना चाहिये । राज्य कर्मचारियों को १।४ सरकार देती है । फिर चुने हुए पंच, सरपंच, प्रधान, उप प्रधान के लिए ऐसा क्यों ? इसमें लिखा है :

"(4B). A Panch, Sarpanch or Up-Sarpanch who has been removed under sub-section (4) or against whom the findings have been recorded under

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

the proviso to that sub-section shall not be eligible for re-election under this Act for a period of 3 years from the date of his removal or, as the case may be, from the date on which such findings are recorded." यह बिल्कुल ही गैर कानूनी धारा है। इसको किसी प्रकार न्यायोचित धारा नहीं कहा जा सकता है। आप इन्क्वायरी कीजिये। इसमें आप प्रावधान कर दीजिये कि एक महीने में, दो महीने में, छः महीने में होगी। गबन का मामला दिखाई देता है तो हम १ महीने में या १५ दिन में इन्क्वायरी करेंगे। आपको शंका है कि यह पद का दुरुपयोग करेगा, उसके लिए आगे जाकर बिल में अधिकार दिये गये हैं। स्टे ऑर्डर किस एक्शन पर कर सकते हैं? तुम यह काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? लेकिन आप उसको किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए अधिकार नहीं देते हैं, नगरपालिका विधेयक में भी नहीं है, फिर इस बिल में इसको लाकर उसके साथ बिल्कुल अन्याय किया है। अब प्रश्न आता है बी पार्ट (iii) इसमें लिखा है: "A Panch, Sarpanch or Upsarpanch who has been removed under sub-section (4) or against whom the findings have been recorded under the proviso to that sub-section shall not be eligible for re-election under this Act for a period of 3 years from the date of his removal or, as the case may be from date on which such finds are recorded." अब प्रश्न आता है जैसा कि हमने नगरपालिका विधेयक में स्वीकार किया है शहरों में रहने वाले लोग किसी सदस्य को हटा देते हैं, तुरन्त हटा देते हैं, उपचुनाव होता है उसमें तो वह सदस्य भाग लेता है। पंचायत का कोई सदस्य राजस्थान सरकार की किसी आज्ञा की हुक्म-अदूली करता है और उस आधार पर हटाया जाता है तो वह ३ साल तक चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। यह ३ साल पीरियड कितना लम्बा है। हमारे विधान सभा के इलेक्शन के लिये भी जो कोई करप्ट प्रेक्टिस करता है डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की आशा है उसके बाद उसको ६ साल के लिये डिबार कर देते हैं। इसमें आपने अपील का भी प्रावधान नहीं रखा है। किसी को हाई कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं दिया है। यह जो ३ साल के लिये डिबार का प्रावधान रखा है वह बहुत ज्यादा है इसलिये इसको ३ साल से घटा कर एक साल का कर दिया जाय। इसलिये मेरा संशोधन है Three years जहां है वहां One years करदिया जाय।

अब इसके बाद में, सभापति महोदय, Part (v) Section 23 be substituted by the following:—

"Every Panchayat may appoint a Secretary and such other staff as may be necessary for carrying out the duties imposed on it by or under this Act on such conditions of service as may be prescribed."

इसमें जो पंचायत एक्ट है, जो मूल एक्ट है सेक्शन २३ द्वारा किस प्रकार से पंचायत सेक्रेटरी का अपोइन्टमेंट करेंगे। अभी तक इसके अन्दर यह था कि सेक्रेटरी का अपोइन्टमेंट करते हैं तो म्युनिसिपेलिटी के इनचार्ज की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, पंचायत समिति की स्वीकृति लेने पर अपोइन्टमेंट हो। इसके अन्दर दिया हुआ है कि इसके लिये रूल्स प्रेस्काइब होंगे।

Page No.64

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हम एक ओर तो यह कहते हैं कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन करने जा रहे हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा हम इस बिल द्वारा काम का डीसेन्ट्रेलाईजेशन कर रहे हैं, सत्ता का नहीं। आखिर हमें किसी न किसी स्तर पर तो अधिकार देने होंगे। पंचायत समितियों को सबोर्डिनेट स्टाफ के अपोइन्टमेन्ट के अधिकार दिये हैं। आज हम देखते हैं पंचायतों के अन्दर क्लर्क जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं या पार्ट टाइम होते हैं। कम से कम यह अधिकार तो पंचायतों को दें। उसके लिये आप नियम बना सकते हैं। as may be prescribed यह कर सकते हैं। राजस्थान सरकार नियम बनायेगी उन्हीं नियमों के आधार पर पंचायतें अपना सेक्रेटरी नियुक्त करेंगी। किसी पंचायत समिति में और विकास अधिकारी में नहीं बनती है तो पंचायत समिति के ३।४ सदस्य अविश्वास ला सकते हैं और उसे पंचायत समिति से हटाया जा सकता है। इससे यह साफ पता पड़ता है कि हम बेसिक यूनिट्स को कितने अधिकार देने जा रहे हैं। वहां राजस्थान सरकार इस प्रकार के अधिकारों से बिल्कुल वंचित रखना चाहती है। इसके लिए मेरा संशोधन है कि हरेक पंचायत को इस प्रकार के अधिकार दिये जायं कि प्रत्येक पंचायत अपने सर्कल में अधिकारी अपॉइन्ट कर सकती है।

इसके आगे मेरा संशोधन पार्ट ७ के सब पार्ट 'सी' में है Part (vii) sub-part (c) :, 'Delete the new clause (20), Part (x) :, Sub-part (a), itme (iii) be omitted

इसके अन्दर हमने कुछ टेक्सेशन के पॉवर्स दिये हैं सब-सेक्शन ६४...

In Section 64 of the said Act-(a) in sub-section (1)-(i). Clauses a, b, c, and d, shall be omitted.

After clause (i) the following shall be substituted namely (i) a pilgrim tax and... इसके अन्दर यात्री कर लगाने का प्रावधान रखा है। या तो यात्री कर औरंगजेब के समय में लगता था या अब लग रहा है। उसका भी काफी विरोध हुआ था। पिलग्रीम का मतलब है धार्मिक यात्रा करने वालों लोगों पर कर। अगर हमने इसके लिये पहले जो प्रावधान किया था उसको स्वीकार करते हैं तो आपत्ति नहीं। पंचायत अपने क्षेत्र में कोई भी मेला लगता है या उत्सव होता है उसके लिये दूकानें, जमीन आदि देती है उस पर कर लगा सकती है। लेकिन जो पिलग्रीम्स के लिए रखा है धार्मिक यात्रा करने वाले यात्रियों पर यह टैक्स होगा। जब सरकार अपने को अधार्मिक मानती है वैसी हालत में धर्म विशेष के यात्री पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अतः यह न्यायोचित नहीं है, इससे कई झगड़े पैदा होंगे। ये सब मेरे संशोधन हैं। आशा है माननीय मन्त्री महोदय इन पर उचित विचार करके जो स्वीकार करने योग्य हों उन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, the Hon'ble Minister was a member of the Select Committee and there is no note of dissent given by him thereon and therefore I don't

(श्री श्रीमानसिंह)

think at this stage, the Hon'ble Member can move any amendment,

श्री सभापति : He has got an amendment, I have permitted him to move.

श्री श्रीमानसिंह : This is question of convention, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : Look to the amendments first. They are not substantial.

श्री सभापति : Yes. You may move.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मेरा अमेन्डमेन्ट यह है Hon'ble Members may look to the amendments. They are not very much substantial amendments. I am moving them without any comments. I think, Sir, that these amendments are all formal. These are some printing mistakese and I think they may be taken as moved.

[संशोधन इस प्रकार है :

(1) In the sub-part (e) of (i)—

(a) substitute '(15)' for '(15 A)' and

(b) insert 'to them' after 'assigned' in the proposed clause (16).

(2) In part (ii)—

(a) in clause (aaa) of the proposed sub section (2), insert 'respectively' after 'deemed' and

(b) in clause (c) of the proposed sub-section (4), substitute 'function' for 'functioning'.

(3) In part (ivc)—

(a) in the second line of the first proviso to the proposed sub-section (8), substitute 'have' for 'be',

(4) In part (viia), insert 'new' before 'section' in line 1.

(5) In part (viib) —

(a) in line 1, substitute 'sub-sections' for 'subsection (2)'.

(6) In part (x), sub-part (a), substitute 'for' for 'after,' in line 5.]

श्री सभापति : Yes, they may be taken as moved.

Raja Sri Man Singh.

राजा श्री मानसिंह (वैर): Mr. Chairman, Sir, I have moved four amendments to this clause. My first amendment, Sir, is that after sub-clause (iv) of clause 3 of the Bill, add another sub-clause (iv A). The Select Committee in its report has said that 'The provision as it stands lays down that for becoming a resident of a Block or a district it would be necessary for a person to reside

(राजा श्री मानसिंह)

there for not less than 180 days in the aggregate in a Calendar year. The Committee on considering this provision are of the opinion that it would be more appropriatate to provide that this period of 180 days should be during the 12 months immediately preceeding the date fixed for any election, Co-option or nomination under this Act.' The Committee itself, Sir, has amended this, accordingly. But they have omitted to make a new clause in the Bill which I wish to frame as (iv) A. My reasons for doing this, Sir, are that in this Act and the definition of 'residence' that will be taken under it, a person can be nominated or co-opted to the Panchayat Samiti but he may at the same time come under the disqualification to be an elector of a Panchayat which is a body working under the Panchayat Samiti. To my find, Sir, if a person is disqualified to be an elector he should be disqualifid for being co-opted or nominated. But the Select Committee has suggested and the House has accepted the provision as provided in sub-clause 12 of Clause 2. Therefore, my amendment is that in the explanation of Sub-clause (i) of Section 10 of the said Act. substitute the words "in the calander year" with the words "during the 12 months immediately".

श्री सभापति : Which is that Sub-clause ?

राजा श्री मानसिंह : Sub-clause (1) of Section 10 of the Rajasthan Panchayat Act, Sir. In the explanat'on for the word's in the calener year, I would like that the words " during the 12 months immediately " be subitituted, I mean these are the consequences of the definition that has been accepted by the House. If we don't make that amendment, it means that the person who is nominated though he may not be an elector, can be qualified for being nominated.

My next amendment, Sir, is that in part (iva) (d) (ii) of clause 3 of the Bill, after the words 'any' person and before the words "may be' insert the following words :

(1) shall become eligible for election after a lapse of 5 years, or earlier be."

To my mind, Sir, the provision at the moment can be made to read that the person who is disqualified under Section 11 of the Act in clause c,g,and i need not be made eligible for election for an indefinite period. He may be disqulaified for a life time which is against the principles of the peoples Representation Act itself. It means that a person who nuder this Act can be disqualified for deing a Panch or Sarpanch, according to the Peoples' Represenation Act, he may be elected either to this House or to Lok Sabha and even after election he may become a Minister though he may be disqualified by the State Goverument to be a Panch, It is quite clear that in the

(राजा श्री मानसिंह)

Representation of the People Act, it is given that "if whether' before or after the commencement of the Constitution, he has been covicted by a court in India of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years, or such less period as the Election Commission may allow in any particular case, has elapsed since his release" It goes on to say in another section that" if having held any office under the Government of India or the Government of any State or under the Crown in India or under the Government of an Indian State, he has whether before or after the commencement of the Constitution, been dismissed for corruption or disloyalty to the State, nnless a period of five years has elapsed since his dismissal.' So I want Sir, that in this proviso a person who is not by either or intention lapse of State Government not being qualified to be eligible for election, ahall automatically become eligible after the lapse of five years.

My third amendment, Sir is "In part (iv b) of clause 3, in the new sub-sectiou (4B), after the words "3 years" and before the words "from" insert the following words :–

"including the period of suspension."

The clause as such as it stands, Sir, reads that "a Panch, or Sarpanch or Up-Sarpanch who has been removed under sub-secfion (4) or against whom the findings have been recorded under the proviso to that sub-section shall not be eligible for election under this Act for a period of 3 years from the date of his removal or as the case may be, from date on which such findings are recorded. Here I would like to say that including the period of suspension or as the case may be, from the dare on which such findings are recorded, it is quite obvious that if a Panch or a Sarpanch is suspended as a result of enqiry being initsated against him the enquiry may take one year or two. The intention of the clause is to debar him for election for a period of three years. But if the finding has taken a period of three years then the person concerned will not be again eligible from the date of recordings of the findings. Therefore, Sir,.........

श्री सभापति : Is that the intention of the Section...

राजा श्री मानसिंह : The intention of the Section is to debar a person for three years but according to the Section it is possible that a person may be debarred for five years or even six years, and therefore my submission is that the amendment that the words 'including a period of suspension' should be inserted.

Sir, my last amendment is to delete the second proviso to new sub-section 8 in part (ivc). Enough on this issue has been said by the Hon'ble Member

(राजा श्री मानसिंह)

from Phulera but even then I would like to emphasise that if we are to carry on the development works of vast space then why to have this provision that for certain works a majority of not less than two third of the whole number of Panchas including the Sarpanch or a Panchayat shall be necessary. Even here, Sir, in this House we are trying to pass this Bill by a majority and not by a majority of 2/3 of the House. I will go to say, Sir, that the Treasury Benches to which the party they belong is suffering from the same element where the P.C.C. is unable to elect a P.R.O. by a majority.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : But How it is relevant here ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : It is not relevant.

राजा श्री मानसिंह : I fail to understand, Sir, that...

श्री श्रीमानसिंह : What has happeand to your organisation ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : It has been liquidated.

राजा श्री मानसिंह : I am, therefore, of the opinion, Sir, that this proviso should be deleted.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : सभापति महोदय, अमेंडमेंट मैंने आज ही दिया, लेकिन उनमें से एक फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य के अमेंडमेंट के अनुसार ही है, इसलिए उनके समर्थन में मैं कुछ शब्द निवेदन कर रहा हूं...

श्री सभापति : You are speaking in support of it ?

श्री सोहनलाल भटनागर : Yes Sir. वह यह है कि सब-क्लॉज (२) के प्रोविजो २ को डिलीट कर दिया जाय। इसके बारे में सभापति महोदय, निवेदन करना है कि विकास कार्यों के अन्दर जल्दी निश्चय लेना लाजिमी है। इसके बारे में मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिश की है उस हिसाब से मुझे इस धारा को देख कर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कोई गांव में टेक्स, कुंए हुए तो ऐसे कार्यों के लिए मेजोरिटी २।३ की होना बहुत आवश्यक है। सभापति महोदय, ब्लॉक्स में हमने कार्य किया है और हम देखते हैं कि जो कुछ निर्णय पर हम पहुंचते थे तो उसमें कोई वोटिंग नहीं होता था और जनरल सेन्स ऑफ ओपीनियन ले ली जाती थी और हरेक में टर्न बाई टर्न उस विलेज या पंचायत में इस तरह के कार्य कर दिये जाते हैं। अगर यह लाजिमी रख देते हैं कि वोटिंग होगा और २।३ वोट प्राप्त किये बिना कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। इस दृष्टिकोण से करना चाहेंगे कि वोटिंग का सिस्टम हो। डवेलपमेंट वर्क के लिए कमसे कम रखा जाय इस दृष्टिकोण को तो वह ठीक नहीं है।

दूसरा दृष्टिकोण यह है, माननीय सभापति महोदय, उसकी शीघ्रता का क्योंकि हमने देखा है और डीसेन्ट्रेलाइजेशन भी इसलिए कर रहे हैं कि जो गति धीमी थी उसको तेज कर रहे हैं। अगर यह प्रोविजो रह जायेगा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

तो उसका परिणाम क्या निकलेगा ? इसमें यह व्यवस्था दी है कि पंचायत का सरपंच जो है वह जाकर पंचायत समिति का सदस्य होगा एक्स-ऑफिशियो। उसका मतलब यह था कि अपने पंचायत सर्किल के जितने कार्य हैं उनके लिए जाकर वह रिप्रेजेन्ट कर सके।

२. २३ म. प.

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था रख की है कि सरपंच ने अपनी राय दे दी है कि फलाने गांव के अन्दर फलां तालाब या कुँआ बनवाना है। वह ओपीनियन पास हो जाती है। अभी तो यह था कि जैसे ही ब्लॉक्स की कमेटी से पास होता कार्य शुरू हो जाता। अब यदि वह पंचायत समिति से पास हो जायेगा तो उसका एक दूसरा कार्य और रह जायेगा। जब कि यह धारा रख दी जाती है तो बहुत जरूरी होगा कि पंचायत में जाकर उस कार्य को जिसको कि सरपंच ने पंचायत समिति में पास कराया है उसको रेटीफाई कराना जरूरी हो जायेगा। वह पंचायत की २।३ मेजोरिटी से रेटीफाई करायेगा। पंचायतों के आजकल के वर्किंग में हम देखते हैं तो कई दफे कोरम का होना मुश्किल हो जाता है। तो २।३ तो बड़ा मुश्किल होगा और मीटिंग को एडजोर्न करनी पड़ेगी और कई दिनों के लिए सारा कार्य नहीं हो सकेगा। विकास कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी चीज है। इसलिए क्लॉज का जो प्रोविजो है मेजोरिटीवाला है उसको डिलीट कर दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो संशोधन है मेरा इसमें यह है कि यह जो नया ऐ है...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : संशोधन है कहां ?

श्री सोहनलाल भटनागर : दिया हुआ है। मूव करने की इजाजत दी गई है।

श्री श्रीभानसिंह : We have not received a copy of it.

श्री सभापति : So do you want to move it ?

श्री श्रीभानसिंह : But I object to it Sir. I have not received a copy of the amendment, Sir. So the Honble member should not be allowed to move it.

श्री सोहनलाल भटनागर : मेरा कोई खास इसरार नहीं है। अगर हो तो ठीक रहेगा सदन के लिए।

श्री अर्जुनदास : The House can grant the request....

श्री सभापति : Because the amendment has not been moved so it is not allowed.

•**श्री तेजाराम गेहलोत** (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया है धारा ३ की के सब-क्लॉज (८) के अन्दर जो प्रोविजो नं० है यह डिलीट कर दिया जाय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

(श्री तेजाराम गहलोत)

क्योंकि जैसा कि अभी पंचायत अधिनियम में एक प्रावधान है कि पंचायत की मीटिंग के लिए १।३ का कोरम रखा गया है। जब कि १।३ का कोरम है और जैसा कि पंचायत समिति बिल के अन्दर लिखा है :

"All matters coming before the meeting of a panchayat shall be decided by a majority of the Panchas present and voting..."

लेकिन जहां तक दूसरा प्रोविजो है उसके अन्दर यह रखा गया है कि अपनी प्रेजेन्स के लिए नहीं। जितने भी पंचायतों के और पंचायत समितियों के मेम्बर हैं उनका २।३ का प्रेजेन्ट होना लाजिमी है। लेकिन जैसा कि पंचायत अधिनियम में है कि वहां पर कोरम १।३ ही जरूरी है। ऐसी हालत में २।३ ऑफ दी पँचाज ऑफ दी पंचायत उस सिटिंग में नहीं आ जायं तब तक विकास के कार्यों में डिसीजन नहीं लिया जा सकता है।

हमारे यहां गांवों में हिकिंग पर्पज के लिए पानी की शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कई जगह डिफिकल्टी होती है और जबतक २।३ की मेजोरिटी से उस पंचायत में यह पास न हो जाय कि अमुक जगह और अमुक गांव में सारी जनता के लिए, उनकी सुविधा के लिए कुँए बनवाना है या सड़क बनवाना है, जब-तक सब लोग इस सिद्धान्त के न हो जायें और मेजोरिटी यह चाहती है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए या आम जनता के लिए अमुक जगह पर सार्वजनिक कुँआ हो, लेकिन जब तक २।३ पंच नहीं चाहेंगे तब तक कार्य नहीं किया जा सकता है, और जो कुछ आज के जमाने में सार्वजनिक कुँए के ऊपर डिफिकल्टी पैदा होती है वह उस गांव के लिए कायम रहेगी। इसलिए जो कुछ भी सुधरे हुए विचारों के पंच और मेजोरिटी यह चाहती है कि आम जनता की सुविधा के लिए कुँए बनाना चाहिये या कुँओं पर रिफॉर्म किया जाना चाहिए यानि कुँओं पर हौज वगैरह बनाये जाने चाहिएं। अगर यह रखा जाता है प्रतिबन्ध कि २।३ का प्रेजेन्ट होना लाजिमी है, यह यहां न रख कर ऐसे सार्वजनिक कार्य के लिए बेअर मेजोरिटी होना चाहिए। यह सिद्धान्त बहुत ही अच्छा है कि २।३ की मेजोरिटी से नहीं बल्कि एकमत से काम हो। परन्तु जैसी भावना गांव के अन्दर है और जैसा कि देखा जाता है कि न तो सारे पंच किसी सिटिंग में आते हैं, और जब नहीं आते हैं तो इस तरह का प्रावधान रखना विकास कार्य को लम्बा करेगा और उसका नतीजा यह होगा कि ऐसे विकास कार्य हमेशा के लिए नहीं हो सकेंगे।

जहां तक ऐसे कार्यों का डिसीजन है उनकी मन्जूरी तो होगी पंचायत समिति से और एक्जीक्यूशन होगा पंचायत के जरिये से। तो पंचायत समिति ने मंजूर कर लिया है, लेकिन फिर भी पंचायत के २।३ पंच शामिल नहीं होते हैं, और इस तरह के कार्य के लिए अपना फैसला नहीं लेते हैं तो पंचायत समिति का फैसला रद्दी की टोकरी में रहेगा, और गांव के विकास का कार्य ठप्प रह जायेगा। इसलिए विकास के कार्य को जल्दी कराने के लिए और जैसी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए २।३ मेजोरिटी ऑफ दी टोटल नम्बर ऑफ पंचाज को हटा कर बेअर मेजोरिटी का रहना चाहिए।

Page No.71

श्री श्रीभानसिंह : माननी चेयरमैन....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका एमेंडमेंट थोड़े ही है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं अमेंडमेंट के सपोर्ट में बोल रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास: कभी कभी तो खिलाफ में भी बोल लिया करें।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन, मैंने जो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि इस बिल को पायलॉट कर रहे थे, ने उत्तर दिया तो उस उत्तर को बड़े गौर से नाथूरामजी साहब के कहने के अनुसार देखा और सुना। मैंने तो सुना ही था। वह देखते और हैं। मैंने उनके क्लेरिफिकेशन को गौर से सुना। मैं यह चाहता था कि जो पोइन्ट्स यहां पर रेज किये गये थे उनको कुछ किसी तरह से करेक्ट करते या उनको किसी तरह से बताते कि वे किस तरह से गलत हैं।

सबसे पहले मैं प्रश्न लेता हूं तहसील पंचायत का, और मैंने शुरू में यह कहा था कि गवर्नमेंट के दिमाग में एक कनफ्युजन है.

श्री दामोदरलाल व्यास : We are discussing on the amendments. Sir...

श्री श्रीभानसिंह : I am talking to the Chair...

श्री सभापति : Objection may be heard first.,

श्री श्रीभानसिंह : I am opposing this clause for which I am entitled.

श्री दामोदरलाल व्यास : So yon are not supporting. You are opposing the clause.

श्री श्रीभानसिंह : इसको पास करके जनरल अमेंडमेंट को सपोर्ट करना है। उसके ऊपर आऊंगा। यह जो आरग्यूमेंट देते वक्त यह कहा कि हमने राजस्थान के अन्दर तहसील पंचायतों को किसी बेक ग्रउन्ड में शुरू किया था....
मैं थ्रू आउट उनके भाषण को सुनना चाहता था लेकिन आखिर में बेक ग्राउन्ड क्या था जिसके कारण तहसील पंचायतों को शुरू किया उसका पता नहीं चला। आप देखेंगे कि कहीं भी उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझी और न एक्सप्लेन किया। आखिर वह बेक ग्राउन्ड क्या था? आपका यह सिद्धान्त हो सकता है हम जुडिशियरी का भी विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, सस्ता न्याय मिले इसका एडवान्टेज़ है या हो सकता है। लेकिन अगर बेक ग्राउन्ड यह था तो आपका इन्टेन्शन तब पूरा होता जब कि आप जुडिशियल पंचायत को सिविक फंक्शन्स नहीं देते तो मैं जानता कि आपका एम सिर्फ जुडिशियल पॉवर देने का है। लेकिन उस टाइम दोनों ध्येय थे, जुडिशियल पंचायत जुडिशियल कार्य भी करे और दूसरी तरफ सिविक ड्यूटीज भी अंजाम दे। लेकिन तजुर्बा यह हुआ कि उन्होंने सिविक ड्यूटीज परफोर्म नहीं की। जुडिशियल फंक्शन इसलिए किया कि यह फंक्शन आथेरिटी स्थापित करता है इसलिए लोगों ने इसको अपनाया और सिविक ड्यूटीज को नग्लेक्ट किया। अब जब आप डीसेन्ट्रेलाइजेशन करते हैं तो एक

(श्री श्रीमानसिंह)

मकसद से करते हैं कि एक इन्स्टिट्यूशन ऐसा क्रिएट करें, उसको ऐसे पॉवर्स दें जो लोकल नीड्स को फुलफिल करती हो। लेकिन नीड के अनुसार वह इकॉनोमिक फंक्शन भी करे, सोशियल फंक्शन भी करे और कल्चरल भी करे और जुडिशियल भी हो। जुडिशियल नीड के लिए दो, तीन अलग इन्स्टिट्यूशन क्रिएट करते हैं तो कन्फ्यूशन साफ है। ४० इन्स्टियूट्शन क्रिएट करते हैं कि डीसेन्ट्र-लाइजेशन है। आज डीसेन्ट्रलाइजेशन का काम आपके डिपार्टमेंट्स करते हैं। क्या आपका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव फंक्शन्स को नहीं देखता है? क्या आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर फंक्शन्स को नहीं करता है या आपका वेटरनरी डिपार्ट-मेंट वेटरनरी को लुक-आफ्टर नहीं करता। क्या सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट सोशियल और कल्चर मामलों को लुक-आफ्टर नहीं करता है। फिर आपको पंचायत समिति क्रिएट करने की जरूरत क्या थी। या तो यह था कि डिपार्टमेंट्स जो कुछ करते हैं वे लोकल सेल्फ रिलाइयेन्स को क्रीएट नहीं करते। जब यह मकसद था, डिपार्टमेंन्टल ऐक्टिविटीज करना नहीं चाहते हैं क्योंकि अनकोर्डिनेशन होता है। एक डिपार्टमेंट कुछ करता है, दूसरा कुछ करता है तो उसे कन्फ्युजन क्रिएट करते हैं मल्टीफेरीसिटी क्रिएट करते हैं उनके लिए आप एक इंस्टि-ट्यूशन क्रिएट करते हैं। हो सकता है कि उनको आप जुडिशियल पॉवर नहीं देते। तहसील पंचायत को आप जुडिशियल पॉवर देंगे तो इकॉनोमिक और दूसरे फंक्शन हैम्पर करेंगे क्योंकि हो सकता है कि वे जुडिशियल फंक्शन्स को ज्यादा करें। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने में पहल करना चाहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि इसमें पहल नहीं करें। लेकिन पहल करने में कहीं टारटोराइज रेस न हो जाय और टारटोराइज आगे न निकल जाय। मेरा ख्याल है कोई आगे निकलेगा क्योंकि जहां हम कन्फ्यूजन पैदा करते हैं वहां दूसरे आगे निकल सकते हैं। अगर आप निकलना चाहते हैं तो तहसील पंचायत को एबोलिश करिए। उसका बेक ग्राउन्ड यह है कि उसमें पोलोटिसियन्स एन्टर हो गए हैं। उन्होंने उसे वैस्टेड इन्ट्रेस्ट बना रखा है। उनमें गवर्नमेंट ऑफिसियल्स का इन्टरफिरेंस इतना है कि लोगों को उनसे न्याय नहीं मिलता है बल्कि अन्याय मिलता है। तो ऐसे इन्स्टिट्यूशन को एबोलिश करने के लिए आप तैयार नहीं हैं और उनको एमलगमेंट करना चाहते हैं, उनको पॉवर और पोजीशन देना चाहते हैं। पंचा-यत समितियों का उनमें कैसे आप समावेश करते हैं, कैसे कोर्डिनेट करते हैं और फिर कहते हैं कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन करना है। ग्राम पंचायत का आज आपके पास ऑर्ग-नाइजेशन मौजूद है। न्याय के सर्कल्स बढ़ सकते हैं तो बड़े सर्कल्स बनाने में कितनी देरी लगती है लेकिन आप सर्कल्स को आल्टर या चेन्ज नहीं करना चाहते हैं तो उनके इकॉ-नोमिक और जुडिशियल दोनों तरह के फंक्शन्स रहते हैं। अगर आप इस सिद्धान्त को मानते हैं कि इलेक्टेड आदमी जस्टिस कर सकते हैं जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, हो सकता है कि वे इम्पार्शियल हों। तो मैं कहता हूँ कि इसको आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लागू करिये। वहां भी इले-क्टेड - जजेज होने चाहिये, पोलिटीसियन्स को भी इन पदों पर लीजिये। क्योंकि इलेक्शन में मेजोरिटी ऑफ वोट से, शो ऑफ हैंड से आते हैं। एक एक तहसील

(श्री श्रीभानसिंह)

पंचायत के इलेक्शन्स में मर्डर तक हुए हैं फिर भी आप इन इन्स्टिट्युशन को मौजूद रखना चाहते हैं। जिनके इलेक्शन्स शो ऑफ हैंड से हुए, जहां कोई बेकिंग नहीं, जहां वोटर्स लिस्ट नहीं उनको आप रखना चाहते हैं, यह आपका बेक ग्राउन्ड है यह आपका सम्पिसियस, ड्यूबियस बेक ग्राउन्ड है। उसको आप अच्छा बेक ग्राउन्ड समझते हैं। न मैं इस बेक ग्राउन्ड को सपोर्ट करता हूँ और न इन इन्स्टिट्युशन्स को सपोर्ट करता हूँ। यदि यह कहा जाय कि आज राजस्थान में डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युशन्स कोई खराब है तो वे हैं तहसील पंचायत और ग्राम पंचायत जिनके इलेक्शन्स में मडर्स तक हुए हैं, जिनके पंचाज और सरपंचाज के खिलाफ ऑफिशियली इन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट हुई है, जिनके खिलाफ एग्जीक्युटिव ऑर्डर्स होते हैं उनको हेलो दे दें, न्याय देने वाली मान लें, और उनको इतने पावर्स दे दें। उनको रखने में आपका और कोई इन्टेन्शन नहीं है, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

यदि आपमें बोल्डनेस है और पहल करना चाहते हैं और बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं तो आपको क्लीयर कट फ्रेम वर्क डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें आप इलेक्टेड आदमी रखिए, सर्कल्स बनाइये। जुडिशियल काम के लिए क्या एक सब-कमेटी पंचायत समिति की नहीं हो सकती जो अपील सुन सके। जब आप एक सब-कमेटी को अपीलेट फंक्शन्स दे देते हैं तो कहां आपका डवेलेपमेंट वर्क डाइवर्ट होता है और वर्क में हिन्डरेंस आता है......

श्री मूलचन्द डागा (पाली): -Standing Committee can do it...

श्री श्रीभानसिंह: स्टेन्डिंग कमेटी पंचायत समिति में हो सकती है जो जुडिशियल काम कर सकती है। जब आप इस सिद्धान्त को मानते हैं कि लोकेली इलेक्टेड आदमी वहां की नीड को, इन्डिविज्युअल नीड को जानते हैं और उससे प्रभावित होते हैं तो और करेप्ट ये नहीं हो सकते क्योंकि गांव के आदमी उनके पीछे लगेंगे। जहां इस सिद्धान्त को मानते हैं तो यह भी मानना पड़ेगा कि जिस आदमी के हाथ में आप न्याय का काम देते हैं उसके गांव में इन्टिमेट कनेक्शन्स हों तो वह न्याय नहीं दे सकता। उसके सामने पार्टीज आयेंगी और स्ट्रोंगर पॉवर्स की ओर यह झुकेगा। जब वह स्ट्रोंगर पॉवर्स की ओर झुकता है तो वह न्याय नहीं दे सकता। हम मुख्य मंत्रीजी से केटोगेरिकल डिक्लेरेशन चाहते थे कि तहसील पंचायतों को खत्म करेंगे और गांवों में ड्यूल कन्ट्रोल या डायार्की है उसको खत्म करेंगे। वह केटोगेरिकल डिक्लेरेशन उन्होंने नहीं किया और कोई बेक ग्राउन्ड भी नहीं बताया बेक ग्राउन्ड वे मानते हैं वह अनुहेल्दी है, वह उस टाइम की नीड का हो सकता है जिस टाइम शुरू किया था लेकिन इस टाइम के अनुरूप नहीं इसलिए उसको खत्म करना चाहिये। यह मेरा तहसील पंचायत के लिए सुझाव है।

जहांतक यह सवाल है कि ६० से किया जाय या ६१ से किया जाय, यह भी मेरी समझ में नहीं आता कि, ६१ आपने क्यों रखा है? जो प्रिंसिपिल आप ले-डाउन करते हैं, उसके कॉन्ट्रेडिक्टरी चलते हैं आप क्योंकि आपने पंचायत समिति को इसलिए

(श्री श्रीमानसिंह)

क्रियेट किया है कि वे राजस्थान के इकॉनोमिक डवेलपमेंट में क्रियाशील भाग लें, इनका सोल कन्सर्न इकॉनोमिक डवेलपमेंट हो। जब इकानोनिक डवेलपमेंट करना चाहते हैं तो ६० में रीकॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि प्लान पीरियड ६१ में खत्म होगी, ६२ में थर्ड प्लान शुरू होगा और पंचायत समिति का बनाने का मूलाधार यह है कि प्लानिंग के फोर्मेशन और एक्जीक्युशन में मदद करे। मदद तब ही कर सकती है जब ६१ में इलेक्शन करेंगे। प्लान के फॉरमुलेशन में तभी हेल्प होगी जब '६० में कॉन्स्टीट्यूट करेंगे। वैसे भी रेशनल पीरियड है '६० क्योंकि जो पंचायतें आयेंगी, वे सेकिंड प्लान के एक्जीक्युशन में १ करोड़ रुपया खर्च करेगी तो उन्हे कुछ एक्सपीरियेन्स होगा और एक्सपीरियेन्स गेन करके जो थर्ड प्लान फोर्मूलेट करेंगे। जो बिलेज प्लान बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनना चाहिए, उसके लिए उन्हें सेकिंड प्लान का, ६०,६१ का एक्सपीरियेन्स होगा वह गाईड करेगा। ६१ में पंचायत समिति आयेगी तो जो पंचायत सर्किल, ब्लॉक सर्किल के रिसोंसेज का ढांचा होगा उनकी न जानकारी होगी और न एक्जीक्युशन का एक्सपीरियेन्स होगा, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि '६१ में वे पावर रिज्यूम करेंगी, उससे पहले थर्ड प्लान बन जायेगा, उसका एक्जीक्युशन करने के लिए मशीनरी तैयार कर देंगे? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मकसद है आपका पंचायत समिति के फार्मूलेशन और एक्जीक्युशन में, मैं जानना चहूँगा कि कौनसे ईअर में पंचायत समिति प्लान फोर्मूलेट करेंगी और कौनसे ईअर में एक्जीक्यूशन करेंगी? थर्ड प्लान के एक्युजीक्शन की एजेन्सी पंचायत समिति क्रियेट करते हैं, तो जिस प्लानिंग को नीचे से ऊपर लाना चाहते हैं, जिस प्लान का डीसेन्ट्रलाइज करना चाहते हैं उनको वह थर्ड प्लान सेन्ट्रलाईज मिलेगा और जब तक सेन्ट्रलाइज मिलेगा तो जिसे उसके एक्जीक्युशन की एजेन्सी रखना चाहते हैं उसमें वह एन्थूजियाज्म नहीं रहेगा। अब अपना बेसिस ऑफ एन्थूजियाज्म यह है कि एक आदमी अपनी नीड्स का अनुभव करेगा और न उसके मुताबिक प्लान बनायेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि न तो वह नीड्स का अनुभव करेगा और न उसके मुताबिक प्लान फार्मूलेट कर सकेगा। इसलिए ६० बेटर ईअर है। फिर, ६० ही मार्क क्यों रखे? जो हमारा फाईनेन्शियल ईअर मार्च में स्टार्ट होता है उस समय बजट में सर्टेन अमाउन्ट रखते हैं ६०,६१ में जिस इलेक्टेड बॉडी को काम करना है वह एक तरह एक्सपेन्डीचर साइड से, किन किन एक्टीविटीज पर स्पेन्ड करती है वह पिक्चर क्लीअर हो जायेगी। यह एडवान्टेज है, ६० में चुनाव करने में। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन बॉडीज के लिए जिनको आप चाहते हैं यह कहा जाय कि इकॉनोमिक डवेलपमेंट के प्रश्न से इकॉनोमिक की तरफ ध्यान नहीं देती और यह कहें कि यह नोमिनेटेड एलीमेंट है, यह इलेक्टेड एलीमेंट है, सुपर इम्पोज्ड एलीमेंट है, सुपरफ्लुअस एलीमेंट है, यदि ऐसा है तो रीऑर्जेनाइज्ड बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूट करने में जल्दी क्यों न की जाय? फिर प्रश्न यह आता हैं कि राजस्थान में क्या क्या सर्किल बनेंगे, छोटे ग्रामों में क्या पोपूलेशन रहेगी, यह नही जानते। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह तथ्यों से अलग है और हमारे सामने क्लिअर पिक्चर है कि राजस्थान के अन्दर मीडिल विलेज ज्यादा हैं और हजार के विलेजेज की

(श्री श्रीमानसिंह)

जो कल्पना करते हैं वे थोड़े हैं, हजार के विलेज उससे कम है। इसके स्टेटिसटिक्स मौजूद हैं जिससे राजस्थान को डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है कि किस किस विलेज में कितनी कितनी पोपुलेशन हैं, फलां गांव कौन जाने, किस एरिया में आता है। तो उसे लेकर सर्किल डिसाइड कर सकते हैं। हमारे सामने क्या ऑब्सटेकल आता है कि अगर ६० में चुनाव करायें तो इस वजह से नहीं कर सकते? सेकिंड अक्टूबर से इसे लागू कर दें और उसका एरिया रखें, उसका पीरियड रखें तो नोमिनेटेड, सुपरइम्पोज्ड या सुपरफ्लुअस बॉडी को ६१ तक कन्टीन्यू रखें तो न तो प्लानिंग के एक्जीक्यूशन को ही सफल कर सकेंगे और न प्लानिंग के लिए एडवाईस कर सकेंगी और जिस तरह चलती आ रही है उसी तरह चलती जायेगी। इसलिए इसमें नया ब्लड लाने की जरूरत है। तो हम इमीजियेटली नया ब्लड लायें। तो मार्च ६० में इलेक्ट हो, उसको मैं स्पोर्ट कर सकता हूं। इकॉनोमिक, फाईनेन्सियल और एक्जीक्यूशन पोइन्ट ऑफ व्यू से देख लीजिये, ६० ही बैटर है और उसके आगे नहीं होने चाहिए अगर इनका पार्टीसिपेशन चाहते हैं तो।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में जो वोटिंग सिस्टम आया है उसको आप उससे स्ट्रेच करना चाहते हैं। या तो आप यह मान कर चलिये कि विलेज का आदमी अपनी नीड्स को समझता है, कहां कुंए की जरूरत है, कहां टैंक की जरूरत है, कहां पॉंड की जरूरत है, कहां सेनिटरी फिटिंग की जरूरत है। अगर नीड्स को नहीं समझता है तो खड़े होकर कह सकता हूं कि जनतंत्र के लिए हमारे गांव के आदमी तैयार नहीं हैं और आप जो जनतंत्र और विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं वह मत करिये। उन्हें आप मिस्ट्रस्ट करते हैं। एक तरह हम चाहते हैं डवेलपमेंट करना, दूसरी तरफ कुंए खुदवाने के लिए भी दो-तिहाई मेजोरिटी की बात रखते हैं, सेनीटरी फिटिंग के लिए दो–तिहाई मेजोरिटी की बात रखते हैं, टैंक और पोंड के लिए दो–तिहाई मेजोरिटी की बात रखते हैं। आज तक एडहोक कमेटी यूनेनीमसली डिसाइड करती रही है, वह सिम्पल मेजोरिटी से डिसाइड करती रही है। अब उसमें दो–तिहाई मेजोरिटी रख देंगे तो मैं समझता हूं कि जो बड़े बड़े काम एनट्रस्ट करना चाहते हैं उसके लिए दो-तिहाही ओपिनियन हो तो वह सही है, नहीं तो गलत है। इस जनतंत्र प्रणाली में जो वोटिंग सिस्टम है, उसमें मेथेमेटिकल फिनोमिना अप्लाई होता है, मेजोरिटी हो तो काम कराये जायें मेजोरिटी न हो तो न कराये जायं। कुंए खुदवाने के लिए, टैंक के लिए दो–तिहाई मेजोरिटी हो, इसका सिद्धान्त क्या है। क्या यह मानकर चलें कि गांव के आदमी खुद खोदने में, टैंक, पोन्ड्स के बारे नहीं समझते और ये गलत जगह पर होते हैं। अगर इस सिद्धान्त को मानते हैं तो सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि हमारे विलेज फिट नहीं हैं इसके लिए। मगर जब आप विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, एक तरह ग्रामीण जनता को रेसपोन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, तो इस रेस्पोन्सिबिलीटी के साथ न्यूमरीकल स्ट्रेन्थ फिक्स नहीं कर सकते। दो–दिहाई न्यूमरीकल स्ट्रेन्थ से ही डिसीजन

Page No.76

(श्री श्रीमानसिंह)

एक्जीक्यूट हो। एक डिसीजन का एक्जीक्यूशन हो सकता है जिसके पीछे यूनेनिमिटी हो। अगर यूनेनिमिटी नहीं है तो दूसरा आॅल्टर्नेटिव है दो–तिहाई मेजोरिटी। मैं समझता हूँ इसके बजाय सिम्पल मेजोरिटी से डिसीजन होने चाहिए। इसमें क्लेश आफ इन्ट्रेस्ट नहीं है। यह हो सकता है कि इस गांव में पहले क्यों कराया, उस गांव में क्यों नहीं कराया, फिर भी उसमें कारण एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह क्राइटेरिया बना हुआ है कि जिस गांव में ५०० घर हों, उसको पहले लेते हैं और जो छोटे गांव हैं उनको बाद में लेते हैं। यह क्राइटेरिया वे लोग समझते हुए हैं, वे इसको जानते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो दो–तिहाई मेजोरिटी का प्रश्न रखा है उसको हटा दीजिए नहीं तो उनको मिसट्रस्ट किलीअरली करना चाहते हैं, उनकी विजडम को, उनके डवेलपमेंट प्लान को, एक्चूअल नीड्स को आप मिस्ट्रस्ट करते हैं। तो डवेलपमेंट का जहां तक बेसिस है उसमें मेजोरिटी दो–तिहाई न रखें, सिम्पल मेजोरिटी न रखें। उनको फ्री छोड़ दें। पंचायत समिति किसी तरह बैठ कर डिसीजन का क्राइटेरिया फिक्स कर सकती है दो–तिहाई रख लें, तीन–चौथाई रख लें सिम्पल मेजोरिटी रख लें, ऐसी चीजों में डिसीजन लेने के लिए उसको फ्री छोड़ना चाहिए कि कोई तो वे डिसीजन्स लें। स्टील फ्रेम पर वर्क आउट करके देंगे तो उनके अर्थ को, ग्राउन्ड्स को खत्म कर कर देते हैं।

(३ म० प०)

चौथा टैक्सेशन का रखा है, मैं एक-आध टैक्सेज् के बारे में कह देना चाहता हूं। कॉमर्शियल टैक्सेज् गवर्नमेंट ने किए हैं उसके लिए यह कहना है कि...

(श्री दामोदर लाल व्यास के आॅफिसर्स गेलेरी की ओर जाने पर श्री श्रीमानसिंह द्वारा बैठ जाना, कुछ क्षण विराम)

श्री रामचन्द्र (डग–सु) : सभापति महोदय,....

श्री श्रीमानसिंह : I have not yet finished.

श्री दामोदरलाल व्यास : I was present in the House.

श्री श्रीमानसिंह : Your back was towards the Speaker and so I thought you were disinterested. I cannot close my eyes like you in the House.

तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि कॉमर्शियल टैक्सेज़ को जहां रखा है टीक नहीं है। पहले तो इससे कोई आमदनी नहीं होने वाली है। अगर यह मान कर चलें कि राजस्थान में कुछ एरियाज हैं जहां शूगरकेन होता है, उदयपुर के एरिया में शूगरकेन होता है, बीकानेर के एरिया में जहां इर्रिगेशन की फेसेलिटी है वहां शूगरकेन होता है। तो एक जो पॉलिसी आप सोचते हैं शूगरकेन के बारे में तो आपको सोचना होगा कि इसके रिपरकुशन्स क्या होने वाले हैं। शूगरकेन को गांववाले टैक्स करें और स्टेट गवर्नमेंट शूगर की स्केर्सिटी महसूस करके कन्ट्रोल काम में लाये। शूगरकेन है वह आपकी डिमान्ड से कीप-अप नहीं करता तो जाहिर है कि कहीं न कहीं आपकी पॉलिसी में ड्रॉबैक है, खामी है। इनकी ग्रोथ को इनिशियल स्टेज पर ही टैक्स कर दिया तो सिर्फ कॉमर्शियल है इस-

(श्री श्रीभानसिंह)

लिए टैक्स कर दें चाहे उसके कुछ भी रिपरकुशन्स हों, यह उचित नहीं होगा । यही हाल कॉटन का है । एक तरफ इसके प्रोडेक्शन को बढ़ाने लिए कहा जाता है तो दूसरी ओर कॉमर्शियल टैक्सेज लगाए जांय तो कैसे फिट-इन किया जायेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता । कॉमर्शियल क्रोप से पहले इन्कम नहीं हो सकती, कॉमर्शियल क्रोप पर टैक्स लगाने से डिसइन्सेंटिव होगा । लोग प्रोडेक्शन कम करेंगे और आगे जाकर इसमे बड़ा भारी लोस होगा कॉमर्शियल क्रॉप्स को । टैक्स करना है तो इस टैक्स को गवर्नमेंट ले, आपकी कलेक्शन मशीनरी कलेक्ट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को थर्ड प्लान के लिए पैसे की भी जरूरत हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट यह टैक्स ले । पर यह एक ऐसा सुपरफ्लुअस टैक्स है कि इससे कोई इन्कम नहीं । यह एक्सपोर्ट की इकॉनोमी को बढ़ाता है, इससे मतलब क्या ? आखिर कुछ न कुछ तो क्राईटेरिया आपने सोचा होगा ।

पिलिग्रम टैक्स का समझ में आ सकता है, सफाई करानी पड़ती है देखभाल करनी पड़ती है पर इस टैक्स को लगाने और एन्टरटेनेमेंट टैक्स के लगाने से क्या फायदा ? शायद ही राजस्थान में ऐसी एक, दो पंचायतें होंगी जहां कि सिनेमा हाउस हों ।

२।३ मेजोरिटी का इसमें लिया जाता है डेवेलपमेंट पर्पज को ड्रोप करने वाला है । इतने सारे डिपार्टमेंट्स गांवों में अलग अलग काम कर रहे हैं शीप-दान, ग्राम-दान, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अलग काम करता है, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट अलग अपना काम करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग काम करता है तो सिम्पल माईन्डेड विलेजर घबरा जायेगा कि यह क्या विकेन्द्रीकरण हुआ, यह कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, हिन्डरेंस करता है । तो मेरा निवेदन है कि तहसील पंचायत एबोलिश करेंगे और पंचायत सब-कमेटी होगी, रिसोर्सेज-सोलिड रिसोर्सेज होंगे । जैसे मुख्य मंत्री ने कहा कि रिसोर्सेज इन पंचायतों के बेसिस हैं, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वे फंक्शन नहीं कर सकेंगी तो ऐसी सूरत में इन्हें ऐसे सुपरफ्लुअस रिसोर्सेज नहीं दें, सोलिड रिसोर्सेज दें ।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने अमेंडमेंट्स को रखता हूँ और सदन के माननीय सदस्यों से समर्थन चाहता हूँ ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : राव श्री नारायणसिंह ।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, सब क्लॉज ३ में तो पंचायत एक्ट में संशोधन करने के इरादे से परिवर्तन रखे गए हैं उनमें कई महत्वपूर्ण हैं और खास तौर से पार्ट ४ (सी) में मेजोरिटी कुछ कामों के लिए जरूरी मानी गई है और ऐसे कार्यों के लिए जो विकासीय कार्य होंगे और जिनमें कोई खास पॉलिसी या टेक्निकेलिटी इन्वोल्व्ड नहीं होगी ऐसे कार्यों के लिए २।३ मेजोरिटी को रखा इसके लिए बेयर मेजोरिटी का संशोधन आया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ । वास्तव में खास कान्स्टीट्यूशनल दृष्टि से देखें तो विशेष मेजोरिटी का सवाल इसलिए उठता है कि कोई एक साधारण राय से मौलिक प्रश्न

(राव श्री नारायणसिंह)

परिवर्तित नहीं कर दिया जाय, ह्यूमन राईट्स, बेसिक राईट्स कान्स्टीटयूशन में दिए गए है उनका कहीं अतिक्रमण नहीं कर दिया जाय।

जहां प्रोडेक्शन का प्रश्न आता है वहां यदि बेयर मेजोरिटी के स्थान पर २।३ मेजोरिटी रखते हैं तो एक प्रकार से अनुपक्त लगता है। यह अलग बात है कि पंचायत समिति और जिलापरिषदों के विधान बने हों उन उनमें परिवर्तन लाने के लिए मेजोरिटी का प्रश्न उठे तो यह रखा जा सकता है, यह और बात है। पर जहां प्रोडेक्शन के विकास का प्रश्न है वहां बेअर मेजोरिटी का ही रहना चाहिए, विशेष मेजोरिटी बनाने की आययश्यकता नहीं।

पंचायतें और पंचायत समिति आदि टैक्सेशन के पॉवर में बेअर मेजोरिटी से काम कर सकेंगी पर जहां डवेलपमेंट फंक्शन्स और प्रोडेक्शन का प्रश्न है, एक विशेष प्रकार की मेजोरिटी को सीक करना पड़ेगा तो यह रख कर हम शुरूआत में ही इस सारी व्यवस्था को बदनाम करना चाहते हैं।

आज भी हमरा अनुभव है कि गांव हैं वहां अथवा शहरों में कहीं किसी स्तर पर टैक्स का प्रश्न आता है तो हमें अखरता है। जो हमारे डवलपमेंट वर्क्स हैं उनके लिए कन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा पर इस नीचे के दायरें में कुछ ऐसे सेफगर्ड, तरीके नहीं अपनायेंगे कि जो विकेन्द्रित व्यवस्था लाना चाहते हैं उसमें जन मानस उत्साहित नहीं तो जो मौलिक दृष्टिकोण लेकर कार्य करना चाहते हैं उसमें पीछे पड़ेंगे। उसके प्रति उनको श्रद्धा न हो तो हम मौलिक दृष्टिकोण लेकर जो कार्य करना चाहते हैं उसको नहीं कर सकेंगे। यदि टैक्सेशन में बेअर मेजोरिटी को लागू करते हैं तो कोई कारण नहीं कि जहां पर डवेलपमेंट का प्रश्न आता है तो वहां पर इसको क्यों न लागू किया जावे। इसके अतिरिक्त शायद आपका यह विचार हो कि पंचायतें कहीं खर्चे की सीमा का उल्लंघन नहीं कर जावें। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने इस सारे बिल में तरतीबवार और दायरेवार सारी व्यवस्था रखी है कि जहां जिस डिपार्टमेंट का कार्य होगा वहां पर उस डिपार्टमेंट का दखल होगा। इसके अतिरिक्त पूरा काम प्लानिंग के अनुसार होगा। पहले प्लानिंग होगा। इसलिये अधिक खर्च करने का खतरा जो आपके सामने है वह बहुत कम रह जाता है। वे तो प्लानिंग के अनुसार ही चलेंगे। ऊपर से प्लानिंग बनेंगे। उसके अनुसार नीचे से हो तो कोई छोटी मोटी तरमीमात करेंगे और उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे और जहां केवल रोड्स और छोटी मोटी बातों का ही प्रश्न आता है वहां वहां खास टेकनिकल पेचीदगियां आवेंगी। यदि वहां पर हम उन पर रोक रख देते हैं तो फिर तो वे लोग अच्छी तरह से अपने कामों का अन्जाम नहीं दे सकेंगे। यदि हमको किसी प्रकार की रोक लगानी ही है तो जिस प्रकार हमने पंचायत समिति को २५ हजार तक का एडमिनिस्ट्रेशन पॉवर शेड्यूल में रखा है उसी तरह हम पंचायतों के लिये भी एक सीमा निर्धारित रख सकते हैं और अगर उससे ज्यादा खर्च करना हो तो पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद् और उसके बाद गवर्नमेंट के पास जावें और जिस प्रकार टेकनिकल सेंक्शन का जैसा रिवाज है

(राव श्री नारायणसिंह)

वैसे होगी । तो इस विषय में जितना खतरा हम अनुमान करते हैं नहीं रहता । अगर फिर भी हम खतरा इस विषय में अनुमानित करें तो वह हमारा गलत अनुमान होगा ।

एक तरफ हम पंचायतों को रूल्स और बाई-लॉज बनाने में भी स्वतन्त्रता देते हैं और उनको स्वतन्त्र छोड़ देते हैं और बनाने का अधिकार देते हैं और डवेलपमेंट के कार्य में बाधा करते हैं तो यह सारे कार्य में समझता हूँ कि जो हम करना चाहते हैं सफलतापूर्वक नहीं होंगे ।

अब कई सुझाव और इस प्रकार के अमेन्डमेंट्स आये हैं कि तहसील पंचायतों की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह न्याय पंचायतें होनी चाहिये । कुछ माननीय सदस्यों ने जुडिशियल कमेटी बनाने का भी जिक्र किया है । मैं समझता हूं कि पंचायत समिति के निर्माण में ही जुडिशियल कमेटी का निर्माण करें तो शायद कारगुजार हो सकता है । अब यह बात रहती है कि हम न्याय-पंचायत के विषय में न्याय के लिये पूरा विधान बनावें या जुडिशियल सब-कमेटी का विधान करके कानून विशेषज्ञों को उसमें लें । मैं यह कहूंगा कि हम एक नई व्यवस्था का प्रयोग करने चलें हैं । इस सम्बन्ध में हमें काफी होशियारी से और काफी चतुराई से कदम उठाने की जरूरत है और १६६१ तक जो यहनई व्यवस्था है उसको आजमायश करने की मंशा नजर आती है वह भी इन मौलिक विचारों से है । इसको देख कर आज हम यह अमेन्डमेंट लावें कि (अश्रव्य) वह उचित है । लेकिन हम कुछ गहराई से विचार करें तो शायद हम वह कर नहीं सकेंगे और वह पूरा नहीं पड़ेगा । इसलिये न्याय पंचायत बनाने का हमारा प्रयत्न है १६६१ तक इसका अनुभव कर सकते हैं । इसके दर्मियान हम चाहें तो जुडिशियल सब-कमेटी को थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पॉवर दें तो मैं समझता हूं कि शायद इसमें ज्यादा गड़बड़ी नहीं होगी और सारी व्यवस्था बनने के बाद तहसील पंचायत सुपरफ्लुअस रहेगी । सन् १६६१ तक की मियाद रखने के बजाय इसको १६६०, मार्च तक कर दिया जाए, ऐसा अमेन्डमेंट है । मैं यह अर्ज करूंगा कि यदि हम इस नई व्यवस्था का प्रयोग करना चाहते हैं और इसको तुरन्त लागू करना चाहते हैं तो इस भूमिका में न तो इस प्रयोग के लिये बहुत ही बड़ा समय देकर आप अपने आपको संतुष्ट कर सकेंगे और न बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं । इसके अलावा आपको ६१, मार्च तक पूर्ण अनुभव भी नहीं होगा । यदि हमें सारे चुनाव नये तरीके से कराने हैं तो आज ही हम करा सकते हैं । हमारा इसको तुरन्त ही कार्यान्वित करने का विचार है । हमें इसको अक्टूबर में कार्यान्वित करना है । आज जो बनी हुई पंचायतें हैं उनको नई पंचायतें बना कर १६६१ तक पूरा अनुभव कर सकेंगे और इस दृष्टि से जनवरी, १६६१ तक की सीमा है वह उचित है । इसमें न बढ़ाने की जरूरत है न घटाने की आवश्यकता है ।

इसके अलावा एक एन्टर्टेनमेंट टैक्स के बारे में है । एन्टर्टेनमेंट टैक्स के लिये मैं यह मानता हूं कि गांवों में कोई किसी शहरी प्रकार के एन्टर्टेनमेंट नहीं होते । वहां पर न कोई सिनेमा होते हैं और न कोई दूसरे एन्टर्टेनमेंट जिससे कि उन पर टैक्स लगाये जावें । वहां पर एन्टर्टेनमेंट का सिलसिला है

(राव श्री नारायणसिंह)
वह बहुत मामूली है। आज हम जहां कला वृत्ति को प्रफुल्लित करने वाली चीजों को प्रोत्साहित कर रहे है तो गांवों में सांस्कृतिक और कला की उन्नति करने के लिये हमें प्रयत्न कराने चाहिये, जो हम कर रहे हैं। इसलिये इसके लिये हमें कर लगाते समय सोचना होगा। कॉमर्शियल क्रॉप पर कई माननीय सदस्यों ने कहा। जहां तक मैं अपने साधारण शब्दों में भी कह चुका हुं कि जहां तक टैक्सेशन का प्रश्न है यह टैक्स का प्रश्न मेन्टेड लेजिस्लेचर और एम. पी. लेकर आते हैं और हम दूसरों को देते हैं। हमें जिस दायरे में व्यवस्था करनी है उस दायरे को देखना होगा और उस पर खयाल करना होगा। आज कोई टेकनिकल विषय और खासकर कॉमर्शियल क्रॉप, फूड क्रॉप के टेक्सेशन के प्रश्न पर आते हैं तो मैं यह कहूंगा कि इससे सारे भारतवर्ष की फूड पॉलिसी पर इसका असर होता है और जो भी हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के आधार बन रहे हैं उस पर टैक्सेशन का जरूर असर पड़ता है। मैं तो समझता हूँ कि यह टैक्सेशन एक प्रकार से केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस मामले में आज हम पंचायतों तक उतारना चाहते हैं। पंचायतों में वह क्षमता नहीं हो सकती कि वे इकॉनोमिक बारीकियों से किसी चीज को देख सके और यह देख सके कि इसका असर हमारे यहां के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या होगा। यह देखना बहुत जरूरी है आज हम, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, कि हम एक्सपोर्ट माइन्डेड हैं। मैं मानता हूं कि क्रॉप को बात जहां आती है वहां हमारी नीति कुछ उलझी हुई रही है। यह भी देखा गया है कि फूड क्रॉप्स का स्थान कई स्थानों पर अनुपात से ऊपर ले रखा है। फूड पॉलिसी के लिये भी वह आवश्यक है लेकिन कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसी चीजों का जिनसे कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असर पड़ता हैं हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आज जहां इस टैक्सेशन और खासकर क्रॉप्स जैसे टेक्निकल टैक्सेशन के प्रश्नों को हल करने के लिये पंचायतों को अधिकार देने जा रहे हैं और उनके निश्चय में भी ऐसा प्रतिबन्ध डाल देते हैं कि २।३ की बेयर मेजोरिटी हुए वे इस प्रकार का निश्चय नहीं कर सकती तो मैं समझता हूं कि इस निश्चय में बेदर्दी है। जहां छूट देना चाहिए वहां तो लगाम लगा रहे हैं। जहां लगाम लगाने की आवश्यकता वहां छूट दे रहे हैं। आज यह विचार करना है कि ऐसे टेक्निकल टैक्सेशन जैसे प्रश्न जिला परिषद् से नीचे के दायरे तक नहीं जाने चाहिए। जहां कॉमर्शियल और फूड क्रॉप्स का प्रश्न आता है वह बहुत टेक्निकल प्रश्न है और बहुत इकॉनोमिक प्रश्नों से उलझा हुआ है और उस बारे में टैक्सेज का प्रश्न आवे तो राज्य सरकार से नीचे भी उतरना आवश्यक नहीं है।

तो इन सब बातों के साथ यहां ऐसे सब प्रश्नों पर संशोधन प्रस्तुत हुए हैं, मैं, उनका पक्षपाती हूं और खास कर इस बात पर जोर दूंगा कि प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट का जो प्रश्न है वह २।३ की मेजोरिटी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। केवल साधारण मेजोरिटी ही काफी होनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र (डग–सु) : सभापति महोदय, इस बिल की धारा ३ के तहत मूल एक्ट की धारा २१ के ८वें सब–क्लॉज के

(श्री रामचन्द्र)

विषय में कुछ महानुभावों ने अपने ऐसे विचार प्रकट किये कि प्रवर समिति ने इस धारा पर विचार करते हुए उचित समझा कि पंचायतों के सामने मामले आवें, उनमें चन्द मामलों में २।३ की मैजोरिटी रखी जाय, यह निश्चय किया गया जो मेरे ख्याल से बिलकुल उचित है और मैं यह समझता हूं कि निश्चय अपने पिछले चन्द सालों के तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए और यह भी ख्याल रखते हुए कि इस कानून के पास हो जाने से टाउन्स या गांव जहां पहले नगरपालिकायें चल रहीं थीं अब वे पंचायतों में आ जावेंगे, इसलिए इन पंचायतों के डेवलपमेंट का जो आधार है या जिन मामलों को तय करने के लिये उनको अधिकार दिये गये हैं उनमें कुछ न कुछ डिफरेन्शियेशन कर दिया जाय और इस बात को लेकर इसमें जो यह प्रोविजन जोड़ा गया है कि निम्नलिखित कार्यों पर यह निर्णय लिया जाय तो पंचायत की २।३ मैजोरिटी होनी चाहिए तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत के सामने, वैसे उस पंचायत सर्किल के सम्बन्धित सब मामले आते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो इन्तजामी होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर पंचायतों को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये और जिनका प्रभाव उस क्षेत्र पर स्थायी पड़नेवाला है और उस निर्णय से क्षेत्र के विकास में एक विशेष उन्नति आनेवाली है। तो ऐसी बातों पर फेयर मैजोरिटी पर निर्णय लेना सलेक्ट कमेटी ने उचित नहीं समझा और इसीलिए उसने यह प्रोविजन जोड़ा है। इस प्रोविजन के जोड़ने से मुझे आशा है कि इस सर्किल के लोगों को अधिक न्याय मिल सकेगा और आवश्यकतायें भी करीब करीब पूरी हो सकेंगी। क्यों? प्रायः देखा गया है यदि कोई डेवलपमेंट का काम आनेवाला है और जो तहसील स्तर पर मिटिंगें होती हैं, जैसे पीने के पानी के लिए कुँए खुदवाने हैं और उनके लिए सरकार सहायता देती है तो चन्द आदमी पहले से गुट्ट बना कर आ जाते हैं और खास खास जगह, गांव, को पहले ही तय करके उन्हीं को फायदा पहुँचाने का विशेष प्रयत्न करते हैं। तो यहां पर जब कभी पीने के पानी के लिए कुँए या नहाने धोने के लिये तालाब किसी सर्किल में सड़क बनाने इत्यादि कन्स्ट्रक्टि काम का प्रश्न खड़ा होता है तो साधारण मैजोरिटी न रख कर विशेष मैजोरिटी से निर्णय लेना चाहिए क्योंकि अब तक जो रवैया रहा है उससे गरीबों को नुकसान हुआ है। जितने भूमिपतियों ने कुँए बनाये उनके मुकाबिले गरीबों को कम मौका मिला। इसलिए यह परिवर्तन किया गया, वह बिल्कुल सोच समझ कर किया गया है और इस तरह २।३ मैजोरिटी लेकर निर्णय लिया जावेगा उससे गरीबों को अधिकार मिल सकेंगे और उनको लाभ पहुँच सकेगा। मेरा यह निवेदन है कि प्रवर समिति ने इस क्लॉज में जो प्रोवीजो रखा है उसको ज्यों का त्यों मान लिया जाय।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, क्लॉज ३ के द्वारा राजस्थान पंचायत एक्ट में संशोधन किये जा रहे हैं उसमें मैं सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सबसे पहले जिला परिषदें और पंचायत समितियों के रिकॉन्स्टिट्यूशन के सम्बन्ध में

(श्री भीमसेन)

यह रखा गया है कि १ फरवरी, १९६१ तक मियाद जो मौजूदा पंचायतें हैं उनकी बढ़ा दी जाय जिससे भविष्य में जिला परिषदें और पंचायतें एक साथ शुरू की जांय। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान में दो तरह की पंचायतें हैं। दो तरह से मेरा मतलब यह है कि एक वे पंचायतें हैं जिनकी राजस्थान पंचायत एक्ट के मुताबिक मियाद समाप्त हो चुकी है लेकिन पंचायत एक्ट में गवर्नमेंट ने संशोधन करके उनकी मियाद बढ़ाई है और दूसरी पंचायतें वे हैं जिनका तीन साल पूरे होने पर चुनाव हो चुका है। एक तरफ ये पंचायतें राजस्थान में काम कर रही है दूसरी तरफ वे पंचायतें हैं जिनका हाल ही में चुनाव हुआ है। किसी को छः महीने हुए, किसी को साल भर हुआ, उनकी मियाद बढाने का सवाल पैदा नहीं होता है। १९६१ तक उनका १ साल १॥ साल पूरा होगा उनके साल पूरे होने में कुछ समय और बाकी रहेगा। इस क्लॉज में जैसा कि रखा गया है, उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"Not withstanding anything contained in sub-section (1) the term of Panchayats as existing on the date of the passing of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959, shall with a view to enabling the State Government simultaneously to reconstitute such Panchayats and to constitute Panchayat Samitis under that Act, extent upto the 31 st day of January 1961."

मैंने जैसा कि निवेदन किया दूसरी तरह की जो पंचायतें हैं जिनके हाल ही में चुनाव हुए हैं उन पंचायतों की मियाद बढ़ाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता और जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है उनके बारे में कह सकता हूं कि उनकी मियाद ३१ जनवरी, ६१ तक बढा दें। यह कानूनी दिक्कत के बारे में मैंने पोजीशन क्लिअर कर दी है।

दूसरी बात पंचों और सरपंचों के बारे में कही गई। वह यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह पॉवर है कि उसको सस्पेन्ड कर सकती है। इस बारे में निवेदन यह है कि कोई भी चुना हुआ सदस्य जब तक कि उसके खिलाफ ऑफेन्स साबित न हो जाय तब तक उसको सस्पेन्ड करना उचित नहीं है। हो सकता है कि उसके खिलाफ एलीगेशन्स हों; उनसे वह बरी हो सकता है उस पर बगैर निर्णय लिये हुए सस्पेन्शन हो जाता है तो यह उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह सस्पेन्शन का जो प्रोविजन है ओमिट कर दिया जाना चाहिये जब तक एलीगेशन्स प्रूव न हो जाय। डिबार रखने के जो पॉवर रखे गये हैं वे हमें नहीं रखने चाहिये।

तीसरा सब-क्लॉज ८ है उसमें २।३, दो-तिहाई के डिसीजन के बारे में है। दो-तिहाई मतों से किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। मेरा इसके लिए यह निवेदन है कि जब हम डेमोक्रेसी में बेयर मेजोरिटी के आधार पर बड़े बड़े निर्णय कर डालते हैं वहां हम पंचायतों के लिए दो-तिहाई मतों को जरूरी समझते हैं उसमें व्यावहारिक कठिनाई आ सकती है। इसमें यह भी हो सकता है कि सारे मेम्बरों का दो-तिहाई हो या जो उपस्थित होंगे उनका दो तिहाई हो इनमें दिक्कत आ सकती है। जहां हम डेमोक्रेसी में बेयर मेजोरिटी पर बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं वहां इसमें दो तिहाई रखना उचित नहीं जंचता।

(श्री भीमसेन)

कई माननीय सदस्यों ने तहसील पंचायतों के बारे में आलोचना करते हुए कहा है कि तहसील पंचायतों के स्थान पर जुडिशियल पंचायतें हो जानी चाहिये। जैसा कि सब को विदित है तहसील पंचायतों के लिये महज क्रिमीनल और सिविल जुरिसडिक्शन रह जाता है। आज से पहले डिसीजन के जो अधिकार तहसील पंचायतों के थे वे तहसील पंचायतों से पॉवर्स ले रहे हैं, उसके स्थान पर पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी को ये पॉवर्स दे रहे हैं। वैसी हालत में तहसील पंचायतें जुडिशियल बॉडी रह जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है जिस प्रकार का प्रोविजन रखा है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

अब सवाल है टैक्स ऑन कॉमर्शियल कॉप्स। इस बारे में मेरा निवेदन है कि यह बहुत गंभीर बात है। पंचायत एक्ट की तहत में हमने किसी भी काश्तकार पर रेन्ट पर टैक्स इम्पोज करने के पावर्स दिये हैं। जो काश्तकार रेन्ट पे करता है उस काश्तकार पर भी पंचायत समिति टैक्स इम्पोज कर सकती है इस प्रकार के पॉवर्स दे रहे हैं। तीसरा ऐसा काश्तकार जो कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करता है उस पर भी तीसरा बर्डन हो जाता है। इस तरह से एक काश्तकार पर तिहरा टैक्सेशन है उस पर बहुत बोझ है। पचायत एक्ट के अनुसार रेन्ट पर दो पैसे रुपये के हिसाब से टैक्स इम्पोज कर सकते हैं इसी प्रकार पंचायत समिति द्वारा ६ नये पैसा रुपये पर टैक्स इम्पोज कर सकती है। ६४ (ए) में प्रोविजन जो करने जा रहे हैं वह कॉमर्शियल क्रॉप्स पर है इस तरह से कॉमर्शियल क्रॉप करने वाले काश्तकार पर इस प्रकार से तिहरा बोझ हो जायेगा। यह प्रोविजन जो रखा जा रहा है वह काश्तकार के लिये बहुत बोझ होगा। इसलिये इस प्रकार का टैक्स इम्पोज करना वाजिब नहीं है।

इस प्रकार चन्द शब्दों के साथ मैं अपने सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, जो संशोधन रखे गये हैं मैं उन सब का विरोध करता हूं। पहला सवाल था आदर्श की बात करना अलग है और उसको कार्य रूप में परिणत करना दूसरी चीज है। कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका आधार चुनाव माना जाता है। चुनाव जनतंत्र की आधारशिला है, जनता उसके कारण जागरूक होती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : पाली के चुनाव से यही अनुभव आया होगा।

श्री मूलचन्द डागा : जब आपको किसी का बोलना बर्दाश्त नहीं होता है तो आप जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं। उसमें आप यह नहीं सोच पाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। आप चाहते हैं चुनाव जल्दी होने चाहिये। दो–तिहाई से कम की मेजोरिटी से किसी चीज को तय नहीं किया जाना चाहिये। पंचायत समितियों और तहसील पंचायतों को अलग अलग अधिकार दिये हैं। आप एक चीज को लीजिये। आप कोर्टस को ही देखिए। इनमें भी दो प्रकार के पॉवर्स होते हैं। जुडिशियल और एक्जीक्युटिव दोनों पावर्स हैं। आपने तहसील

(श्री मूलचन्द डागा)

पंचायतों के पॉवर्स के अन्दर फर्क किया है। पंचायत एक्ट के अन्दर सेक्शन २४,२५ है उसके अन्दर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स दिये हैं, २६ में दिये हैं। इसके लिये धारा २७ साफ है अगर कोई आदमी एग्रीव्ड है तो वह ऑर्डर किसके लिये हैं।

"To require the owner or occupier of any land or building which includes or is attached to any latrine, pool or ditch, containing or used for the collection of any drainage, filth or stagnant water, which is a nuisance, and to take such action as the Panchayat may deem reasonable."

सारे के सारे इस प्रकार के अधिकार दिये हैं वे अधिकार हैं विकास सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी और अन्य कार्यों सम्बन्धी। ये जो हिदायतें हैं वे गांव की सफाई, वहां के स्वास्थ्य के प्रति गांव की उन्नति की तरफ इस प्रकार की हिदायतों का निर्णय २७ में दिया गया है जो पंचायतों के अधिकार में है। पंचायत समिति के फंक्शन्स हैं जैसा कि आपने शिड्यूल में लिखा है। इसके बारे में आपने एक बात की है वह यह कि स्टैंडिंग कमेटी जो होगी वह इन बातों की ओर ध्यान देगी। पंचायत समिति में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने जा रहे हैं। वह इन मामलों को तय करेगी जो विकास सम्बन्धी होंगे। मैं तो यह कहूंगा कि तहसील पंचायतों का जहां तक सवाल है वह क्रिमीनल केसेज के मामले में निर्णय देगी। ऐसी हालत में क्या यह उचित नहीं है कि जितने भी विकास सम्बन्धी काम हों वे सब तहसील पंचायतों को दिये जायं? जो छोटे छोटे विकास के काम हैं, कई लोग क्षमा करें, कानून के रोजमर्रा के कार्यों से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसी बातें करते हैं। ये काम तो ऐसे हैं जो सफाई के काम हैं, स्वास्थ्य के काम हैं, ये सब विकास में शामिल हैं, इनसब को क्रिमीनल केसेज की तौर पर कन्सीडर न कीजियेगा। C (1) के अन्दर अपील करने का और रिवीजन करने का अधिकार है। इस तरह से दो तरफ गवर्नमेन्ट किस प्रकार चलेगी। २६ और २४ के अन्दर ओबलिगेटरी ड्यूटीज हैं जो पंचायत समितियों को दिये गये हैं। समिति उसके लिये स्टेंडिंग कमेटी बना कर उनकी हिदायत के अनुसार अपील सुन सकेगी।

तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन विकास के कार्यों का सम्बन्ध पंचायत समिति से है पंचायत समिति हमारे ग्रामों के विकास को सामने रखती है। अगर उनको आप ऑर्डर की अपील करने का अधिकार नहीं देना चाहते तो क्या आप उन तहसील पंचायतों को देना चाहते हैं जिनके पास जुडिशियल काम है? तो यह जो बात कह रहे थे उन्होंने शायद पंचायत एक्ट की धारा २५ और २६ को नहीं पढ़ा। इस एक्ट की धारा २७ में एक बात थी कि जो ऑर्डर्स की अपील होती थी तहसील पंचायत के पास उनका रिवीजन कहीं नहीं होता था और केवल ७५ के अन्दर वह गवर्नमेन्ट के पास आते थे। If the order is unlawful or if it is injurious to the Public- उस हालत में वह केवल गवर्नमेन्ट के पास आते थे। अब यह बहुत ज्यादा सुविधा हो चुकी है कि अब उसकी पंचायत समिति में अपील होगी और जब अपील होगी तो उसमें सारे फेक्ट्स सुने जायेंगे और उन फेक्ट्स के आधार पर ही निर्णय

(श्री मूलचन्द डागा)

होगा। तो एक बात जो बार–बार कही जाती है कि विकास सम्बन्धी कामों में और न्याय के कामों में अन्तर है, जमीन और आसमान का अन्तर है। एक जगह आपने राईट्स का डिसाइड करने का अधिकार दिया है और एक तरफ आपने जो जनता से सम्बन्ध रखने वाले काम हैं उनको विकास समिति को दिया है तो उसमें दो तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए। इसको बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जोर से रखा है। मैं नहीं समझ पाया कि पंचायत समिति में इतना प्रोविजन किया है कि पंचायत समिति एक स्टेंडिंग कमेटी बनायेगी और वह इसी मामले को तय करेगी। क्योंकि पंचायत समिति को अधिकार देते हैं कि कई तरह की स्टेन्डिंग कमेटी वह बना सकती है लेकिन पंचायत समिति एन्टायरली एक स्टेन्डिंग कमेटी इस प्रकार की बनयेगी कि धारा २५ और २६ के अन्दर जो फंक्शन्स हैं पंचायत के उनके बारे में अगर ऐसी आज्ञा है तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक प्रोसीजर है कि जो हमारी जरूरी चीजें हैं, सफाई है, रोशनी है, प्रोजेक्ट की सुविधा है, रास्ते हैं यानि म्यूनिसिपेलिटी के जो फंक्शन्स हैं, तो आप कहते हैं कि गवर्नमेन्ट म्यूनिसिपेलिटी क्यों रखती है? वहाँ पर भी कुछ काम होते हैं क्योंकि आज हम देखते हैं कि पंचायत समिति गांव-गांव के अन्दर म्यूनिसिपेलिटी का काम करती है। वह माननीय सदस्य जो जोर–जोर से कहते हैं वे इस बात को भूल गए होंगे कि पंचायत समिति को सारी म्यूनिसिपेलिटीज जो छोटी–छोटी थीं उन म्यूनिसिपेलिटीज का जो एक्ट है और उसकी जो धारायें हैं उनका सारा निर्णय पंचायत समितियों को करना होगा। एक बात और है कि पंचायत समिति को विशेष अधिकार होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो तहसील पंचायत का जो पंच बना हुआ है तो वह तो उसी सर्किल का बना हुआ है वह उसी के केसेज को डील करेगा लेकिन पंचायत समिति म्यूनिसिपेलिटी के ही केसेज को डील करेगी। दोनों चीजें न्याय की दृष्टि से उचित हैं और मैं समझता हूँ कि सब दृष्टिकोणों से यह ठीक चीज है। तो आपने जो बार–बार बातें कहीं तो मेरे ख्याल से उस दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा है इसलिए यह बात उन्होंने बार बार कहीं।

दूसरी बात चुनाव के सम्बन्ध में है। मेरी समझ में नहीं आया या तो हमको चाहिए था कि हम २ अक्टूबर, १६५६ से जब से यह एक्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके पहले ही चुनाव हो जाते। लेकिन अगर हम उससे पहले चुनाव नहीं करा सकते हैं तो आप कहते हैं कि इधर के रहे न उधर के रहे बिल्कुल कुछ नहीं रहना चाहिए था। आपको मालूम है कि राजस्थान हाई कोर्ट के जितने भी मुकदमे हैं, रिट एप्लीकेशन्स हैं वे पंचायत और म्यूनिसिपेलिटीज के इन्हीं कामों की हैं। आप जान सकते हैं कि यह सब काम करने में कितना समय लगेगा। आपको पूरे राजस्थान में २३६ पंचायत समितियां कायम करनी हैं और इस शर्त पर कायम करनी हैं कि जो म्यूनिसिपेलिटीज हैं उनको भंग करना है तो आप चाहते हैं कि न इधर के न उधर के, बस जल्दी चुनाव शुरू करा दिये जायें। आपका शासन जमा ही नहीं। आपका कृषि–निपुण भी आने नहीं लगा।

(श्री मूलचन्द डागा)

मेरा मतलब है कि यह और तो काम नहीं बन पायेगा और नतीजा यह होगा कि ८ महीने में तो काम की शुरुआत ही होगी और जो उस काम से अपरिचित होंगे तो सारा काम मटियामेट हो जायेगा। या फिर यह कहें कि इस एक्ट के लागू होने से १॥ करोड़ की जो राजस्थान की जनता है उसके अन्दर चुनाव करा दिए जायें। लेकिन आप चाहते हैं कि हम समुद्र में चलते रहें और जब नाव बीच में आने लगे और मंझधार में आये उसके बाद में कहें कि इस किनारे और फिर कभी कहें उस किनारे। मेरा मतलब है या तो हमें उस पार पहुँचाना चाहिए। हम मानते हैं कि योजनायें बनेंगी, पंचवर्षीय योजना बनी। अब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। आखिर में जो पंच बने हुए हैं वे तो काम करने वाले वहीं के वहीं रहेंगे। हां, कुछ हेरफेर, रद्दोबदल होती है तो यह १६५६ का टार्गेट है यह सफलीभूत नहीं हो सकेगा। आपने कहा कि हम बिल्कुल ठीक डेट बता रहे हैं और बहुत जोर जोर से इस बात पर जोर दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आपके रीज़न्स, आपके ग्राउन्ड्स, आपकी भावना क्या है? मैं कहता हूँ यह भावना गलत है। यह एक्ट लागू होने के बाद में न जाने कितनी गड़बड़ियां हो सकती हैं, कितने रिट्स हो सकते हैं, कहीं बाउन्ड्रीज़ नहीं बनीं, कहीं कुछ नहीं हुआ और सारा काम आपका चौपट। या तो आप १६६१ की कोई डेट रख दीजिए जिससे कोई पंचायत समिति जम जाये और लोग काम से अवगत हो जायें। यह तो आप सारे प्रजातन्त्र के हिमायती बन कर कह रहे हैं लेकिन यह नहीं कि जो काम चल रहा है उसको मटियामेट कर दिया जाये। तो मेरी समझ में आया कि ६ महीने में से ४ महीने तो जमाने में लगेंगे और काम के शुरुआत में लगेंगे। जो भी बिल या एक्ट पास होते हैं उसके पारित करने के बाद में उसके इम्प्लीमेन्टेशन में और उसको कार्य रूप में परिणत करने में कितना समय लग जाता है। आज राजस्थान का शासन जिस प्रकार से धीरे धीरे चलता है उसमें हम उम्मीद नहीं करते कि कोई भी काम हम जल्दी से कर लेंगे। यह इम्पोसीबल है, असम्भव है।' जब कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि केवल हम जो काम पहले करते थे, कुछ लोगों की राय पर चलते थे, हम चाहते हैं उस काम का फैलाव ग्रामों में, घर घर में, हर एक आदमी को मालूम हो और अच्छी तरह से उस काम को चलाया जाये।

हम यह क्यों चाहते हैं कि सारे के सारे चुनाव बहुत जल्दी से करा दिये जायं? या तो चुनाव आज करा दिये जायं या बिल लागू होने के बाद फौरन चुनाव किये जायं, इस प्रकार का संकल्प, रिजोल्युशन या एमेंडमेंट आना चाहिए, अन्यथा आप यह चाहते नहीं हैं कि थोड़े से महिनों का काम है। काम शुरु हो और शुरू होने के बाद काम सफल हो। वे लोग समझते हैं कि थोड़े से महीनों का काम है ८, ६ महिनों में २, ३ मीटिंगें होती हैं। काम जंचा और काम खत्म हो। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। हम इस बिल के साथ न्याय नहीं करेंगे। प्रजातन्त्र के सिद्धान्त की हत्या करेंगे। आप उस सिद्धान्त की मैं समझता हूँ कि हिमायत नहीं कर रहे हैं। हुकुमत से काम कराना चाहते हैं गांव में तो एक

(श्री मूलचन्द डागा)

गलत तरीका हो जावेगा। तो मैं समझता हूं कि तारीख बदलते हैं वह गलत बदलते हैं।

दूसरी बात बेअर मेजोरिटी की है। सवाल यह है कि बलवन्तराय कमेटी ने जो रिपोर्ट की है, उसने जो विवरण दिया है उसको पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि एक बात और थी। उन्होंने कहा यह था और धारणा थी कि वहां पर रसोईये का पार्ट है। वह १०० रोटी में से ५१ रोटी सही बना देता है और ४६ रोटी को जला देता है तो क्या आप उस रसोईये को घर में रखेंगे ? उस रसोईये को आप नहीं रखेंगे जो १०० में ५१ रोटी ठीक करता है और ४६ रोटी जला देता है। हम अच्छा नहीं समझते है लेकिन आपके अन्दर क्या होता है कि चुनाव में ५१ वोट पानेवाला आदमी जीत जाता हैं और ४६ वोट पानेवाला आदमी हार जाता है। सिद्धान्त की बात और है। विनोबा भावे भी कहते हैं कि बेअर मेजोरिटी का सवाल वह ठीक नहीं है। ४६ आदमियों का प्रतिनिधित्व करनेवाला कोई है नहीं। आप भी समझते हैं कि इन दिस हाउस ५१ नम्बरवाले आते हैं और ४६ नम्बरवाले फेल हो जाते हैं। यहां पर यह लागू नहीं होता है कि आप रसोईये को नहीं रखना चाहते हैं जो रसोईये इस तरह से काम करे। कैदियों की निगरानी रखनेवाला सिपाही ५१ कैदियों को रखता है और ४६ कैदी उसके पास से भाग जाते हैं तो उस सिपाही को क्या कहेंगे ? उस रसोईये को हम ठीक कहेंगे जो कि १०० में से ६६ या ६८ रोटी ठीक बनाता है। लेकिन अगर वह १०० में से ४६ रोटी जला देता है तो वह आधा तो खत्म हो जाता है। जो पंचायत समितियां इस बिल में रखी हैं उसकी जो स्प्रिट थी वह स्प्रिट यह थी। उसकी स्प्रिट यह नहीं थी कि काम रुक जाय। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहां पहले पंचायतों में कोई मत के आधार पर काम नहीं होता था। हमारी पंचायतों में यह होता था, जो हमारे पास प्रमाण हैं, जो हमारा पिछला इतिहास है उसमें एक बात अलग मालूम होती है कि पंचायत बैठी है और कोई आदमी नहीं आता है तो उसका इन्तजार करते हैं, उसको बुलाते हैं, पूछते हैं और नहीं मानता है तो मनाते हैं लेकिन कहते हैं कि सब की राय से काम होना चाहिए। दो आदमी क्यों नाराज हों? आखिर यह एक सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त की भावना को हम सुरक्षित कहीं पाते हैं और मैं समझता हूँ कि पंचायत का रूल भारतवर्ष में है, हमारी परम्परा, हमारी संस्कृति में है, सारी बातों आप कहते हैं। यहां जो यह कहना चाहते हैं कि २१३ का सवाल है वह यह है कि सारे पंचों को गांव के सारे मुखियाओं को इकट्ठा करके उनकी राय को लेकर काम करें। आखिर बात क्या है कि एक आदमी नाराज है तो क्यों है जहां २१३ लोग इकट्ठे होते हैं ? अब उन्होंने किया हुआ है कि प्रोविजन रखा है बहुत जरूरी काम के लिए। एक बात यह भी होती है कि जो आदमी कामों में सहयोग नहीं देता है वह एक्सपोज होता है। पब्लिक समझ लेती है कि यह आदमी नाकाबिल है। इसकी स्प्रिट और थी। हिन्दुस्तान ने एक और तरीका दिया है। हिन्दुस्तान ने डेमोक्रेसी के साथ साथ आगे कदम और भी बढ़ाया है वह है सर्वोदय का। क्योंकि हमारे एक्ट में छूट पर छूट दी है, ग्राम–दान बिल भी बनाया है....

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अभी बनाया कहां है ग्राम–दान बिल ?

श्री मूलचन्द डागा : अब आनेवाला है। हमारा जो लक्ष्य है, हम लोग सर्वोदय को भी अपना लक्ष्य मानते हैं। हिन्दुस्तान की विचारधारा यह भी है। देश में डेमोक्रेसी के आधार के साथ साथ सर्वोदयी बनाना चाहते हैं, यह हमारा लक्ष्य है। यह हमारे लक्ष्य कीभावना थी। उस स्प्रिट में रखते हुए यह कोशिश की All matters coming before the meeting of the Panchayat shall be decided by a majority of और वे वर्क्स कौन से ? Construction of public streets, latrines, new buildings etc.

जैसे कामों के लिये शायद ही कोई आदमी उपस्थित होने से गैरहाजिर हो। उन कामों के लिए आप बताना चाहते हैं, कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत से लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होने के बाद सब का सहयोग हो, कोई आदमी मनमुटाव नहीं करे। आप चाहते हैं कि इस बिल के साथ राष्ट्र में परिवर्तन हो, लक्ष्य का निर्माण हो, मानव का निर्माण हो, तो किस आधार पर मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज का निर्माण हो। वह कब होता है ? जब कि सारे समाज के तत्व इकट्ठे होकर निर्णय करें। हम गाँवों को समझाना चाहते। हम यह नहीं चाहते हैं कि ५१ एक तरफ बने रहें और ४६ एक तरफ बने रहें और कुश्तमकुश्ता चलती रहे। यह नहीं है इस बिल की स्प्रिट। हम चाहते हैं कि जहां तक हो सके विकास के कार्यों में, गांव की उन्नति के कामों में हम सबका सहयोग प्राप्त करें और सब का सहयोग प्राप्त करने के बाद ही हम किसी रचनात्मक काम को हाथ में लें जिसमें सबका सहयोग हो। यहां तक कहा गया है उस बिल में ये भाव रखे हैं:

Every Panchayat shall convene in such manner, on such times as may be prescribed, a meeting of all the residents of the Panchayat circle and at such meeting a programme of the works to be taken by the Panchayat shall be explained and the views of the residents thereon shall be reported at next meeting'

इस पर आगे जो कदम बढ़ाया है, यहाँ तक कदम बढ़ाया है कि हम कोई भी प्रस्ताव रखना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम, कोई योजना, कोई काम है, सारे प्लान के लिए सारे लोगों को इकट्ठा करके बताना चाहता हूं। तो जो बातें हैं उस प्लानिंग की वे सारी बातें लोगों को इकट्ठा समझना चाहते हैं। जो नया खून है, जिनमें नया जोश है, उनसे राय लेकर.......

डॉ० बहादुरसिंह : वयोवृद्धों को एक्सक्लूड कर दिया जायेगा क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : वयोवृद्ध तो है ही। वे तो मौजूद हैं। तो इसमें जरूर उन्होंने लेना है। उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। जिन्दगी का सम्बन्ध है वह उम्र से नहीं है।....

एक माननीय सदस्य : काम से है...

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, काम से है।

सभापति महोदय, जो बराबर कहा गया है बेयर मेजोरिटी के लिए तो मैं यह कहना चाहता था कि हमारे इस बिल की भावना और मन्शा यह थी कि हम गांवों में केवल डेमोक्रेसी के आधार पर ही नहीं लेकिन हम सब की राय लेकर सर्वोदयी

(श्री मूलचन्द डागा)

बनकर, सब का भला सोच कर काम करना चाहते हैं। इस स्प्रिट से, इस भावना से नहीं होगा तो काम में हिन्ड्रेन्स होगा। गांव के अन्दर हम यह मान चुके हैं कि गांवों के अन्दर लोग रात के समय वे आइडल से रहते हैं। उनके पास काम नहीं होता है। वे एक साथ बैठते हैं तो आपस में बैठने के बाद प्रेम बढ़ता है, संगठन होता है। ऐसे मौकों पर जो रचनात्मक काम हों, गांव की वृद्धि के काम हों, जिनसे गांव की इज्जत बढ़ती हो, गांव के अन्दर तरक्की होती हो, उन गांवों में केवल यह रखा है। २।३ आप कहने लगे कि स्प्रिट नहीं है। काम में रुकावट होगी। मैं समझता हूं कि इससे काम में ताकत आयेगी। क्योंकि मालूम हुआ है कि बेग्रर मेजोरिटी के आधार पर ४६ पर्सेन्ट जो रोटी है वह खत्म हो जाती है। कुएं बना देते हैं लेकिन कई लोग नाराज होते हैं। ऐसा काम होना चाहिए जिसमें सब की राय हो। कई दफा ऐसा काम आता है कि कि कई मीटिंगें करते हैं, उन योजनाओं में सब की राय हो तभी काम होता है। यह जो भावना थी उस स्प्रिट को नहीं समझ कर यह बात कही गई है। बलवन्तराय कमेटी की यह भावना थी कि बेयर मेजोरिटी पर कर लेंगे किसी मामले में कहीं भी, वह बात मुझे पसन्द नहीं आई। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सदन के सामने जो बिल रखा है उसकी भावनाओं को समझ सकें बिल की भावना को नहीं समझ कर हम कहने लगे कि विकेन्द्रीकरण इस रूप में है।

(४ म० प०)

यह सारी जो स्प्रिट है बिल की उसको हमें समझना पड़ेगा। हमने तहसील पंचायत को जो अख्त्यार दिये वे सही दिये। चुनाव जल्दी नहीं होने चाहिये। या तो शुरू में होने चाहिये या ६१ में होने चाहियें वर्ना काम बिगड़ जायेगा क्योंकि अगर चुनाव करायें तो पंच चुनाव का इन्तजार करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे इसलिए उनमें स्थायीपन नहीं ला सकते।

तीसरी बात टैक्स के मामले में है। आप बारबार मान चुके हैं कि राजस्थान के किसान भूखे हैं, दीवालियापन के किनारे हैं और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं। बाहर के लोग सभी जानते हैं कि राजस्थान एक रेगिस्तान है। वहाँ कुछ नहीं पैदा होता है उन पर पंचायत समितियां कैसे टैक्स लगा सकती हैं? एक बात जरूर है कॉमर्शियल क्रॉप पर टैक्स लगाने की बात है या एन्टर्टेनमेंट टैक्स की बात है उसके मैं विरोध में हूं। दूसरा नाम रख कर वही चीज लागू नहीं करनी चाहिए नहीं तो जो लोग प्रतिक्रियावादी या रिएक्शनेरीज हैं वे लोगों को भड़कायेंगे कि तुम पर टैक्स लगेगा। जगह जगह पर इस तरह के प्रोविजन्स हैं उनको हटाने की कृपा करें ताकि प्रतिक्रियावादी लोगों को खिलाफ प्रोपेगन्डा करने का मौका नहीं मिले। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने संशोधन रखे हैं वे अपने संशोधन वापिस लें तभी अच्छा रहेगा वर्ना इसका प्रेक्टिकल आस्पेक्ट खत्म हो जायेगा। इसका मखौल नहीं उडाना चाहिए, जो असली भावना है उसकी कद्र करनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : चेयरमैन महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारी पंचायतें जो आज कॉन्स्टिट्युटेड हैं उनकी अवधि बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय इस बारे में माननीय सदस्यों ने काफी विचार किया है। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि थर्टी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, ६१ रखा है, मैं समझता हूँ उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि ६१ को हटा कर ६० किया जाय। मैं इसका समर्थन करता हुआ यह अर्ज करूंगा (हटाने का नहीं, रखने का) ६१ रखा जाय क्योंकि यदि ६१ नहीं रखा जावेगा तो हो सकता है कि पंचायत समिति को जो पॉवर्स मिले हैं, नया सेट-अप हुआ है उसके अनुसार काम करना है। विकास अधिकारी का पंचायत समिति के साथ जो संबंध है, रेवेन्यू के मामले में जो सम्बन्ध होगा फिक्स लगान का, लैंड किराये पर देने का, पटवारी से वह क्या चीज मांग सकते हैं, पटवारी उनको कहां तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है ये चीजें ऐसी हैं जिनको समझना पंचायत समिति के लिये आवश्यक है और वह इसे तभी समझ सकती है जब कि उसमें वे पंच आवें जो उसमें पहले रहे हुए हैं और काम जानते हैं। पहले का तजुर्बा है, ऐसे आदमी रहेंगे तभी मार्ग-दर्शन हो सकता है। यदि नये पंच आ जावें जैसा कि अगर ६० में इलेक्शन कर दिया जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि यह हमारे लिए और खास कर बिल के इम्प्ली-मेन्टेशन के लिए बहुत गलत होगा। इसलिए ज्यादा अर्ज न करता हुआ यही कहूंगा कि ६१ की मियाद ठीक है। आगे या पीछे करने के बजाय ६१ ही रखा जाय तो काफी। बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो यह होता है कि एक साल और आगे देखने से कोई खास मतलब नहीं निकलता। हमें यह देखना है कि जो नये प्रावधान और पॉवर्स हैं उनको कहां तक समझ सकते हैं। पंचायत समितियों का जिला परिषद् से क्या सम्बन्ध है और जिला परिषद् का गवर्नमेन्ट से क्या सम्बन्ध है, एक दूसरे के समन्वय को और एक दूसरे के दायरे को समझना चाहिए। अपने अपने दायरे में काम करना तभी संभव हो सकता है जब कि पुराने पंच हों और एक्ट को समझने वाले हों।

मैं यह भी समझता हूँ कि पंचायत को पॉवर्स विकास कार्यों तक ही सीमित रखी जावे तो बेहतर होगा। जैसा कि पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि द्वेष के कारण कत्ल तक हो गए हैं। इससे कोई बड़ी भारी पॉवर मिल जायेगी, ऐसी बात नहीं है। यदि कत्ल तक हो गये हैं तो पंचायतों को पॉवर्स सिविल मामले के दिये हैं उनको कर्टेल कर दें तो खास बात नहीं होगी। इनको कम करते हैं तो पंचायत में आपसी लड़ाई झगड़ा कम होगा। वहां पर जो तहसीलदार हैं उनको सिविल मामले के पॉवर्स दिये जा सकते हैं। सिविल मामले स्मॉल काजेज कोर्ट की तरह वे सुन सकते हैं। बजाय पंचायतों को देने के ये पॉवर्स तहसीलदारों को दिये जा सकते हैं। यदि आप विकास कार्य अच्छी तरह से कराना चाहते हैं तो सिविल पॉवर्स पंचायतों से हटा लिये जायं, मैं जोर से यह बात अर्ज करता हूँ।

इसके सिवाय, सभापति महोदय, दूसरी बात यह थी कि किसी बात को पंचायत तय करे तो बेयर मेजोरिटी से करे या दो-तिहाई या तीन-चौथाई मेजोरिटी

(श्री अनूपसिंह)

से करें। जो बेयर मेजोरिटी से तय करने की बात है उसके साथ में कुछ में कुछ मामले ऐसे रखे हैं जिनमें दो तिहाई मेजोरिटी से पास होगा तभी चल सकता है अन्यथा ऑर्डिनेरी मामलों में बेयर मेजोरिटी से पास हो सकता है। मैं अर्ज करूंगा कि पंचायत समिति के नीचे उनके तहत में सुपर्विजन में आ गई और यह पंचायत समिति का कार्य होगा, बड़े फंक्शन्स होंगे, पंचायतों पर निगरानी रखे, उनके फंक्शन्स को देखे, उनमें कुछ खराबियां हों तो दूर करने की कोशिश करे। इस लिहाज से बी. डी. ओज, या विकास अधिकारी कनेक्टेड रहते हैं। उसके भी कुछ पॉवर्स हैं, वह देख सकता है कि अमुक अमुक सेक्शन्स ठीक तरह है या नहीं। बेअर मेजोरिटी से पास होने में भी कोई हानि नहीं है। टू-थर्ड लोग कई बार इकट्ठे होते नहीं है। जब तक लोगों को इन्ट्रेस्ट नहीं होगा तब कोरम बनाना भी मुश्किल होगा और इस तरह से विकास का कार्य आगे बढ़ने के बजाय रुक जायेगा और डीसेन्ट्रेलाइजेशन नाम की चीज रहेगी नहीं। हमारा यह कहना होगा कि वे जिस चीज पर विचार करते हैं उसको बेअर मेजोरिटी से पास करें तो इन चीजों से आसानी से निकाल सकेंगे। अगर यह चाहते हैं कि इनमें गड़बड़ी न हो, गबन न हो, तो दो–तिहाई मेजोरिटी जरूरी है, यह बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सी पंचायतें जो गड़बड़ी करेंगी, वे तो करेंगी ही। उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी दीजिये पॉवर्स दीजिये और फिर कंट्रोल रखिये, ऐसी बात न रखें। अगर वे गड़बड़ी करें तो उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि दो–तिहाई मेजोरिटी की बात रखें। बेअर मेजोरिटी से वे कुछ न कर सकें। डीसेन्ट्रलाइजेशन से जब उन्हें सुखी बनाने की बात है तो मैं अर्ज करूंगा कि बेअर मेजोरिटी से सब काम हो जाय, बेअर मेजोरिटी से वे सारे डिवीजन लिये जा सकें, यह होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद, जैसा कि पाली से आये हुए माननीय सदस्य ने अभी सदन के सामने यह कहा कि तहसील पंचायत और पंचायत समिति के फंक्शन को हमने समझा नहीं। मैं अर्ज करूंगा कि तहसील पंचायत आज तक कुछ भी रही होगी, आज के सेट में हमने तहसील पंचायत को अच्छी तरह देख लिया है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस चीज को हमने समझा नहीं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि विकास कार्य की अपील पंचायत समिति के पास आयेगी और क्रिमिनल और सिविल के केसेज तहसील पंचायत के पास जायेंगे।

४. ११. म. प.

श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन

मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कितने आदमी हैं जो तहसील पंचायत को ठीक तरह चला पायेंगे? ऐसे कितने आदमी हैं, जो जुडिशियल एक्सपीरियेन्स रखते हैं? ऐसे कितने आदमी हैं जो निष्पक्ष होकर फैसले दे सकते हैं? मैं अर्ज करता हूँ कि मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि तहसील पंचायत को हटा दिया जाय। तहसील पंचायत ने जिस तरह गड़बड़ियां फैलाई हैं और काम को रोका है वे बहुत ज्यादा हैं। क्रिमिनल और सिविल के बहुत से केसेज रुके हुए हैं और तहसील पंचायत के कारण वे फैसला

(श्री अनूपसिंह)

नहीं हो सकते हैं। उसकी मीटिंग में कोरम पूरा नहीं होता है। अगर कभी होती भी है तो पार्टी के चक्कर में ऐसा होता है कि कोरम उठा दिया जाता है। इस तरह से फैसले अटकाये जाते हैं। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करूँगा कि बजाय इसके कि तहसील पंचायत को रिटेन करें, इसको हटा दें। इसकी जो कुछ पॉवर्स हैं, क्रिमिनल और सिविल पॉवर्स अगर देनी है तो चुनिन्दा चुनिन्दा आदमियों की एक कमेटी बनाईये। पंचायत समिति और जिला परिषद् के जो चुनिन्दा व्यक्ति हों, उनकी कमेटी बनाईये और उसके ऊपर तहसीलदार को रखिये। तहसीलदार उस कमेटी को लीगल बात बताये He will be responsible for the legal side of the question. जो पंच होंगे वे मामले के फैक्ट्स के लिए रेस्पोन्सिबल होंगे। तहसीलदार के नीचे इस प्रकार की समिति बना दी जाती है, जो केसेज को सुने और उस पर फैसला दे, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा जल्दी केसेज निकल सकेंगे। यह जरूरी नहीं है कि तहसील हैड क्वार्टर में उसकी मीटिंग हो। इसके अलावा तीन चार ऐसी जगह बना ली जाय, जहां पंच इकट्ठे हो जाय और वहां पर तहसीलदार पहुँचे जाय और सब मिल कर फेक्ट्स के ऊपर फैसला लें। मैं समझता हूँ कि बजाय तहसील पंचायत के एक सरपंच के भरोसे छोड़ देने के यह अच्छा रहेगा, जो कि जुडिशियल, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर को जानता है, वह ठीक रहेगा, बेटर रहेगा बजाय इसके जो तहसील पंचायत आज बनी हुई है वह रहे। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं निवेदन करूंगा कि तहसील पंचायत किसी काम की नहीं है........

(श्री. पी. के. चौधरी द्वारा कोरम हेतु इधर उधर देखना)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Chaudhary, I understand the position. There is no quorum.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) **:** There is no quorum, Sir.

(गणपूरक घण्टी)

श्री पी. के. चौधरी : Such an important Bill should not be passed by a bare quorum. There should be more members. So, I would suggest that the House may adjourn and tomorrow when the members are fresh we may take up the Bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) **:** पी. आर. ओ. के इलेक्शन में जाना है क्या ?

श्री अनूपसिंह : मैं अर्ज करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि पंचायत समिति या पंचायत को यह पॉवर्स दी जांय कि टैक्सेज ऑन कॉमर्शियल क्रॉप्स लगा सकते हैं। इसलिए कि उनके पास रेवेन्यू के साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं हैं, मैंने पहले इस बारे में अर्ज कर दिया है कि रेवेन्यू के साधन आप की इन पंचायतों को देने हैं, पंचायत समितियों को देने हैं तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने की पॉवर्स दे दी जाय। आप चाहते हैं कि उनके पास पैसा रहे, विकास कार्य न रुके। पैसे की

(श्री अनूपसिंह)

कमी की वजह से न रुके तो रेवेन्यू के पूरे पैसे उनको दे दीजिये। आप में हिम्मत होनी चाहिए बजाय इसके कि गांव से पैसा लेकर शहर में आप खर्च करें। शहर में जो पैदा होता है वह गांव वालों के पास नहीं आता है। गांव में जो विकास होता है उसमें आधा, चौथाई वहां से लेकर बाकी सरकार मदद के रूप में देती है। 1/4th, 1/3rd and even 1/2.

कोई स्कूल बनाया जाता है तो उसमें आधा पैसा गांव वालों से मांगा जाता है और आधा सरकार देती है। कोई शफाखाना, सड़क वगैरह बनती है तो उसके लिए आधा पैसा जनता दे, तभी वह काम हो सकता है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज तक का जो रवैया रहा है कि अर्बन एरिया की तरफ ज्यादा ध्यान देना और गांवों में कम खर्च करना, यह किसी जगह नहीं माना जा सकता कि वाकई हमारे अन्दर गांवों को सुधारने की हवश है। हमें मानना पड़ेगा कि गांवों पर उतना खर्च नहीं किया इसके बावजूद भी रेवेन्यू के कलेक्शन की पॉवर्स, उस पैसे को वहीं का वहीं खर्च करने की पॉवर्स नहीं रखते हैं तो मैं समझता हूं कि पंचायत समिति के पास कोई पैसा नहीं रहेगा, रेवेन्यू का कुछ रिसोर्स नहीं रहेगा कि वह कुछ अपने पैरों पर खड़ी होकर विकास का कार्य कर सके, जिस तरह कि आप चाहते हैं। इसके अलावा जब यह बात आती है कि टैक्स ऑन कॉमर्शियल क्रॉप्स तो मैं निवेदन करूंगा कि आप एक तरफ जमीन छीन कर लेना चाहते हैं, कोई ज्यादा जमीन न रखे इसके लिए सीलिंग लगाया जाता है और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि वे अपना स्टेन्डर्ड मेन्टेन करें...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : We are discussing clause 3 and the amendments. We are not discussing ceiling, Delegation of Revenue Powers or Criminal Dowers or any-thing else-

श्री अनूपसिंह : इसमें गलत क्या हुआ ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या गलत हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : गलत कुछ नहीं हुआ, जो आप कहेंगे वह ठीक फर्मायेंगे But we shoule speak to the qnestion itself.

श्री अनूपसिंह : मेरे सीलिंग का नाम लेते ही...

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कहा कि रेवेन्यू की सब पॉवर्स दे दी जांय। इसके लिए न तो आपका अमेंडमेंट है और न इसके सम्बन्ध में कहने का स्कोप है।

श्री अनूपसिंह : मैं अर्ज करूंगा कि कुछ ध्यान रखें तो ठीक होगा। मैंने कहा कि उनकी टैक्सेज ऑन कॉमर्शियल क्रॉप्स की पॉवर्स इसलिए दे रहे हैं कि कुछ कलेक्शन हो जाय ताकि वे कुछ काम कर सकें। इस सिलसिले में अर्ज किया कि कॉमर्शियल क्रॉप्स पर टैक्स लगाने की पावर दे रहे हैं तो इसके बजाय रेवेन्यू कलेक्शन की पॉवर दे दीजिये। इस हिसाब से मैंने अर्ज किया है। आपको शायद सीलिंग का नाम सुन कर ही ठीक नहीं लगा होगा। शायद मुझसे गलती हुई हो लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया।

(श्री अनूपसिंह)

तो एक तरफ आप कहते हैं कि जमीन नहीं रखनी चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि गांववालों का स्टेन्डर्ड बढ़े। मैं अर्ज करूंगा कि स्तर अच्छा कैसे आयेगा अगर कॉमर्शियल क्रॉप्स नहीं लगायेंगे तो ? जो कुछ पैदावार वे करेंगे, गेहूँ की खेती करेंगे तो अच्छा खाना नहीं खा सकते, अच्छा पहिन नहीं सकते और अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिल सकते । मैं अर्ज करूंगा कि कॉमर्शियल क्रॉप्स पर टैक्स लगाए तो उनको डिसकरेज करना होगा । आप यह चाहते हैं कि कॉमर्शियल कॉप न लगाकर फूड प्रोब्लेम को सोल्व करने में मदद करें । मैं अर्ज करूंगा कि फूड प्रोब्लम सोल्व करनी है तो और तरह कीजिए । लेकिन जो कॉमर्शियल क्रॉप पर टैक्स होगा, वह कॉटन, शुगर केन, चिलीज, ग्राउन्ड नट्स आदि पर होगा तो उससे यह होगा कि आप उन्हें कॉमर्शियल क्रॉप्स पैदा नहीं करने देंगे तो उनका मार्जिन ऑफ प्रोफिट बहुत कम रह जायेगा, उनका इन्ट्रेस्ट चला जायेगा और इसका नतीजा यह होगा कि वे लोग खेती को छोड़कर दर दर के हो कर आपके अर्बन एरिया में आकर मजदूरी करेंगे और उस जमीन पर जहां आप चाहते हैं कि लोग भाग जाकर बसें वहां जाकर कोई नहीं सकेगा और जो लोग बसे हुए हैं वे भी छोड़ छोड़ कर अर्बन एरिया में चले जायेंगे । क्या आप यह चाहते हैं कि किसान फटे हाल चिथड़ों में ही लिपटा रह कर इस दयनीय हालत में बना रहे । क्या आप यह नहीं चाहते कि वह भी धनी होकर आराम की जिन्दगी बसर करे जो आप उसे कॉमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडेक्शन करने से डिस्करेज कर रहे हैं...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इससे डिस्करेजमेंट कैसा होगा, यह तो टैक्स लगा रहे हैं ?

श्री अनूपसिंह : टैक्स ही तो डिस्करेजमेंट है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : बाड़मेर में तो कॉमर्शियल क्रॉप्स होती नहीं हैं ।

श्री अनूपसिंह : आपके तो बिल्कुल नहीं होती साहब, यह तो जिसकी अंगुली के लगती है वही जनता है कि किस जगह पट्टी बांधनी चाहिए । लगे कहीं और पट्टी कहीं बांधे तो उससे कुछ नहीं होता ।

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि टैक्स ऑन का कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रावधान है वह नहीं रखा जाय । यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना ही ठीक समझता हूँ ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

श्री लक्ष्मणहीरात (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष धारा ८ पर जो २।३ मेजोरिटी के बारे में माननीय सदस्यों ने संशोधन रखा है उसके विरोध में मैं बोलना चाहता हूँ । माननीय उपाध्यक्ष, अगर २।३ मेजोरिटी पंचायत की रखी जायेगी तो पंचायतों का डवेलपमेंट वर्क आसानी से नहीं हो पायगा । क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारी पंचायतों की क्या हालत है । कई पंचायतों की यह हालत है कि आसानी से कोरम भी नहीं

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

बन पाता है। कई पंचायतों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इस लिए २।३ मेजोरिटी रखने से वहाँ डवेलपमेंट के वर्क में ब्रेक लग जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष, श्रमदान का वर्क आता है तो बड़ी मुश्किललों से समझा कर श्रमदान लेते हैं। २।३ मेजोरिटी की शर्त लगा देंगे तो यह भी मुश्किल से होगा। यह चाहते हैं कि गांवों में तालाबों का, सड़कों का डवेलपमेंट हो जिनसे कि हमारे गांव तरक्की कर सकें पर इसमें २।३ मेजोरिटी का रखा गया तो वह सब नहीं हो सकेगा। २।३ रखने से गांवों में पार्टीबाजी हो जायेगी और पंचायतों के सदस्यों की अलग पार्टियां चाहेंगी कि हम यह कार्य करावें, दूसरी पार्टी कहेगी कि हम यह कार्य करावें। इसलिए २।३ का प्रावधान नहीं रखना चाहिए।

इन सब कारणों से २।३ मेजोरिटी का जो प्रावधान इसमें रखा गया है उसे वापिस ले लेना चाहिये या ड्रॉ कर देना चाहिए। आशा है, माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री सम्पतराम जैन (अकलेरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति ने पंचायत एक्ट की कुछ धाराओं में संशोधन प्रस्तावित किये हैं, उनका समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों ने इन संशोधनों पर संशोधन रखे हैं उनका विरोध करता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह जनरल डिस्कशन नहीं है, क्लॉज ३ है।

श्री सम्पतराम जैन : जी हां, मालूम है। पंचायत एक्ट की दफा ११ में पंचों के लिए योग्यताएं निर्धारित की हैं। उसमें १६५३ में एक्ट बना था उसमें धारा ११ में कहीं नहीं था कि यदि कोई पंच या सरपंच या उप-सरपंच धारा ४ के तहत हटा दिया जाता था तो चुनाव में खड़े होने के लिए कोई क.ई रोक नहीं थी। उसमें यह प्रावधान किया कया कि धारा १७ (४) के तहत सरपंच या उप-सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान हटा दिये जाते हैं तो वे लोग सरपंच, उप-सरपंच के लिए खड़े नहीं हो सकेंगे। यह धारा आवश्यक है। इसके बाबत निवेदन करूंगा कि सरपंच, उप-सरपंच जनता के चुने हुए होते हैं और इन्हें जिम्मेदारी से कार्य करना पड़ता है। यदि वे अवैधानिक कार्य करनेलगे, जाली, फर्जी कार्य करने लगें, अन्य प्रकार की गड़बड़ियां करने लगें तो जनता का विश्वास सरपंचों और उप सरपंचों से हट जाता है। तो जब तक यह प्रावधान नहीं रखा जाता कि वे लोग सरपंच, उप सरपंच के चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकते तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। धारा ११ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इनको चुनाव से रोका जाय, इसलिए यह धारा यहाँ रखी गई है, वह बहुत आवश्यक है। इस संशोधन का माननीय सदस्यों द्वारा विरोध किया गया है। मैं इसके खिलाफ हूँ। इससे जो अवैधानिक कार्यवाही करते हैं वे जनता के सामने चौड़े आ जाते हैं और यह ३ साल के लिए रोक रखी गई है यह कोई बड़ी अवधि नहीं है। एक इलेक्शन तो टलेगा और जनता के सामने यह बात आवेगी कि इन लोगों ने गड़बड़ी की है इसलिए इन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका गया है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि धारा ४ इस विधेयक में रखी गई है उसे ज्यों का त्यों पास किया जाना चाहिए।

(श्री सम्पतराम जैन)

धारा ४ बी.... ..

श्री उपाध्यक्ष : धारा ४ कहां से आ गई ?

श्री सम्पतराम जैन : प्रवर समिति ने रखी है ४ बी ।

श्री उपाध्यक्ष : सब क्लॉज ४ बी ।

श्री सम्पतराम जैन : जी हां, उपधारा ४ बी इसमें यह प्रावधान किया गया है । वह पंचायत एक्ट में नहीं था कि सरपंच या उप–सरपंच अपने कार्यकाल के दौरान में कोई गड़बड़ी करते हैं तो इसकी जांच का प्रावधान नहीं किया था अब इसमें यह किया है कि जांच कर सकते हैं । म्यूनिसिपल एक्ट में यह था पर इसमें यह कमी थी उसको पूरा किया है, यह बिल्कुल आवश्यक है । जांच में साल, डेढ़साल का अर्सा लग जाता है । उस सूरत में यह काम करते रहते हैं तो वे लोग बड़ी गड़बड़ियां कर सकते हैं ।

४ सी में संशोधन रखा गया है, २।३ के बहुमत से करने का प्रावधान किया है । आखिर जहां चुनाव होते हैं वहां पार्टीबाजी रहती ही है । कोई चाहे कुछ भी कहे हमें यह मानना पड़ेगा कि पार्टीबाजी रहती ही है और बहुत से गांव ऐसे रह जाते हैं कि वहां के पंच, सरपंच या उप-सरपंच से मिले हुए नहीं हैं तो वे वहां का काम नहीं करते हैं । २।३ की मेजोरिटी के रखने से सरपंच और उप–सरपंच को इन लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा और और इनका काम करना पड़ेगा । इसलिए यह २।३ की मेजोरिटी रखी है वह बिल्कुल ठीक है । सरपंच को सब जगह का काम करना पड़ेगा । पंचायत की अपील सुनने का अधिकार था तहसील पंचायत को इस प्रावधान के जरिए तहसील पंचायत को जुडिशियल मामलों को सुनने का अधिकार रखा है, बाकी प्रशासनिक मामलों को पंचायत समिति ही सुनेगी । बाकी प्रशासनिक मामलों को पंचायत समिति ही सुनेगी, यह रखकर उचित काम किया गया है । दीवानी और फौजदारी मामले हैं वे तहसील पंचायत के हाथ में रह गए और पंचायत समिति सब निर्माण के कार्यों को करेगी । इसलिए जो प्रतिवेदन प्रवर समिति का पंचायत एक्ट में संशोधन करने के लिए है वह वैसा का वैसा ही पास किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलजी भाई ।

(मौन)

श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसमें जनवरी, १९६१ में चुनाव अवधि बढ़ाई जावे उसकी बजाय मार्च १९६० तक चुनाव होने चाहिए इसके बारे में मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इसके अन्दर एमेन्डमेंट रखा है कि इसके चुनाव मार्च १९६१ में हो जाने चाहिए । यह देखना है कि वास्तव में यह चुनाव ६० में और जनवरी, १९६१ में होने से क्या फरक रह जाता है ? अभी अभी मेरे से पूर्व बहुत से माननीय सदस्यों ने भाषण दिये और उनके विचार सदन को मिले और वैसे ही रातदिन पंचायतों के शासन को मुझे देखने का सुअवसर मिला है और मुझे अनुभव है और उससे साफ जाहिर होता है कि पंचायतें जो आज बनी हुई हैं और इस संबन्ध में पूछे गये जवाबों के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहते है कि यह डिपार्टमेंट की कमी है जिसके कारण किसी

(श्री रामकरणसिंह)

गांव का प्रतिनिधित्व नहीं आ पाता है और उस गाँव को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आज जब हम ऐसे बिल को ला रहे हैं जिसमें पंचायतों के लिये सोचेंगे तो इसके लिये हमें यह सोचना जरूरी हो जाता है कि हर गांव का प्रतिनिधित्व पंचायतों में हो और पंचायत समितियों में होना चाहिए। अब तक का जो अनुभव है उससे साफ जाहिर है कि बहुत से गांवों से पंचों को नहीं लिये गये हैं और पंचायतें जो बनी हैं उसमें यह लिखा है कि प्रोविजन के अनुसार १५ से ज्यादा पंच उस पंचायत में नहीं होने चाहिये जब कि उन पंचायतों की आबादी के हिसाब से ज्यादा पंच होते हैं। इसी तरह से दो, तीन या चार गांवों के जिनमें पहले से ही वार्ड थे और पंच लिये गये थे उनमें भी कटौती कर दी है और वहाँ के पंचों को रिजेक्ट किया है और इससे अब उन गांववालों का कोई प्रतिनिधि उन पंचायतों में नहीं है इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पांच हजारवाली आबादी की पंचायतों के बारे में यह भी कहा गया है कि उनका चुनाव नहीं होगा और नहीं किया गया है और मेरी यह जानकारी है, उसके आधार पर मैं यह निवेदन करूंगा कि ५००० से भी बहुत ज्यादा है आबादी और इस समय उनके चुनाव हो चुके हैं और इनमें पिछले दिनों मेरे एक प्रश्न के जवाब में बताया गया इस ढंग की पंचायत का कन्सट्रक्शन था। एक हजार की आबादी में चार पंच थे और दूसरी जगह एक हजार की पंचायत में एक पंच था और ५००, ७०० की आबादी वाले ऐसे गांव थे जिनमें एक भी पंच नहीं था। उसमें मिनिस्टर महोदय ने खुद ने माना है कि यह डिपार्टमेंट की गलती है कि जिसकी वजह से यह ज्यादा और कम पंचों की बात हुई है और जिस प्रकार से पंचायतों में पंचों का रिप्रेजेन्टेशन जिस तरह होना चाहिये नहीं हुआ। इसके लिए मैंने अलग से भी बताया है और जयपुर जिले में पंचायतों के क्षेत्र में मुझे जाने का काफी अवसर मिला है। वहाँ पर मैंने देखा है कि जयपुर जिले की पंचायतों का संगठन ठीक तरह से नहीं हुआ है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहां पर पूरे का पूरा गांव छूटा हुआ है जिसमें उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसके अलावा किसी जगह जहाँ पर १८०० या १५०० की आबादी है वहाँ पर केवल एक पंच ही लिया गया है। इस प्रकार की खामियें रही हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और मैं यह नहीं समझ सका कि जब लोगों के प्रतिनिधि पंचायतों में नहीं हैं तो किस प्रकार उस गांव के रहनेवालों को पंचायतों को कॉन्स्टटीट्यूट करके फायदा पहुंचा सकेंगे।

दूसरी चीज, यह देखा जावे कि इसका एक्सपेरिमेन्ट करके चलते हैं तो थोड़ा सा समय और अधिक रखते, यदि कोई चीज समझ में नहीं आती। इसके साथ आपने जनवरी, १६६१ रखा है। इसमें किसी प्रकार की महत्वपूर्ण बात नहीं है। जिस वजह से आपने जनवरी ६१ रखा है कि यह बढा दिया जावे इसकी अवधि सन् ६० तक रहे। आप इससे गांव का वास्तविक विकास सोचते है और आप यह चाहते हैं कि आपका यह विकास कार्य हर किसान की ढ़ाणी तक पहुंचे। मगर मैं यह कहूंगा कि आपके यह विकास की क्षमता है और जो पंचायतें बनी हैं आपके इस उद्देश्य को हर ढांणी और हर गांव तक नहीं पहुंचा सकती हैं। इन खामियों को देखते हुए मैं अपील करूंगा कि आप

(श्री रामकरणसिंह)

जो १६६१ से जनवरी तक की अवधि बढा रहे हैं यह उचित नहीं है। इसको सन् ६० के मार्च तक ही रखा जावे तो अच्छा होगा।

दूसरी चीज आपने बताई वह यह कि जो भी कन्सट्रक्शन के वर्क होंगे जैसे रोड, कुए आदि उनके लिये दो तिहाई मेजोरिटी से होंगे, यह बात आपने कही है। मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत आपके कहे बिना ही सरपंच को यह डर रहता है कि पंच उससे नाराज न हो जाएं और वह हर पंच को खुश रखे मगर इधर आप ज्यादा से ज्यादा मेजोरटी करके विकास के कार्यों के लिए दो तिहाई की मेजोरिटी रखते हैं और एक तरफ आप यह मानते हैं कि कई पंचायतें ऐसी हैं जिसमें कई गांववालों के रिप्रजेन्टेटिव नहीं हैं। दोनों बातें एक साथ कैसे बैठ सकती हैं? लेकिन जब दो तिहाई मेजोरिटी का आपने रखा है तो लोगों को यह मालूम हो जावेगा कि दो तिहाई मेजोरिटी उनकी हो चुकी है तो बाकी के पंचों की राय की वे पर्वाह नहीं करेंगे और वहाँपर अल्प मत और बहुमत का प्रश्न पैदा होगा। बहुमत जितना काम करना चाहेगा, जो पैसा मिलेगा उसके अनुसार कार्य करेगा और जो अल्पमत में होंगे वे बिल्कुल इस तरह से उनके मुंह की तरफ देखते रहेगें जिस तरह से दूसरे आदमी देखते रहते हैं और चुपचाप बैठे रहेंगे। इसलिये ऐसी बात जो आपने दो तिहाई मेजोरिटी की रखी है वह विकास के कार्य के लिये हितकर नहीं होगी। अगर आपको ऐसा ही रखना है तो सेन्टपरसेन्ट वोट रख दीजिये ताकि कोई भी गांव और कोई भी पंचायतइससे वंचित न रखी जा सके।

तीसरी चीज यह है कि कॉमर्शियल क्रॉप पर टैक्स लगाये जावें। यह एक अजीब चीज है। कोई भी बात कही जाती है और जिस समय टैक्सेशन की बात आती है तो लोग बड़े शान के साथ कहते जाते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने मेरे से पहले बोलते हुए अपने विचार जाहिर किये हैं कि इससे कोई अड़चन आनेवाली नहीं है। मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो आपने राजस्थान में धान के अभाव को देखते हुए कन्ट्रोल लगाया है और दूसरी तरफ आप यह चाहते हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप पैदा करें। उन पर टैक्स लगावें दोनों बातें साथ साथ नहीं आ सकती है।

इस तरह से जितने भी विकास के कार्य होते हैं, उन कार्यों के लिए जब कोई बात आती है तो आज गांवों की बात को लेकर कह देते हैं कि गांवों में विकास करते हैं। समझ में नहीं आता है कि जितने टैक्स बढ़ा रहे हैं, कोई बात आये यह किसान पर टैक्स कोई कामर्शियल क्रॉप हो या नोन कॉमर्शियल क्रॉप तो उस पर यह टैक्स। हर बात पर टैक्स इम्पोज करते हैं। ऐसी कोई चीज बतायें माननीय मंत्री महोदय जब जवाब दें तब कि शहर में ये ये टैक्स लगे हैं और उनसे प्राप्त हुए पैसे से गांवों में ये ये चीजें बनी हैं। जो भी काम शहरों में होते हैं वे सब गांवों के पैसे ही से होते हैं। देहातियों को यहाँ शहरों में आकर उनके पैसों से कोई फायदा नहीं होता। कई चीजें देखने को मिलती हैं कि उन पर टैक्स ही टैक्स लगा रहे हैं, अगर विकास के काम होते हैं तो उन पर अलग टैक्स और दूसरे कामों पर दूसरे दूसरे टैक्स।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): यह टैक्स लगेगा देहात के विकास के लिए।

श्री रामकरणसिंह : मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप इतने क्यों बेचैन हो रहे हो. इस बात को मैं जानता हूं। माननीय सदस्य खड़े होकर कह देते हैं कि उन पर लगेगा उनके लिए। कोई भी बिल लाते हैं, जितने टैक्सेज होते हैं उतने टैक्सेज सब गरीब काश्तकारों पर लगा देते हैं। उनसे प्राप्त हुआ सारा पैसा शहरों में काम आता है। यहां जो बिल्डिंग बनती हैं उन्हीं के पैसे से बनती हैं। जब किसानों का सवाल आता है तो कहा जाता है कि विकास के काम करने हैं लाओ ५० परसेन्ट लाओ। उनसे लेने के लिए हर तरह से तैयार हो जाते हो। माननीय सदस्य खड़े होकर बता दें कि जो उनके विकास के लिए काम होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ५० परसैन्ट लाओ। उनके लिए कोई डिस्पेन्सरी, स्कूल आदि कोई भी काम करने के हैं तो १।३ लाओ, उनसे लिये गये पैसे के अलावा शहरों से लिये गये कितने पैसों से उनके काम में दिया गया, शहर के पैसे से कितने उनके काम किये हैं जब कि उनसे एक भी पैसा न लिया हो ? जो भी बिल लाते हैं सब उनमें टैक्सेज की ही बात होती है किसानों के ऊपर। विकास के कार्यों के लिए उनके लिए सीमा बांध देते हैं कि श्रमदान करो या ५० प्रतिशत रुपया लाओ तो काम हो समझ में नहीं आता है कि एक तरफ लोग टैक्सेज उन पर इम्पोज करते जाते हैं और दूसरी तरफ उनके सामने कैसे कहने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हम तुम्हारी भलाई के लिए ये ये कानून बना रहे हैं ? कैसे कह देते हैं कि इस प्रकार के कानून काश्तकारों को नुकसान नहीं पहुंचायेंगे ? मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ सिलिंग लगा कर एक आदमी के लिए इतनी जमीन रहेगी और साथ यह भी कह देते हो कि फलां फलां चीजों पर टैक्स लगेंगे और फलानी चीजें पैदा नहीं कर सकते हो। यदि वास्तविक हालत काश्तकारों की देखें तो आपको पता चले कि इस फसल में बाजरा और दूसरी चीजों को कीड़ों ने काफी नष्ट कर दिया है। यदि वे कामर्शियल क्रॉप पैदा नहीं करते हैं तो फिर उनका कहीं भी ठिकाना नहीं हो सकता है। एक तरफ तो आप काश्तकारों के लिए नारे लगाते हो कि हम काश्तकार के लिए अच्छे अच्छे बिल ला रहे हैं और उनको ये ये सहूलियतें दे रहे हैं और दूसरी तरफ कॉमर्शियल क्रॉप पर टैक्स लगा कर कहते हो कि काश्तकारों को इफेक्ट नहीं करेगा। माननीय सदस्य जो यह महसूस करते हैं कि उनको इफेक्ट नहीं करता है तो जो लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, बिजनिस करते हैं उन पर जो टैक्स लगा कर देखें क्या हालत होती है ? फिर देखिये कि कैसे होते हैं ? जो गांवों में कभी गये नहीं उनका रास्ता क्या जाने ? बहुत से माननीय सदस्य खेती का काम नहीं जानते, समझ भी नहीं सकते कि गंवार का पेड़ कैसा होता है, दूसरे पेड़ कैसे होते हैं, खेतों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है कितनी उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है कॉटन किस प्रकार पैदा की जाती है, जीरा किस प्रकार पैदा किया जाता है, शुगर केन किस प्रकार पैदा किया जाता है। छोटे से बड़ों तक किसान लोग ऐशोआराम छोड़ देते है, खाना पीना तक छोड़ देते हैं और दिन रात एक करके अपने बच्चे की तरह पेड़ पौधों को पालते हैं और उसके बाद उन पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। जब किसान के विकास की बातें आती हैं तो कहा जाता है कि इतना परसेन्ट लाओ तो यह हो। जब एग्रीकलचरल पर्पज के लिए बिजली देने का प्रश्न आता है तो कहा जाता है ऐसा करो

Page No.100

(श्री रामकरणसिंह)

तो ऐसा हो। इस प्रकार से कामर्शियल क्रॉप पर टैक्स लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यह जंचने वाली बात नहीं है जब कि उनके हिमायती बन कर कह देते हो कि उनके फायदे के लिए यह कर रहे हैं।

पिलग्रिमेजेज पर टैक्स लगा है। गांवों के बाहर मेले वगैरह भरते हैं तो उन पर टैक्स लगा है। गठजोड़ा की जात देने जाते हैं। अन्ध विश्वासी लोग हैं समझते तो हैं नहीं. बाहर लोग मेले में इकट्ठे होकर जाते हैं, उनसे पंचायत समिति टैक्स लेगी। कोई काश्तकार कॉमर्शियल क्रॉप पैदा करता है तो उस पर टैक्स, एन्टरनमेन्ट टैक्स मेले वगैरा भरते हैं तो उन पर टैक्स, जिधर देखो उधर टैक्स। समझ में नहीं आता कि इस तरह की बातें करके क्या चीजें चाहते हैं? फिर कहते हो कि ज्यादा सहूलियत देना चाहते हैं काश्कार को? अतः कामर्शियल क्रॉप पर टैक्स का घोर विरोध करते हुए यह मांग करता हूँ किसी प्रकार का टैक्स काश्तकारी पर लगे ऐसा नहीं होना चाहिये। इस क्लॉज को डिलीटकर देना चाहिये। जब इस प्रकारकी चीजें करते हैं तो धीरे धीरे काश्तकार समझने लगा है और आगे समझेगा कि किस प्रकार उसको दब रखा है और केवल नारा लगाते हैं कि तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यों समय थोड़े ही खर्च होगा।

श्री रामकरणसिंह : सोहनलालजी भटनागर बोल रहे थे इसलिए मैंने सोचा...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : वे तो फूलजी भाई के लिए समय लेना चाहते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मैं तो नहीं लेना चाहता, आप चाहेंगे कल।

श्री रामकरण सिंह : कॉमर्शियल चीजों में मिर्चीं भी रखी है....

श्री उपाध्यक्ष : कामर्शियल क्रॉप पर तो आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री रामकरणसिंह : एक चीज और रह गई है ग्राउन्ड नट।

श्री सोहनलाल भटनागर : जो चीजें रखी हैं वे पढ़िये।

डॉ० बहादुरसिंह : जो कॉमर्शियल क्रॉप हैं, व्यापार के लिए किसानों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): I have to make a Submiss on before the Chair, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि तीसरी क्लॉज पर ही सारा दिन खत्म हो जाता है तो आगे के लिए क्या होगा? बहस कुछ रेगुलेट करनी चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Hon'ble Member was explaining commercial crops. कॉमर्शियल क्रॉप का डेफिनेशन अभी एक्जास्ट नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर रामकरण सिंह आपने खत्म कर दिया?

श्री रामकरणसिंह : इसी प्रकार जो पंचो को मोअत्तिल करने का प्रोविजन रखा है वह कतई जंचने वाला नहीं है। उसी प्रकार एक आदमी जो चुनकर आता है. उसको किसी भी प्रकार से मोअत्तिल या सस्पेन्ड करना गलत है। इन शब्दों के साथ मैं यही अर्ज करूंगा कि ये सब चीजें जंचने वाली नहीं हैं। मेरी समझ में तो आती नहीं अतः इनको नहीं रखा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के क्लॉज ३ पर हम विचार कर रहे हैं। क्लॉज ३ में कुछ संशोधन भी माननीय सदस्यों ने प्रस्तावित किये हैं और उनमें से अधिकांश संशोधन ऐसे हैं जिन संशोधनों के संबन्ध में मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों जिनका समर्थन एक मत से किया है। मैं उन संशोधनों के संबन्ध में सदन के सामने अपने विचार रक्खूं उससे पहिले मैं एक प्रावधान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस प्रावधान के लागू होने के बाद कुछ कानूनी दिक्कतें शायद पेश आयेगी। वैसे तो जब कानून की बातें करते हैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय पर यह प्रतिक्रिया होती होगी कि मेरे सामने कानून की बात करने वाला कौन आगया। फिर भी मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे इस थोड़े से समय में इस पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल के पेज २ को निकालेंगे और पेज ३ और ४ को पलटेंगे। पेज ४ पर सेक्शन ३ राजस्थान पंचायत एक्ट में जो संशोधन किया है उस पर अगर गौर फर्मायेंगे पेज ४ Part (ii)

"(ii) Section 3 of the said Act shall be renumbered as sub-section (1) of that section and, after sud-section (1) as so renumbered, the following new sub-sections shall be inserted, namely:-

(2) The State Government may by like notification ...

(a) establish a Panchayat for the whole or a part of any area included within the limits of a Municipality, or"

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सब लिखा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (b) include any snch area or part in any panchayat circle......

उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में पंचायत स्थापित कर दी जायेगी यह राज्य सरकार को अधिकार दिया है। मैं इस संबन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने म्यूनिसिपल क्षेत्र के किसी एक भाग के लिये पंचायत क्षेत्र घोषित किया है या पंचायत बनाई वह भी अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। उस भाग के लिये पंचायत क्षेत्र बनाने के लिये सेपरेट पंचायत समिति एस्टेब्लिश करेंगी। आगे इसमें सब-सेक्शन ३ में "(3). Upon the estabiishment of a Panchayat under clause (a) of sub-section (2) for any area--

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(a) such area shall, for the purpose of this Act, be deemed to be a Panchayat circle, यह जो पंचायत एस्टेब्लिश करेंगे उसके बाद क्या होगा (aa) the Municipal Board established therein shall stand converted into a Panchayat for such Panchayat circle,"

and

" (aaa) the Chairman, Vice Chairman and members of the said Municipal Bord shall, until fresh elections are held under this Act, be deemed to be the Sarpanch, Up-Sarpanch and Panchas of such Panchayat." अब जिस सम्पूर्ण नगरपालिका के क्षेत्र में पंचायत एस्टेब्लिश कर दी गई उसको पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया तो उस नगरपालिका के चेयरमैन, वॉइस चेयरमैन और जो मेम्बर्स होंगे वे पंचायतों में एब्जोर्ब हो जायेंगे। लेकिन मैं उस पोजीशन के बारे में पूछना चाहूँगा, मानलीजिये नगरपालिका के किसी हिस्से को आपने पंचायत घोषित किया उस हिस्से में चेयरमैन नहीं रहता और न वाइस चेयरमैन ही रहता है ऐसी हालत में जो आपने पंचायत एस्टेब्लिश की है तो उस पंचायत समिति का सरपंच और उप–सरपंच कौन होगा ? वैसी हालत में उस आधे हिस्से की पोजिशन यह होगी कि वाइस चेयरमैन और जो चेयरमैन रहेगा वह उस आधे हिस्से का रहेगा। यह जो प्रोविजन रखा है इस पर आप जरा गौर फर्माइये। प्रोविजन तो लिख दिया गया। इसमें क्लॉज सब-क्लॉज इतने हैं कि शायद कन्फ्युजन हो गया हो। इसमें २७ जगह ए. डबल ए और तीन तीन ए लगा कर इस क्लॉज को बनाया है। हो सकता उसमें खामी रह गई हो। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहता हूं कि डबल ए को ट्रिपल ए के साथ पढ़ा जाय तो उस पंचायत समिति के लिये जो नगरपालिका के आधे हिस्से को काट कर बनाई गई हो वहां पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नहीं रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरा इन्टरप्रिटेशन है, हो सकता है राजस्व मंत्री महोदय की नजरों में कोई मायने नहीं रखता हो, उनके ख्याल में यह हो कि कहीं ऐसी पोजिशन आयेगी ही नहीं, राजस्थान सरकार बहुत सोच समझ कर ऐसे हिस्से को पंचायत में कन्वर्ट करेगी जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहते होंगे। इस बात की पहले जांच करके कि कौन से नगरपालिका क्षेत्र में वाइसचेयरमैन और चेयरमैन रहते हों उन्हीं क्षेत्रों को पंचायत क्षेत्र घोषित करेंगे तो दूसरी बात है। इसलिए उनके खयाल में इस प्रकार की कोई परिस्थिति या संकट ही पैदा नहीं होगा। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री महोदय इस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में ऐसा न सोचें कि उनके कानून के ज्ञान के बारे में नुक्ताचीनी कर रहा हूं, यह बात नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : Why are you so personal ? उसी बात को आप फिर रिपीट करते जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I want to impress upon the mind of the Hon. Minister-in-charge.

श्री उपाध्यक्ष : Every member of the House is legal minded.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is a pure and simple legal suggestion.

श्री उपाध्यक्ष : It should be in a pure and simple way.

एक माननीय सदस्य : It is 5 P.M.

श्री उपाध्यक्ष : I hope you have concluded.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No Sir, I have just starte l.

श्री उपाध्यक्ष : Then we adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनुपरान्त सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक २५ अगस्त, १६५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार २४ अगस्त, ५६)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

नीन्दार बेनार के खादानों की रॉयल्टी की वसूली का ठेका।

कृषकों को निजी उद्योग के लिए अप्रधान खनिजों की छूट।

स्टाम्प वेन्डरों की नियुक्ति।

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम।

राजकीय विभागों में हिन्दी का प्रचलन।

सरकारी मोटर गाड़ियों पर किया जाने वाला व्यय :

गाडिया-लुहार कॉलोनी-सोजत।

कोटपुतली के गढ़ के पास की नगरपालिका की जमीन पर श्री हनुमान शरण द्वारा कब्जा किया जाना।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला में उत्तीर्ण छात्रों के लिए बड़ी उच्च विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबन्ध।

ग्राम भंवरगढ़, तहसील किशनगंज के किसानों को फसल नष्ट होने के कारण लगान की माफी।

विकास खंड द्वारा मकान बनाने हेतु धन-राशि की मांग।

गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सिरोही में प्राध्यापकों का अभाव।

गोचर भूमि-ग्राम पाँचेटिया, तहसील खारची।

हायरसेकिण्डरी स्कूलों के सीनियर टीचर्स की संख्या, जिला सिरोही।

बीमा सस्पेंस की धन-राशि।

लोहे तथा ईस्पात के पंजीयत स्टॉक-होल्डर, अजमेर की नियुक्ति।

रूपवास, बयाना तथा बसेरी तहसीलों (भरतपुर) के गांवों में अग्नि-कांड।

पर्वन नदी (जिला कोटा) पर पुल का निर्माण।

जागीरदार द्वारा हाडीजी की बावड़ी ग्राम इसरदा का पट्टा अपनी पासवान के दोहते के नाम किया जाना।

माध्यमिक पाठशाला, त्रारां।

रविदासपुरा (भरतपुर) में नवीन बस्ती की स्थापना।

सार्वजनिक अमोलक वाचनालय बगड़ी।

Page No.105

जिला पाली के अग्निपीड़ित ग्रामवासियों को दो गई आर्थिक सहायता।

नारलाई (देसूरी) के तालाब की मरम्मत।

बूंदी जिले में नई माध्यमिक व प्राईमरी पाठशाला का खोला जाना।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिए जाने के प्रस्ताव पर दिनांक १६ से २१ अगस्त, १६५६ तक की गई बहस का उत्तर आज श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, द्वारा दिया गया। मुख्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री पी० के० चौधरी ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने का संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री के विधेयक पर जनमत जानने हेतु प्रसारित किए जाने का संशोधन अस्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया एवं विधेयक पर खण्डशः विचार आरंभ हुआ।

खण्ड २ :

इस खण्ड पर ७ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् २ संशोधन स्वीकार किए गए तथा शेष अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ :

इस खण्ड पर ६ सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किए गए।

इन पर की गई बहस में ११ सदस्यों ने भाग लिया।

मंगलवार, दिनांक २५ अगस्त, ५६ की कार्य सूची

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, ५६

(अग्रोत्तर खंडश : विचार–विमर्श)

Page No.106

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४४ का उत्तर देखिए]

सस्पेन्स में डाली गई रकम का ब्यौरा

क. सं.	वर्ष	बीमा कटौती की आय	वर्षारम्भ पर सस्पेन्स की रकम	वर्ष में डाली गई सस्पेन्स की रकम	योग	रकम जो कम की गई	वर्ष के अन्त में जो शेष रही	सस्पेन्स का प्रतिशत
१	२	३	४	५		६	७	८
१	१९५४–५५	१७,५४,६४१)	१,४६,०८८)	१,५५,६७०)	३,०४,७५८)	१५,०४७)	२,८६,७११)	८·८ प्रतिशत
२	१९५५–५६	२७,४६,६०६)	२,८६,७११)	२,२८,६८६)	५,१८,३६७)	७२,०४२)	४,४६,३५५)	८·३ ,,
३	१९५६–५७	३४,३१,२५७)	४,४६,३५५)	२,९७,९८०)	७,४४,३३५)	१,५३,०९४)	५,९१,२४१)	८·६ ,,
४	१९५७–५८	४६,२०,७७०)	५,९१,२४१)	३,७०,०००)	९,६१,२३१)	२,००,२७५)	७,६०,९६६)	८·० ,,
५	१९५८–५९							
	प्रथम त्रैमासिक	१२,०५,७३७)	७,६०,९६६)	४५,५७०)				३·७ ,,
	द्वितीय ,,	१२,८६,०६७		३७,४५२)	८,७२,७७९)	७,४५८)	८,६५,३२१)	२·९ ,,
	तृतीय ,,	१३,०१,५९२		२८,७९१)				२·१ ,,

नोट—१–१–५९ से ३१–३–५९ तक के हिसाबात बन्द नहीं किए गये हैं।

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ का उत्तर देखिए]

क्र० सं०	नाम ग्राम	दि० अग्निकांड	तादाद घर जो जले	तादाद नुकसान	रिलीफ जो दिया गया	दि देने रि०	तकावी जो दी गई	दि देने तकावी	वि. वि
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
				तहसील रूपवास					
१.	पहाड़पुर	५–४–५८	१	४८०	— —	—	—	—	—
२.	पुछवारी	—	१	१४३२	— —	—	—	—	—
३.	बांसी	११–४–५८	२	५८१	— —	—	—	—	—
४.	घाटोली	१३–४–५८	६	७२३८	— —	—	—	—	—
५.	क रूपवास	१५–४–५८	३	२७६	— —	—	—	—	—
६.	नयागांव	१६–४–५८	२	७२०	— —	—	—	—	—
७.	भवनपुरा	२४–४–५८	३१	११३२५	३८२	५–५–५८	—	—	—
८.	तुहियाबदी	२८–४–५८	४	१७६७	१७३	— —	—	—	—
९.	मिन्दपुरा	२६–४–५८	१२	११८६७	५३८	— —	—	—	—
१०.	इब्राहिमपुर	३–६–५८	१	५००	— —	—	—	—	—
११.	क रूपवास	६–६–५८	१	३००	— —	—	—	—	—
१२.	घाटोली	१३–६–५८	३२	१६५५६	१०४५	जून५८	— —	—	—
१३.	चुडाहिरारी	२२–६–५८	६	२३१४	१०५	— —	—	—	—
१४.	बोसोदी	१४–६–५८	४०	७६१३	९३०	— —	—	—	—
१५.	मोर्रिका	१९–६–५८	२६	२२५२८	१२५	— —	—	—	—
१६.	सोनोठी	२९–६–५८	५६	४३७८७	१०८०	— —	—	—	—
१७.	बरमौली	३०–६–५८	२	३०५	— —	—	—	—	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१८.	जनबौली	२४–६–५८	१	१०८	—	—	—	—	—	—
१९.	खाजबा	२८–८–५८	५	६०२	—	—	—	—	—	—
२०.	बिर्नअबा	३–९–५८	१	१००	—	—	—	—	—	—
२१.	बिनअबा	६–९–५८	३	१००	—	—	—	—	—	—
२२.	जुगलाबली	१७–९–५८	१	४००	—	—	—	—	—	—
२३.	कोरा	९–१०–५८	१	३४१	—	—	—	—	—	—
२४.	शमसेटा	१३–१०–५८	१	१३३	—	—	—	—	—	—
२५.	खाजबा	१६–१०–५८	१	२४०	—	—	—	—	—	—
२६.	जटबासी	२६–१०–५८	५०	७५१५	—	—	—	—	—	—
२७.	इब्राहिमपुर	१२–११–५८	१	६४३	—	—	—	—	—	—
२८.	खानसुरजापुर	२५–१०–५८	१	२००	—	—	—	—	—	—
२९.	चुरारी डांग	१३–११–५८	१	६३०	—	—	—	—	—	—
३०.	नतुआ	२६–१०–५८	६	५७०२	—	—	—	—	—	—
३१.	गजरबादाई	२६–१०–५८	४	१८३१	—	—	—	—	—	—
३२.	बुराना	३०–१०–५८	१०	४४४३	—	—	—	—	—	—
३३.	खांजबा	२९–११–५८	४	११९०	—	—	—	—	—	—
३४.	मैसा	५–१२–५८	८	६८२	—	—	—	—	—	—
३५.	दौदगद	११–१२–५८	१	१८९	—	—	—	—	—	—
३६.	खाजबा	९–१–५९	७	१३२३	—	—	—	—	—	—
३७.	रूपबास	२२–१–५९	२	३२०	—	—	—	—	—	—
३८.	उच्चैन	४–२–५९	७	७४३	—	—	—	—	—	—
३९.	खाजबा	११–८–५९	७	३१००	—	—	—	—	—	—
४०.	बारादमाली	२५–२–५९	२	३८८	—	—	—	—	—	—

१	२	३	४	५		६	७	८	९	
४१.	खरैरा	१०-३-५९	३	१०३१	—	—	—	—	—	—
४२.	क. उच्चाने	ने१२-४-५९	२	२५३५	—	—	—	—	—	—
४३.		१७-४-५९	७४	१८१७४	४०	—	जून५९	१२००	जुलाई ५९	
४४.	भवनपुरा	२०-४-५९	१४	३००९	—	—	—	—	—	—
४५.	मुर्रिका	२१-४-५९	२१	१२३५८	१४०	मई५९	—	—	—	—
४६.	क. रूपवास	२८-४-५९	१	१७७	—	—	—	—	—	—
४७.	बिरम्बाद	२७-४-५९	२६	६५४४	—	—	—	—	—	—
४८.	क. रूपवास	२४-५-५९	३	५८	—	—	—	—	—	—
४९.	मि नरासा	६-५-५९	२	४०	—	—	—	—	—	—
५०.	क. रूपवास	२४-५-५९	३	५८	—	—	—	—	—	—
५१.	के. उच्चनैन	१७-६-५९	५	२११८	—	—	—	—	—	—
५२.	रहिमपुर	१४-६-५९	२८	१४८२९	२०५	जून५९	१०००	जुलाई ५९	—	
५३.	महल	२५-७-५९	२	२४३	—	—	—	—	—	—
५४.	कहतेपुर	१९-६-५९	५८	११५५९	१३२०	जुलाई५९	५८००	अगस्त५९	—	
५५.	विचुना	१०-७-५९	७०	२४२६५	५१८	—	४०००	—	—	—

तहसील बयाना

५६.	बागरन	१-५-५८	१७	६०३६	—	—	—	—	—	—
५७.	हरनगर	१६-५-५८	४	१५३७	—	—	—	—	—	—
५८.	बुरेरी	२८-१०-५८	१	१३८	—	—	—	—	—	—
५९.	न. जबसिंह	१२-११-५८	२	९२०	—	—	—	—	—	—
६०.	पुरा हरलाल	१५-११-५८	३	७४०	—	—	—	—	—	—
६१.	खरैली	१२-२-५९	६	१०८७	—	—	—	—	—	—
६२.	जसपुरा मौराबी	१४-३-५९	५	१३७१	—	—	—	—	—	—
६३.	खरैली	१९-३-५९	१०	२६५८	—	—	—	—	—	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६४.	म. व्याना	७-४-५९	१	९१४	—	—	—	—	—
६५.	बिरम्बाह	१०-४-५९	२	८९१	—	—	—	—	—
६६.	क. व्याना	१३-४-५९	२	३३३८	—	—	—	—	—
६७.	सालीड.री	१४-४-५९	७०	३०४६२	२०८०	मई ५९	—	—	—
६८.	मूडिंबा	१५-४-५९	२	३८९	—	—	—	—	—
६९.	ठिकरिया	१८-४-५९	८	४१८९	६४५	जुलाई ५९	—	—	—
७०.	शेखपुर	२०-४-५९	१	७०	—	—	—	—	—
७१.	खोहरा	३-५-५९	४१	१६१०४	—	—	—	—	—
७२.	गुड़धानली		३०	६४१०	—	—	—	—	—
७३.	श्रीनगरमजरा खुरद	४-५-५९	१६	४४२९	९६५	जुलाई ५९	—	—	—
७४.	क. व्याना	८-५-५९	१	३०	—	—	—	—	—
७५.	बराबड़ी	१६-५-५९	२	५८८	—	—	—	—	—
७६.	भामरी		७	१४०१	—	—	—	—	—
७७.	दुदपुरा शैखपुर	१९-५-५९	५	६०५	—	—	—	—	—
७८.	बिरम्बाद्	१-६-५९	१	२११	—	—	—	—	—
७९.	भामरी	१३-५-५९	१८	६१७१	९१२	जून ५९	—	—	—
८०.	मुवाबदी	१५-६-५९	२	१०९९	१४४	—	—	—	—

तहसील बसेड़ी

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८१.	सागौली	२४-३-५९	७०	३९२४३	४५७१	मई ५९	—	—	—
८२.	न दरवेश	२२-५-५९	२७	१४५८५	—	—	—	—	—

नोटः—आईटम नम्बर ५४ पर मौजा कहतपुर तहसील रूपबास में फसल रबी सम्वत् २०१५ की जमा लैन्ड रेवेन्यू मय बकाया ७९०.९६

तकावी	आबपाना	कुल
६१४.	५०१.३१	१६१३.२७

थाम दी गई है व २४ व्यक्तियों को १५० थान टीन दिया जा चुका है।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ का उत्तर देखिये)

Districtwise allotment of funds under Low Income Group Housing Scheme from 1956-57 to 1959-60.

S. N. District.	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60
1. Jaipur.	12,42,280	11,48,900	7,95,700	9,00,000
2. Jodhpur,	3,75,000	3,75,000	3,50,000	3,00,000
3. Bikaner.	1,87,200	3,75,000	2,15,000	2,00,000
4. Udaipur.	4,40,220	3,75,000	5,00,000	2,50,000
5. Kota.	1,01,400	1,40,000	75,000	1,50,000
6. Alwar.	1,20,000	87,200	75,000	1,45,000
7. Bharatpur.	1,80,280	75,000	88,682	50,000
8. Bhilwara.	1,00,000	95,000	85,000	1,00,000
9. Ganganagar.	1,20,100	1,00,000	75,000	1,00,000
10. Sikar.	63,400	97,540	50,000	50,000
11. Chittor.	1,54,800	40.000	60,000	50,000
12. Nagaur.	75,000	40,000	50,000	50,000
13, Pali.	50,000	60,000	75,000	75.000
14. Dnugarpur.	50 000	75,660	50,000	40,000
15. Ajemer.	2.00,000	1,53,700	3,46,300	5,00,000
16. Bundi.	-	-	22,000	30,000
17. Churu.	-	-	47,000	50,000
18. Sirohi.	-	-	72,000	30,000
19. Jhalawar.	-	-	47,000	30,000
20. Banswara	-	-	47.000	30,000

१	२	३	४	५	६
21.	Barmer.	-	-	57,000	50,000
22.	Tonk.	-	-	47,000	30,000
23.	Jhun jhunu.	-	-	37,000	30,000
24.	Jalore.	-	-	47,000	30,000
25.	Sawai Madhopur.	-	-	33,000	30,000
26.	Jaisalmer.	-	-	3,000	-
	Total:-	31,59,680	32,20,000	33,50,000	33,00,000

List of Loanees whom loan advanced during the year 55-56 under.
L. I. G. H. Scheme.

S. No.	Name of loanee	Address	Amount distri-buted	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Shri Assodomal	Gumanpura	3,750/-	
2.	„ Bhagat Singh Suri	Gumanpura	8,000/-	
3.	„ Bakshi Awtar Singh	Bhimganj mandi	6,250/-	
4.	„ Brij Mohan Malviya	Ladpura	7500/-	
5.	„ Chandra Bhan Srivastava	Nayapura	6,500/-	
6.	„ Choth Mal Gandhi	Bhatapara	3,750/-	
7.	„ Chhote Lal Sharma	Nayapura	5,000/-	
8.	„ Damodar Lal	Kota Jn.	8.000/-	
9.	„ Ghanshyam Dass	Nayapura	6,250/-	
10.	„ Gyarsilal Cashier	Retwali	2,500/-	
11.	„ Har Bhagwan Sahni	Shripura	8,000/-	
12.	„ Harnam Singh	Gumanpura	5,000/-	
13.	„ Hassumal Balwani	Nayapura	6,250/-	Total amount repaid.
14.	„ Hiralal	Shripura	5,000/-	
15.	„ Kundal Das	Gumanpura	3,750/-	
16.	„ Jamuna Dhar	Gumanpura	3,7501-	
17.	„ Jayanti Prasad	Nayapura	8,000/-	
18.	„ Jeewat Ram	Gumapura	3,750/-	
19.	„ Kalyan Prasad Gupta	Gumanpura	8,000/-	
20.	Shrimati Kamla Gangwal	Gumanpura	8,000/-	

१	२	३	४	५
21.	Shri Kanti Prasad Bhatnagar	Vijay Pada	6,250/-	
22,	,, Kaushal Kishore	Nayapura	3,750/-	
23.	,, Krishan Gopal Shringi	Ladpura	4,000/-	
24.	Shrimati Krishna Kumari	Vijaypada	5,000/-	
25.	Sri Madho Lal Sadda	Gumanpura	6,250/-	
26.	,, Mahabir Prasad Sharma	Ladpura	8,000/-	
27.	,, Mangilal Verma	Gumanpura	6,250/-	
28.	,, Manmohan Gupta	Nayapura	3,750/-	total amt. ropaid
29.	,, Nathi Lal Sharma	Aryasamejaroad	3,750/-	
30	,, Nathu Lal Vakil	Ladpura	8,000/-	
31.	,, Naval Kishore Bhargava	Nayapura	3,750/-	
32.	,, Om Prakash	Nayapura	6,250/-	
33.	,, Poonam Chand	Bhatapada	8,000/-	
34.	,, Pratap Singh Overseer	Gumanpura	3,000/-	
35.	,, Rajendra Nath Chaturvedi	Nayapura	8,000/-	
36.	,, Ramji Lal Sharma	Ladpura	3,750/-	
37,	,, Ram Chadra Jalia	Ladpura	3,750/-	
38.	,, Ram Lakhan Dube	Nayapura	8,000/-	
39.	,, Ram Prasad Dando-tia	Nayapura	6,250/-	
40.	,, R. D. Chowdhary	Nayapura	6,250/-	
41.	,, Rameshwar Dayal Bhargava	Nayapura	8,000/-	
42.	,, Ram Narain Jain	Gumanpura	8,000/-	
43.	,, Ratan Bihari Tyagi	Nayapura	6,250/-	
44.	,, Roop Shanker Kanjolia	Gumanpura	6,250/-	
45.	,, S. S. Kulshreshta	Nayapura	8,000/-	
45.	,, Saligram	Sayedka-chowk	3,750/-	

१		२	३	४	५
47.	,,	Shanker Lal Agrawal	Vikram-chowk	3,750/-	
48.	,,	Shrilal Sharma	Gumanpura	6,000/-	
49.	,,	Shrinarain Verma	Gumanpura	8,000/-	
50.	,,	Shivdayal Chaturvedi	Kota Junction	6,250/-	
51.	,,	Shobha Singh Chadda	Gumanpura	5,000/-	
52.	,,	Sunder Lal Chaturvedi	Kota Jn.	6,250/-	
53.	,,	Sunder Singh	Kota Jn.	8,000/-	
54.	,,	Tara Chand Postman	Gumanpura	3,750/-	
55.	,,	Tara Chand Kirana merchant	Gumanpura	6,250/-	
56.	,,	Tikam Chand Sethi	Gumanpura	7,500/-	
57.	,,	Tikay Ram Sahani	Shripura	8,000/-	
58.	,,	Total Dass	Kota Jn.	3,000/-	
59.	,,	Trilok K. Asnani	Gumanpura	8,000/-	
60.	,,	Virendra Singh Hara	Nayapura	5,000/-	
61	,,	Yusuf Ali	Shripura	6,250/-	

1956 — 57.

1.	Shri	Amir Chand	Gumanpura	5,000/-
2.	,,	Badri Prasad dube	Nayapura	3,750-/
3.	,,	Baij Nath	Nayapura	5,000/-
4.	,,	Bihari Lal	Gumanpura	4,000/-
5.	,,	Chanda Lal Sharma	Nayapura	3,750/-
6.	,,	Chand Mal Gupta	Gumanpura	8,000/-
7.	,,	Govind Sahai Saxena	Nayapura	3,750/-
8.	,,	Indra Dutta Swaheen	Nayapura	4,750/-
9.	,,	Ishwar Singh	Gumaupura	3,750/-
10.	,,	Johari Prasad	Bhimganjmandi	3,750/-

१		२	३	४
11.	,,	Kalyan Singh	Nayapura	3,750-/
12.	,,	Kartar Singh	Gumanpura	3,750/-
13.	,,	Kishan Lal Gupta	Gumanpura	6,250-/-
14.	,,	Mangal Sen	Gumanpura	3,750/-
15.	,,	Mangat Ram Basin	Kota Junction	8,000/-
16.	,,	Mohan Singh Oberai	Kota Junction	4,200/-
17.	,,	Nand Lal Sethi	Gumanpura	3,750/-
18.	,,	Naval Kishore	Nayapura	3,750/-
19.	,,	Parma Nand Chaturvedi	Gumanpura	5,625/-
20.	,,	Phani Bhushan Thakur	Nayapura	8,000/-
21.	,,	Pritam Singh	Gumanpura	3,750/-
22.	,,	Pritpal Singh	Gumanpura	3,750/-
23.	,,	Ram Narain Saxena	Nayapura	8,000/-
24.	,,	Ram Swaroop Saxena	Nayapura	5,000/-
25.	,,	Roop Chand Jain	Kota Junction	5,000/-
26.	,,	Rajendra Prasad	Gumanpura	5,625/-
27.	,,	Vishnu Dutta Dadhich	Gumanpura	3,750/-
28.	,,	Yadav Rao	Kaithoonipole	2,500/-

1957 — 58.

1.	Shri	Abdul Gani	Chandghata	3,750/-
2.	,,	Vishambhar Nath Gupta	Nayapura	8,000/-
3.	,,	Badri Lal Gupta	Gumanpura	3,750/-
4.	,,	Babu Lal	Ladpura	3,750/-
5.	,,	Brijmohan	Saraikayasthan	2,000/-
6.	,,	Chrinjit Lal	Nayapura	3,000/-
7.	,,	Chandra Bhan	Nayapura	3,750/-
8.	,,	Dan Mal (Peon)	Nayapura	1,000/-
9.	,,	Ghasi Ram Chaturvedi	Nayapura	3,750/-
10.	,,	Govind Lal Gupta	Gumanpura	5,000/-
11.	,,	Harnam Singh Sahni	Gumanpura	6,250/-

1		2	3	4
12.	,,	Hira Lal Harijan	Bhatapada	3,750/-
13.	,,	Hari Prakash Sharma	Kota Junction	8,000/-
14.	,,	Har Narain Chhabra	Gumanpura	6,250/-
15.	,,	Keshari Lal Harijan	Ladpura	3,750/-
16.	,,	Kanhiya Lal (Peon)	Gordhanpura	2,000/-
17.	,,	Kanhiya Lal Sharma	Nayapura	3,000/-
18.	,,	Laxmi Narain	Gumanpura	3,750/-
19.	,,	Mangal Sen Bugga	Gumanpura	3,000/-
20.	,,	Mahesh Kumar Tyagi	Mokha Pada	3,750/-
21.	,,	Man Mal Singhvi	Nayapura	7,500/-
22.	,,	Naval Kishore Rao	Sripura	3,750/-
23.	,,	Nand Kishore Gupta	Gumanpura	3,750/-
24.	,,	Narain Das	Kota Junction	3,000/-
25.	,,	Narendra Lal Jain	Kota Junction	8,000/-
26.	,,	Purushottam (Peon)	Sripura	1,250/-
27.	,,	Prakash Bhan	Nayapura	3,750/-
28.	,,	Panna Lal	Nayapura	6,250/-
29.	,,	Prabhu Dayal Gaur	Gumanpura	3,750/-
30.	,,	Ram Lal Dhawan	Gumanpura	3,750/-
31.	,,	Ram Gopal Verma	Shripura	3,750/-
32.	,,	Ramji Lal Driver	Ladpura	3,000/-
33.	,,	Srinath Gautam	Gumanpura	3,000/-

1658 — 59;

1.	Shri Surajmal Porwal	Gordhanpura	3,750/-

1	2		3	
2. „	Sundar Das Sethi	Gumanpura	5,000/-	
3. „	Kanhiya Lal Vijay	Bhatapada	3,000/-	
4. „	Sriballabh Sharma	Retwali	3,000/-	1st instalment given
5. „	Devendra Singh	Sripura	3,000/-	
6. „	Beni Madhav Sharma	Nayapura	5,000/-	
7. „	Kastoor Chand	Bhimganjmandi	5,000/-	
8. „	Vishweshwar Dayal Saxena	Nayapura	3,750/-	
9. „	Chakku Harijan	Nayapura	3,750/-	
10. „	Madho Lal Khanuria	Gumanpura	3,000/-	
11. „	Bharat Prakash	Gumanpura	3,750/-	
12. „	Mahesh Prakash	Gumanpura	3,000/-	1st instalment given & amt. repaid.
13. „	Murari Lal Gupta	Gumanpura	3,000/-	2 instalment given
14. „	Bhoopendra Singh	Bhimganjmandi	4,000/-	
15. „	Shrikrishan Verma	Gumanpura	4,000/-	
16. „	Rejendra Nath Jhanji	Gumanpura	4,000/-	
17. „	Mahendra Kumar Nandwana	Gumanpura	3,000/-	1st instalment given
18. „	Chela Ram	Gumanpura	3,000/-	
19. „	Narendra Kumar	Nayapura	3,000/-	
20. „	Mahendra Pal Tyagi	Gumanpura	5,000/-	
21. „	Pratap Chand Diwan	Bhimganjmandi	4,000/-	
22. „	Tej Mal	Gumanpura	5,000/-	

1	2		3	
23. ,,	Rejendra Mohan	Nayapura	4,000/-	2 instal-ment given
24. ,,	B. P. Tyngi	Gumanpura	4,000/-	
25. ,,	Bal Bhadra Singh	Nayapura	5,000/-	2 instal-ment given
26. ,,	Laxman Swaroop Porwal	Gumanpura	5,000/-	
	1959 — 60.			
1. Shri	Prabhu Nand	Gumanpnra	3,000/-	1 inst. given
2. ,,	H. K. Thakur	,,	4,000/-	
3. ,,	Mahendra Singh	,,	5,000/-	1 inst. given.
4. ,,	Rajesh Kumar	,,	5,000/-	
5. ,,	Chandra Shekhar Bhatt.	,,	2,000/-	
6. ,,	Devi Shankar	,,	5,000/-	
7. ,,	Bhanwar Lal	,,	3,000/-	2 inst. given.
8. ,,	Umrao Singh	,,	3,000/-	1 inst. given.
9. ,,	Suresh Chand	,,	5,000/-	
10. ,,	Bhag Singh Bhasin	,,	4,000/-	
11. ,,	Hira Lal (Peon)	Nayapura	3,000/-	
12. ,,	Radha Krishna	,,	4,000/-	
13. ,,	Mahendra Nath	,,	5,000/-	2, inst. given.
14. ,,	Gopal (Peon)	,,	3.750/-	
15. ,,	Banshi Dhar	,,	3,000/-	1 inst. given.
16. ,,	Ganga Ram	,,	3,000/-	2 inst. given.
17. ,,	Bhairu Lal Kalabadal	Gumanpure	5,000/-	1 inst. given.
18. ,,	Dilip Singh	,,	4,000/-	1 inst. given.
19. ,,	Madan Gopal	Bhimganjmandi	4,000/-	2 inst. given.

1	2	3	4
20. „	Krishan Gopal Vijay	Gumanpura	5,000/- 1 inst. given.
21. „	Rampyare Lal	„	4,000/- 2 inst. given.
22. „	Mool Raj Sabarwal	Nayapura	4,000/-
23. „	Madan Lal Sharma	„	5,000/-
24. „	Bal Kishan Saigal	Ladpura	4,500/-
25. „	Om Prakash	Gumanpura	3,000/- 1 inst. given.

अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बून्दी जिले में सन् १९५८-५९ व १९५९-६० में दिये गये ऋण की सूची

	नाम	सन् ५८-५९	सन् ५९-६०
१	श्री मानमल	२,००० रु०	...
२.	,, गोरधन	१,००० रु०	१,०००
३.	,, थानमल बिहारीलाल	२,००० रु०	...
४.	,, सुवा	४०० रु०	१,६०० रु०
५.	,, खपरया	१,०५० रु०	४५० रु०
६.	,, मोहनलाल	४०० रु०	१,६०० रु०
७.	,, केशरबाई	१,००० रु०	...
८.	,, भेरू	७०० रु०	३००
९.	,, शिवकरण	१,०५० रु०	४५० रु०
१०.	,, गुलाब	१,४०० रु०	६०० रु०
११.	,, टालाराम	४०० रु०	१,६०० रु०
१२.	,, राधावल्लभ	२,१०० रु०	६०० रु०
१३.	,, गोपी	१,००० रु०	१,००० रु०
१४.	,, शंकर	१,००० रु०	१,००० रु०
१५.	,, गोपाल	१,००० रु०	१,००० रु०
		१६,५०० रु०	११,५०० रु०

———

अल्प आय गृह निर्माण के अन्तर्गत झालावाड़ जिले में सन् १९५८-५९ व १९५९-६० में दिये गये ऋण की सूची

१९५८-५९ में दी गई धनराशि

क्रमांक	नाम	धनराशि
१.	श्री अचलदास व्यास	६,००० रु०
२.	श्री भट्ट गदाधर शर्मा	३,००० रु०
३.	श्री श्यामलाल	३,००० रु०
४.	श्री अब्दुल हमीद	३,००० रु०
५.	श्री मोट्टूमल	३,००० रु०
६.	श्री नन्दकिशोर	२,५०० रु०
७.	श्री मोडूमल	३,००० रु०
८.	श्री तेजसिंह	१,००० रु०
९.	श्री मोहनलाल	३,००० रु०
१०.	श्री जगन्नाथ	३,००० रु०
११.	श्री रामनारायण	३,००० रु०
१२.	श्री कुंजबिहारीलाल	१,८०० रु०
१३.	श्री गिरीजानन्द	३,००० रु०
१४.	श्री मोहम्मद गफूर	३,००० रु०
१५.	श्री धूलीलाल	३,००० रु०
१६.	श्री तेजमल	१,४०० रु०
१७.	श्री किफायत अली	१,३०० रु०
		४७,००० रु०

१९५९-६०

१.	श्री तेजमल	१,६०० रु०
२.	श्री किफायत अली	१,७०० रु०
		३,३०० रु०

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २४ अगस्त, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
२०२५	११	during yearch	during the year
”	अन्तिम से ३	obtaned	obtained
२०२६	६	reqest	request
”	११	44. 730 Sg.	44.730 Sq
२०२६	अन्तिम से ३	गाय	गया
२०३१	अन्तिम से २	श्री मूलचन्द ागा	श्री मूलचन्द डागा
२०३५	१	से पूरी	मेरी
२०३५	६	नगरपालका	नगरपालिका
”	१२	श्री दयाकृन विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
२०४७	२२	aecommendation	recommendation
२०४७	२४	his	this
”	२५	ast	past
२०४८	१२	particnlar	particuler
२०५१	५	exlieve	experience
२०५१	अन्तिम से ३	shoul	should
२०५५	२०	वहा	वहां
२०५६	१६	इसक	इसके
२०५६	अन्तिम से ५	मंत्री निम्नलिखि	मंत्री निम्नलिखित
२०५६	अन्तिमसे २,३	वाचनलयो	वाचनालयों
२०७१	अन्तिम से ७	काईटेरिया	काइटेरिया
२०७७	अन्तिम से ३	Collector final	collector for final

१	२	३	४
२०८०	१–२	डि-डिन्ट्रेलाइजेशन	डीसैंट्रलाइजेशन
२०८०	२४	आभास	आभास
२०८७	अन्तिम से ७	बैंकरप्ट	बैंकप्ट
२१०१	४	फलेराड	फलैज्ड
२१०२	६	८१०	८,१०
२१०६	६	mamber	member
२११६	२२	debted	deleted
२१२२	१२	yes has ih	Ayes have it
२१२३	१४	coninue	continue
२१२६	अन्तिम से ५	वेट	वोट
२१२८	४	दुनिया ना	दुनियां ये
२१४२	१४	एसेस्ट	एसेट्स
२१४३	अन्तिम से ४	परमनिन्ट	परमानेन्ट
२१४८	अन्तिम से ५	finds	findings
२१४६	१७	one years	One year.
२१५४	२३	find	mind
२१५७	१२	dare	date
२१५७	१६	initsated	initiated
२१६०	६	रखकी है	रख दी है
२१६१	शीर्षक	२१६०	२१६१
२१६१	१	दूसर	दूसरा

१	२	३	४
२१६४	१	माननी	माननीय
२१६६	८	कन्फ्यूशन	कन्फ्यूजन
"	१८	कल्चर	कल्चरल
२१६८	६	ससोर्ट	सपोर्ट
२१७१	७–८	एन्यूजियज्म	एन्थूजियाज्म
"	२६	रीऑर्जेनाइज्ड	रीऑर्गेनाइज्ड
"	३०	कॉन्स्टिवेट्यूट	कॉन्स्टिट्यूट
२१७२	१३	कन्टीन्यूक	कन्टीन्यूड
"	२०	स्पोर्ट	सपोर्ट
२१७३	१	नीड्रस	नीड्स
२१८३	१४	मैं	में
२१८४	अन्तिम से ५	मेजोरिटी	मैजोरिटी
२२१६	अन्तिम से ८	फो	को